वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017-18

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार, Ministry of Textiles – Government of India
बीटीएम लेआउट, मडिवाला BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru – 560 068, भारत India

नवम्बर, 2018

द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) : 500 प्रतियाँ

प्रकाशक:

श्री रजित रंजन ओखण्डियार, भा व से
सदस्य सचिव
केंद्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु – 560 068

मुद्रक:

शरत इंटरप्राइजेस
सं 51, कार स्ट्रीट, हलसूरु
बेंगलूरु – 560 008

November, 2018

Bilingual (Hindi & English) : 500 Copies

Published by:

Shri Rajit Ranjan Okhandiar, I.F.S.
Member Secretary
Central Silk Board
Bengaluru – 560 068

Printed by:

Sharadh Enterprises
No.51, Car Street, Halasuru,
Bengaluru - 560 008

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उपलब्धियों के मुख्य आकर्षण	1
	भारतीय रेशम उद्योग – निष्पादन	3
	अनुसंधान व विकास	3
	पेटेन्ट व वाणिज्यीकरण	5
	क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण	5
	सूचना प्रौद्योगिकी पहल	6
	बीज संगठन	6
	विशेष कार्यक्रम	7
अध्याय-2	कार्य एवं संगठनात्मक संरचना	9
	प्रस्तावना	11
	कार्य	11
	केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन	11
	वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में परिवर्तन	11
	कर्मचारियों की संख्या	13
	आरक्षण नीति का कार्यान्वयन	13
	सतर्कता	13
	संसद से संबंधित मामले	14
	रेशम उत्पादों और पाटनरोधी (एण्टी डंपिंग) शुल्क पर टैरिफ	14
अध्याय-3	परियोजनाएँ व योजनाएँ	17
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ – रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (सिल्क समग्र)	19
	योजना का लक्ष्य	19
	योजना की विशेषताएं	21
	योजना से अपेक्षित परिणाम	22
	लाभार्थी घटक के तहत साझा पद्धति	22
	योजना उपलब्धियाँ	23
	क. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल	23
	I. अनुसंधान व विकास	23
	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु, कर्नाटक	24
	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल	25
	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर, जम्मू व कश्मीर	27
	केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर, तमिलनाडु	28
	रेशम जैव-प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु ,कर्नाटक	29
	रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, बेंगलूरु, कर्नाटक	29
	केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रांची, झारखंड	30
	केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, असम	32
	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु, कर्नाटक	33
	ii. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण	34
	अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग	35
	iii. क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण	36
	iv. सूचना प्रौद्योगिकी पहल	36
	ख. बीज संगठन	38
	शहतूत – राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन	38
	तसर- बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन	41
	मूगा- मूगा रेशमकीट बीज संगठन	41
	एरी – एरी रेशमकीट बीज संगठन	41

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	ग. समन्वय तथा बाजार विकास	42
	i. समन्वय	42
	क्षेत्रीय कार्यालय	42
	निर्यात संवर्धन योजना	42
	ii. विपणन विकास	43
	तसर और मूगा के लिए कच्चा माल बैंक	43
	घ. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	43
	भारतीय रेशम मार्क संगठन	43
	अन्य कार्यक्रम/योजनाएँ/परियोजनाएँ	45
	प्रचार एवं मीडिया कार्यक्रम	45
	राजभाषा नीति	47
	द्विप्रज रेशम उत्पादन कार्यक्रम	49
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (उपूक्षेवसंयो)	50
	अनुसूचित जाति उप-योजना	52
	जनजातीय उप-योजना	54
	वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष	55
	उत्पाद डिजाइन, विकास एवं विविधता	56
	वन्य समूह संवर्धन कार्यक्रम	58
	छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले में एकीकृत 'मृदा से रेशम' तसर परियोजना	59
	तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनाएं	60
	उत्तराखंड में ओक तसर विकास परियोजना	61
	संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम	62
	जापान विदेशी सहयोगी स्वयं सेवक कार्यक्रम	63
	अभिसरण के माध्यम से भारत सरकार की अन्य योजनाओं से सहायता	63
	रेशम उत्पादन में सुदूर संवेदन और भूस्थानिक सूचना प्रणाली का अनुप्रयोग	63
	मैसूरु मेगा रेशम समूह परियोजना	64
अध्याय-4	वित्त व लेखा	65
	प्राप्तियाँ व व्यय	67
	वर्ष 2017–18 के लिए ऋण	68
	आंतरिक लेखा परीक्षा	68
अध्याय-5	रेशम उत्पादन सांख्यिकी	69
	कच्चा रेशम उत्पादन	71
	कोसा तथा कच्चा रेशम का मूल्य	72
	चीन से आयातित [चीनी] शहतूती कच्चे रेशम का मूल्य	75
	रेशम माल का निर्यात	76
	रेशम माल का आयात	77
अनुबंध		79
	अनुबंध-I(क): केन्द्रीय रेशम बोर्ड का संगठन चार्ट	81
	अनुबंध-I(ख): केरेबो की इकाईयाँ	82
	अनुबंध-II: बोर्ड का गठन	83
	अनुबंध-III: आईएसडीएसआई (सिल्क समग्र) के अंतर्गत विमोचित निधि	86
	अनुबंध-IV: अभिसरण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता	87
	अनुबंध-V(क): वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य-वार कच्चा रेशम उत्पादन	88
	अनुबंध-VI(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य-वार कच्चा रेशम उत्पादन	89

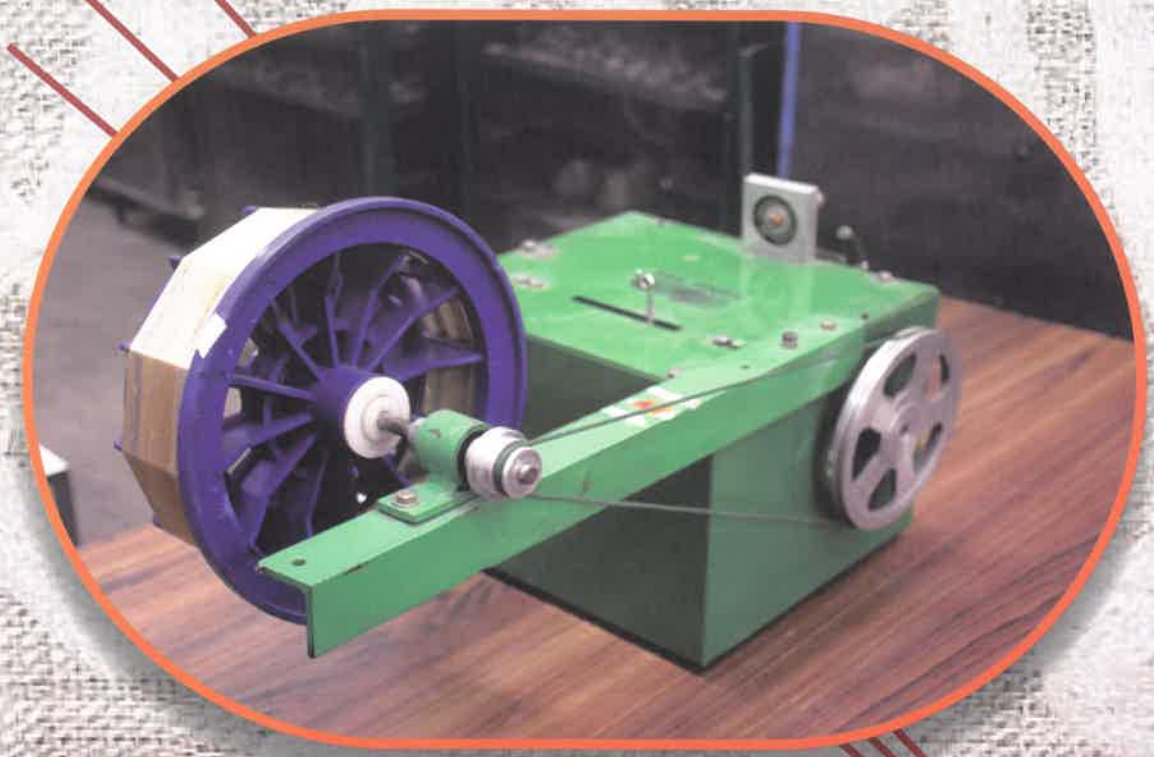

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उपलब्धियों के मुख्य आकर्षण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उपलब्धियों के मुख्य आकर्षण

भारतीय रेशम उद्योग का निष्पादन

- देश में कुल कच्चा रेशम उत्पादन वर्ष 2016-17 के 30348 मी.टन की तुलना में वर्ष 2017-18 के अंत तक 31906 मी.टन रहा जिससे 5.1% की वृद्धि दर्ज हुई।
- देश में संचित कुल कच्चे रेशम उत्पादन में से शहतूत क्षेत्र का योगदान कुल 22066 मी.टन (द्विप्रज-5874 मी.टन एवं संकर नस्ल-16192 मी.टन) रहा, यह वर्ष 2016-17 में 21273 मी.टन (द्विप्रज-5266 मी.टन एवं संकर नस्ल-16007 मी.टन) की तुलना में अधिक है।
- तसर, एरी तथा मूगा रेशम के सन्निहित करते हुए वन्य क्षेत्र में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 9840 मी.टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जिसमें 6661 मी.टन एरी, 2988 मी.टन तसर एवं 192 मी.टन मूगा का उत्पादन निहित है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान आयात प्रतिस्थानी द्विप्रज शहतूत रेशम का उत्पादन 5266 मी.टन (वर्ष 2016-17) से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 5874 मी.टन हो गया और 11.5% की वृद्धि दर्ज की।
- वस्त्र, बने-बनाए वस्त्र तथा सिले-सिलाए वस्त्र भारत के रेशम निर्यात के मुख्य मद बने रहे जो कुल रेशम माल के निर्यात का लगभग 91.86% रहा। विश्व मंदी तथा अन्य वस्त्रों को वरीयता दिए जाने के बावजूद रेशम उद्योग ने वर्ष 2017-18 के दौरान रेशम तथा रेशम माल के निर्यात से रु. 1649.48 करोड़ (अनंतिम) की आय प्राप्त हुई।

अनुसंधान व विकास

शहतूत क्षेत्र

- शहतूत उपजाति 'जी4' को 60 मी.टन/हे/वर्ष की संभाव्य उपज के साथ उष्णकटिबंधीय एवं उप-उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए सिंचित दशा में प्राधिकृत किया गया।
- तीन रासायनिक संरूप नामत: अंकुर, मृदा उर्वरता तथा स्वास्थ्य के लिए एक जैव एवं अजैव पोषक पूरक, 'अंकुश', पारिस्थितिक व प्रयोक्ता अनुकूल रेशमकीट शरीर तथा कीटपालन शय्या/सीट रोगाणुनाशी तथा 'रोट फिक्स' शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए एक व्यापक-स्पेक्ट्रम परिस्थिति-अनुकूल संरूप विकसित कर वाणिज्यीकृत किया गया।
- सी-9, एक उच्च उपज का शहतूत जीनप्ररूप, मृदा में कम निवेश के लिए उपयुक्त, जो नियंत्रण उपजाति एस-1635 (44.13 मी.टन/हे/वर्ष) की तुलना में 49.89 मी. टन /हे/वर्ष का वार्षिक पर्ण उत्पादन देता है, पहचाना गया।
- आर्द्र प्रतिबल दशा के लिए उचित 30 आशाजनक शहतूत जीन प्ररूप पहचाने गए जो मुख्य रूप से उच्च पर्ण उत्पादन के साथ विद्यमान वर्षापोषित उपजातियों से बेहतर उपज देता है।
- सी-1360, चूर्णिल आसिता रोग के प्रति सहिष्णु शहतूत उपजाति विकसित की गई और उसे शहतूत संबंधी अखिल भारतीय समन्वित प्रयोग के अगले चरण में शामिल किया गया है।
- चूर्णिल आसिता प्रतिरोध के साथ गहरे सहसंबंध रखने वाले 182 बीपीएस (एमएम68) तथा 190 बीपीएस (एम एम 128) के दो आण्विक मार्कर विकसित किए गए।
- गोशोइरामी, एक विदेशी तथा शीतोष्ण शहतूत उपजाति, के लिए 83% सफलता दर के साथ सूक्ष्म-प्रवर्धन नयाचार विकसित किया गया।
- शहतूती रेशम कृषकों को 18,640 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए जिसमें निवेश योजना में सुविधा के लिए विभिन्न संबंधित क्षेत्र की मृदा - स्थिति उल्लिखित की गई।
- वाणिज्यिक उपयोग के लिए द्विप्रज संकर बी.कॉन1 x बी कॉन 4 तथा बहु x द्वि संकर एम6डीपीसी x(एस के6 x एस के7) प्राधिकृत किया गया।
- 68 कि.ग्रा. कोसे/100 रोमुच की उपज संभाव्यता के साथ जी11 x जी19, द्विप्रज द्वि संकर प्राधिकृत किया गया जो उप-इष्टतम दशा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं तेलंगाना में वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयुक्त है।

- आण्विक मार्कर-समर्थित चयन प्रजनन के माध्यम से 72 कि.ग्रा./100 रोमुच की उपज संभाव्यता तथा 21.5% कवच के साथ ताप-सहिष्णु द्विप्रज द्वि संकर (एन 21 x एन 56) विकसित किया गया।
- बीएम एनपीवी सहनशीलता के साथ दो नए उत्पादक द्विप्रज संकर विकसित किए गए नामत: सी एस आर-52 एन x सीएसआर-26 एन तथा (सी एस आर-52 एन.एस-8 एन) x (सी एस आर- 16 एन. सी एस आर-26 एन)।
- 2ए – 3ए ग्रेड रेशम उत्पादित करने के लिए 70 कि.ग्रा/ 100 रोमुच की उपज संभाव्यता के साथ दो नए उन्नत संकर नस्ल आईसीबी17 x एस8 तथा आई सीबी 14 x एन 23 विकसित किए गए।
- एलएएमपी - शहतूत रेशमकीट में पेब्रिन रोग कारक नोसिमा बॉम्बिसिस का पता लगाने के लिए तकनीक विकसित किया गया और बीज स्टॉक के साथ तकनीक को मान्यता दी गई। इस तकनीक का उपयोग मूगा क्षेत्र में भी किया जा सकता है।
- लिंग-फिरोमोन आधारित "ऊजी-ल्युर" को एनबीए-आईआर, बेंगलूरु के सहयोग से विकसित किया गया और प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय स्थिति में ऊजी मक्खी के प्रभावी प्रबंधन के लिए विश्लेषण किया गया।
- उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के प्रति सहनशील दो नए संकर एचटीएच-3 x एचटीएच-6 एवं एचटीएच4 x एचटीएच9 विकसित किए गए।
- चालू संकर एसके-6 x एसके-7 तथा बी. कॉन1 x बी.कॉन4 की तुलना में बेहतर कोसा उपज के साथ द्विप्रज एकल संकर बीएचपी-2 xबीएचपी-8 तथा बीएचपी-3 x बीएचपी8 विकसित किए गए।
- 16 नए प्रजनन वंश विकसित किए गए और 'वंश-14' ने 530 की औसत जनन क्षमता के साथ 98.86% प्रस्फुटन और 74.75 कि.ग्रा./100 रोमुच की कोसा उपज दर्ज की।
- उत्तर भारत में शरद कीटपालन के लिए उपयुक्त तीन अंडाकार xअंडाकार संकर (नामत: सीएसआर46 x एपीएस9 (ओ1) एपीएस9 x बीबीई 198 (ओ 2) तथा एपीएस5 x एपीएस9 (ओ3) तथा एक डंबलाकार x डंबलाकार संकर (एस के6 x एस के 7) पहचाने गये।

वन्य क्षेत्र

- सूखा सहिष्णुता के लिए टी. अर्जुना के 10 अभिगमों का परीक्षण किया गया तथा अभिगम सं. 525 एवं सं. 523 उच्च प्रतिबल सहिष्णु सूचकांक के मामले में बेहतर पौधा वृद्धि, भौतिक तथा जैव रासायनिक लक्षणों के साथ बेहतर पाया गया।
- झारखण्ड के पश्चिम सिंहभूम के विभिन्न तसर संवर्धन क्षेत्रों से 57 एज़ेटोबैक्टर आइसोलेट पृथक किए गए और तथा वन एवं ब्लॉक पौधारोपण में तसर परपोषी पौधे की वृद्धि तथा पत्ती पोषक तत्व के अंश पर उसके प्रभाव का परीक्षण किया गया।
- ब्रोमोफीनॉल नीले रंग का उपयोग करते हुए फॉस्फेट विलेयित जीवाणु आइसोलेट में फॉस्फेट विलयन का परीक्षण करने के लिए नयाचार का मानकीकरण किया गया।
- मूगा रेशमकीट परपोषी पौधा 'सोम' के लिए समग्र पोषक तत्व प्रबंधन पैकेज विकसित करने के लिए पत्ती आर्द्रता, प्रोटीन एवं फीनोल अंश के साथ 19 कायिकी लक्षणों का विश्लेषण किया गया।
- एरंडी (एरी परपोषी पौधा) राइज़ोस्फियर से एन्टोगोनीस्टिक जीवाणु अलग कर पहचाना गया और यह एरंडी के एलटरनेरिया ब्लाइट रोग के विरूद्ध प्रभावी पाया गया।
- ऊपरी असम में मूगा पैदा करने वाले क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन संक्रमित मृदा से जैव पृष्ठसक्रियक उत्पादित करने वाले जीवाणु नामत: बैसिलस एसपी, एन्टरोकोकस एसपी, स्यूडोमोनस एसपी, स्टेफेलो-कोकस एसपी तथा सेराटिया एसपी पहचाने गए।
- स्मियर की स्पष्टता बढ़ाते हुए (सेलुलार डेब्रिस हटाते हुए) पेब्रिन रोग को आसानी से पहचानने के लिए पेब्रिन विश्युवलाइज़ेशन सोल्यूशन विकसित किया गया, अत: पेब्रिन स्पोर देखा जा सकता है।
- तीन स्थानों में एन्थीरिया माइलिट्टा की नयी नस्ल सीटीआर-14 का परीक्षण किया गया और परिणाम उत्पादकता में नियंत्रण की तुलना में 20-22% लाभ दर्शाया।

- विभिन्न पारि-स्थानों में वन्य कोसों की उपलब्धता के संबंध में सूचना संग्रहीत की गई और जी आई एस एवं दूरस्थ संवेदी आंकड़ों का उपयोग करते हुए वन्य तसर समष्टि की उपलब्धता के संबंध में अनुमानात्मक मानचित्र तैयार किया गया।
- तसर रेशमकीट के विभिन्न पारि-प्रजातियों के कोसों से सेरिसिन के शुद्धीकरण एवं लक्षण-वर्णन तकनीक का मानकीकरण किया गया।
- विभिन्न राज्यों में कृषक स्तर पर तसर अमृत (तसर रेशमकीट के लिए अर्द्ध-संश्लिष्ट आहार) का बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण किया गया।
- मूगा रेशमकीट माइटोकोण्ड्रियम जीनोम को क्रमबद्ध, मानचित्रित तथा प्रकाशित किया गया।
- विद्यमान वाणिज्यिक नस्ल से अद्यतन एरी रेशमकीट के दो नए संयोजन वाईपी xजीबी जेड तथा जीबीएस x जीबीजेड विकसित किए गए।
- गोलाघाट, असम में मूगा रेशमकीट तथा अन्य वन्य रेशम शलभों के विश्व के प्रथम स्व-स्थाने संरक्षण साइट स्थापित की गयी।
- मूगा रेशमकीट पालन में कीट पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए आभिष के साथ सौर्य एलईडी ट्रेप का परीक्षण किया गया।
- ऊपरी असम के जिलों में कीटनाशक के छिड़काव से मूगा फसल में संभाव्य क्षति निर्धारित करने के लिए संभाव्य मूगा पौधारोपण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया।
- तसर एवं मूगा रेशम कृषकों को 1048 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।

कोसोत्तर क्षेत्र

- गर्म हवा में कोसों को सुखाने के लिए प्रतिदिन1.2 मी.टन कोसों को सुखाने की क्षमता का कन्वेयर कोसा शुष्कन मशीन का विकास किया गया।
- मूगा कोसों के "भीर धागाकरण" की प्रतिस्थापना के लिए नई धागाकरण मशीन " सोनालिका" विकसित की गई।
- उद्योग से संबंधित मामलों का हल करने के लिए एरी कोसों को खोलने का उपकरण, कोसा पकाने के लिए पूर्व-उपचार उपकरण तथा छोटी रंगाई मशीन विकसित की गयी।
- कच्चा रेशम की लच्छियों के लपेटने हेतु निष्पादन में सुधार लाने के लिए वाष्पीकरण तकनीक विकसित की गई।
- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के रेशम का उपयोग करते हुए विविध रेशम निटवेयर उत्पाद/ कपड़ों का प्रचार करने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- एचटीएचपी तरीके से रेशम सूत से सेरिसिन निकालने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- तसर कोसों को अच्छी तरह से पकाने के लिए कोसा मुलायम करने का एक रासायनिक नुस्खा- 'तसर प्लस' तैयार किया गया है।
- त्वचा पर लगाने के 'शहतूत रेशम सेरिसिन' के क्रमबद्ध शुद्धीकरण का नयाचार विकसित किया गया।

पेटेन्ट व वाणिज्यीकरण

- रॉट फिक्स-शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम पारि-अनुकूल सूत्रीकरण के पेटेन्ट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- i) अंकुर, मृदा उर्वरता एवं स्वास्थ्य के लिए जैविक एवं अजैविक पोषक तत्व अनुपूरक, ii) अंकुश, रेशमकीट के शरीर तथा कीटपालन सीट के रोगाणुनाशन के लिए पारि-अनुकूल रासायनिक संरूप एवं iii) रॉट फिक्स, शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम पारि-अनुकूल, सूत्रीकरण आदि को वाणिज्यीकृत किया गया।
- कोसोत्तर क्षेत्र में दो पेटेन्ट प्राप्त हुए।
  I. जकार्ड के लिए न्यूमेटिक लिफ्टिंग मेकेनिज़म का उपयोग करते हुए उन्नत हथकरघा एवं
  II. उन्नत धागाकरण-सह-ऐंठन मशीन

क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण

- 15270 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 17292 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा, कुल 2128 कॉलेज के विद्यार्थियों और स्कूल के बच्चों को रेशम उत्पादन की जानकारी दी गई।
- एनई-आरटीपीएस के अधीन प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सात बैच आयोजित किए गए जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों

के 181 रेशम निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल किया गया।

- रेशम के सभी उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 1077 कृषकों को प्रोत्साहित करने तथा उनके ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए विकसित रेशम उत्पादन क्लस्टरों तथा अनुसंधान व विकास केन्द्रों के अध्ययन भ्रमण के लिए ले जाया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत कुल 31 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रेशम उत्पादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा किया और वर्ष 2017-18 सत्र के लिए कुल 35 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया । केरेअवप्रसं, बरहमपुर में पीजीडी एन (शहतूत) के लिए बीस व्यक्तियों एवं केतअवप्रसं, रांची के पीजीडीएस (वन्य) के लिए पंद्रह व्यक्तियों को प्रविष्टि दी गई।
- सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए कृषकों के आपसी संपर्क की सुविधा की दृष्टि से वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित विभिन्न रेशम-क्लस्टरों में कुल 12 रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए जो विद्यमान 11 रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्रों के अलावा है (कुल 23 रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र)।
- वर्ष 2008 से इग्नू, केरेबो के सहयोग से छः माह का पाठ्यक्रम-रेशम उत्पादन में प्रमाण-पत्र चला रहा है। वर्ष के दौरान 254 नए पंजीकरण किए गए जिससे अब तक कुल 1068 पंजीकरण हुए।
- केरेबो ने रेशम निदेशालय कर्नाटक से अनुरोध एवं निधि प्राप्त होने पर केरेप्रौअसं, बेंगलूरु के माध्यम से रेशम धागाकरण पर केन्द्रित उद्यमी विकास कार्यक्रम के तीन बैच चलाए जिसमें 73 संभाव्य उद्यमियों को शामिल किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- एम- किसान : कृषकों को एम- किसान वेब पोर्टल का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक सलाह दी गयी।
- कृषकों एवं उद्योग के अन्य पणधारियों के लाभार्थ रेशम तथा कोसों की दैनिक बाज़ार दर मोबाइल फोन पर 'एसएमएस सेवा' के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी।
- पूरे देश में द्विप्रज क्लस्टर कृषकों के अनुरक्षण एवं अनुश्रवण के लिए सेरि-5 के डेटाबेस तैयार किया गया।
- केरेबो कार्यालय बेंगलूरु, मैसूर, बरहमपुर, पाम्पोर, रांची, लाहदोईगढ़ एवं नई दिल्ली में पूर्ण रूप से सज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा प्रारंभ की गई।
- सामान्य नागरिक के लाभार्थ उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यालयीन वेबसाइट "csb.gov.in" द्विभाषी (अंग्रेज़ी व हिन्दी) बनाया गया।
- विभिन्न पदों के लिए ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गयी जिससे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करना सुगम/प्रभावी हो सका।
- लगभग 81 केरेबो की इकाइयों में आधार सक्षम बायो-मेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई।
- विन्डोज-आधारित लेखा साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया।
- राज्य के विभागों के संपर्क व सहयोग से रेशम उत्पादन कृषकों एवं धागाकारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया।
- शिकायतों एवं बीआईपी संदर्भों के प्रबंधन के लिए डेटाबेस की डिजाइन तैयार कर इसे विकासित किया गया।

बीज संगठन

शहतूत तथा वन्य (तसर, मूगा व एरी) के अंतर्गत केरेबो के बीज संगठनों ने कृषकों के बीच वितरण के लिए राज्यों एवं अन्य अभिकरणों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी तथा वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति के माध्यम से देश में कच्चे रेशम उत्पादन के प्रति काफी योगदान दिया है । रारेबीसं द्वारा कुल 388.36 लाख वाणिज्यिक शहतूत बीज (द्विप्रजसंकर: 314.24 लाख रोमुच तथा संकर नस्ल: 74.12 लाख रोमुच) उत्पादित किए गए । इसी प्रकार वन्य बीज संगठनों (बुतरेबीसं, मूरेबीसं एवं एरेबीसं) द्वारा कुल 52.06 लाख बुनियादी बीज के रोमुच (तसर: 38.10 लाख; मूगा : 7.08 लाख; एरी : 6.88 लाख) उत्पादित कर वितरित किए गए हैं।

विशेष कार्यक्रम

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी 30 जून से 2 जुलाई, 2017 तक महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित टेक्स्टाइल इंडिया 2017 में बुनियादी धागाकरण मशीन में विशेष रूचि लेते हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री, गांधीनगर, गुजरात में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा टेक्स्टाइल इंडिया 2017 के प्रदर्शनी हॉल में आयोजित रेशम पेविलयन का वीक्षण करती हुई।

टेक्स्टाइल इंडिया 2017 में केरेबो द्वारा तीन समझौता करार पर हस्ताक्षर किए गए जो देश में रेशम उद्योग के विकास के लिए है। अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा जेनेटिक सामग्री के लेन-देन पर चीनी सरकार के श्री क्सी डॉग, उप निदेशक(सा.), गुआँगक्सी झुआंग स्वायात्तशासी क्षेत्र कृषि विभाग क्षेत्र, चीन पी.आर द्वारा समझौता करार पर हस्ताक्षर किया गया। सुश्री दीपिका गोविन्द, डिज़ाइनर, बेंगलूरु ने संयुक्त रूप से नई डिज़ाइन तथा वाणिज्यीकरण के लिए क्लस्टर- आधारित उत्पाद विकसित करने के लिए समझौता करार पर हस्ताक्षर किया। सुश्री भारती देवराजन, प्रबंध निदेशक, फाइव पी वेन्च्युर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ईरोड, तमिलनाडु ने केरेबो द्वारा विकसित रेशम हथकरघा उत्पादों के विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए समझौता करार पर हस्ताक्षर किया।

श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री, मंत्रालय की कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति समुदाय के लाभार्थियों को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2017 को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नकद पुरस्कार तथा रेशम उत्पादन उपकरण का वितरण करती हुई।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 1-15 मई, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया ।

श्रीमती द्रौपदी मुरमु, माननीय राज्यपाल, झारखण्ड केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, रांची के 19 जून 2017 को आयोजित 54वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करती हुई । उन्होंने जीन बैंक एवं प्रशिक्षण हॉस्टल का भी उद्घाटन किया ।

श्री के.एम. हनुमंतरायप्पा, अध्यक्ष, केरेबो ने माननीय मुख्य मंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास पर 12 जून, 2017 को चर्चा की ।

श्री अजय टम्टा, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री ने 17 जून, 2017 को तिरुवनंत-पुरम, केरल में आयोजित वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की ।

कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो), संसद के एक अधिनियम (1948 की अधिनियम सं. LXI) द्वारा अप्रैल,1949 को देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए स्थापित, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है । यह वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है और भारत रेशम उद्योग की वृद्धि एवं विकास के निरीक्षण देखरेख के लिए मुख्य अभिकरण है। केरेबो का लक्ष्य है कि "भारत विश्व स्तर पर अग्रणी रेशम देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य के साथ बोर्ड ने मुख्यत: तीन विशेष क्षेत्रों नामत: क) रेशमकीट बीज उत्पादन ख) फार्म क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र और ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के सापेक्ष कार्यक्रम और कार्यनीति की योजना बनाई। वर्ष 2017-18 के दौरान रेशम क्षेत्र का अन्य प्राथमिकताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण द्विप्रज शहतूत कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित रहा ।

केरेबो के कार्य गतिविधियों में अनुसंधान व विकास, अग्रणी प्रदर्शन, चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन तंत्र [नेटवर्क] का रखरखाव, मूल एवं वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता प्राचल का मानकीकरण एवं इसे निर्धारित करना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय रेशम का संवर्धन तथा रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर संघ सरकार को सलाह देना शामिल है । विभिन्न राज्यों में स्थित 286 इकाइयाँ इन गतिविधियों को संचालित कर रही हैं । केरेबो सचिवालय की संगठनात्मक संरचना और इसकी इकाइयों का विवरण अनुबंध-I (क व ख) में दिया गया है ।

कार्य

केरेबो निम्न के प्रति समन्वय व सहयोग प्रदान करता है :

- रेशम उद्योग का विकास ऐसे उपायों द्वारा करना जैसा वह ठीक समझे ।
- रेशम उत्पादन और रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा आर्थिक अनुसंधान करना, सहायता एवं प्रोत्साहन देना ।
- विभिन्न राज्यों को अनुपूरक सहायता के लिए बुनियादी व वाणिज्यिक रेशमकीट बीज का उत्पादन करना ।
- कच्चे रेशम के विपणन में सुधार तथा ब्राण्ड संवर्धन ।
- केन्द्र सरकार को कच्चे रेशम के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श देना ।
- विभिन्न राज्यों से रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रहण करना ।
- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए रेशम उद्योग से संबंधित रिपोर्टों को तैयार करना ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों और प्रावधानों के अनुसार, 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त 39 सदस्यों से केरेबो का गठन किया गया है । 2017-18 के दौरान नामित नए सदस्यों का ब्यौरा तालिका 2.1 में दिया गया है :

विभिन्न विभागों के अधीन दिनांक 31.03.2018 को यथाविद्यमान बोर्ड के सदस्यों की सूची अनुबंध-II में संलग्न है । रिपोर्टधीन अवधि के दौरान गुवाहाटी, असम में दिनांक 23.0102018 को एक स्थायी समिति की बैठक और बोर्ड की बैठक आयोजित की गई ।

वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में परिवर्तन

श्री राजित रंजन ओखंडियार, भा.व.से. ने डीओपीटी आदेश सं.10/9/2017ईओ/एसएम-1 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार दिनांक 06.11.2017 को सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया । डॉ.कालिदास मंडल, निदेशक [तक.] की अधिवर्षिता पर डॉ.आर.के.मिश्र, निदेशक, रारेबीसं ने दिनांक 28.03.2018 को केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु में निदेशक [तक.] का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

तालिका 2.1 : वर्ष 2017-18 के दौरान नामित नए सदस्यगण			
#	नामित सदस्यों का नाम व पदनाम	नामांकन की अवधि	अधिसूचना ब्योरा
1	श्री राजित रंजन ओखंडियार, भा.व.से., सदस्य सचिव	06.11.2017 से 05.11.2020	25011/14/17-रेशम दिनांक 21.12.2017 धारा 4(3)(ख) के अधीन
2.	श्री पी.सी.मोहन, सांसद (लोकसभा)	10.08.17 से 09.08.2020	25012/5/2017-रेशम दिनांक 28.08.2017 धारा 4(3)(ग) के अधीन
3.	श्री निम्माला क्रिस्तप्पा, सांसद (लोकसभा)	10.08.2017 से 09.08.2020	25012/5/2017-रेशम दिनांक 28.08.2017 धारा 4(3)(ग) के अधीन
4.	श्री जुगल किशोर शर्मा , सांसद (लोकसभा)	10.08.2017 से 09.08.2020	25012/5/2017-रेशम दिनांक 28.08.2017 धारा 4(3)(ग) के अधीन
5.	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डे , सांसद (लोकसभा)	21.12.2017 से 20.12.2020	25012/5/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(ग) के अधीन
6.	श्री एम.महेश्वर राव, भा.प्र.से. सचिव, बागवानी, कृषि एवं रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(घ) के अधीन
7.	श्री के.एस.मंजुनाथ, भा.प्र.से. आयुक्त, रेशम उत्पादन विकास एवं निदेशक, रेशम उत्पादन, कर्नाटक सरकार	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(घ) के अधीन
8.	श्री योगेश, पुत्र श्री शिवनंजप्पा, अरकलगूड्, जिला-हासन	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(घ) के अधीन
9.	श्री के.मुद्दे गौड़ा, पुत्र श्री केंपेगौडा, केंपय्याना हुंडी, टी नरसीपुरा ताल्लुक, जिला-मैसूर	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(घ) के अधीन
10.	श्री पी.सोमण्णा, पिता स्वर्गीय पुट्टस्वामी, नंजनगुड ताल्लुक, जिला-मैसूर	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(घ) के अधीन
11.	श्रीमती पी.श्री वेंकटप्रिया, भा.प्र.से., निदेशक, रेशम उत्पादन, तमिलनाडु सरकार, सेलम	27.10.2017 से 26.10.2020	25011/4/2017-रेशम दिनांक 27.10.2017 धारा 4(3)(ङ) के अधीन
12.	श्रीमती मधुमिता चौधरी, भा.प्र.से., आयुक्त, वस्त्र एवं रेशम उत्पादन, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(च) के अधीन
13.	श्री चिरंजीव चौधरी, भा.व.से., आयुक्त, रेशम उत्पादन, आंध्र प्रदेश सरकार, गुंटूर	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(छ) के अधीन
14.	श्री मुक्त नाथ सैकिया, एसीएस, निदेशक, रेशम उत्पादन,असम सरकार, गुवाहाटी	08.12.2017 से 07.12.2020	25011/4/2017-रेशम दिनांक 08.12.2018 धारा 4(3)(छ) के अधीन
15.	श्री साकेत कुमार, भा.प्र.से., निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विभाग, बिहार सरकार, पटना	08.12.2017 से 07.12.2020	25011/4/2017-रेशम दिनांक 08.12.2018 धारा 4(3)(छ) के अधीन
16.	डॉ.मधु खरे, भा.प्र.से., आयुक्त, रेशम उत्पादन, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	27.10.2017 से 26.10.2020	25011/4/2017-रेशम दिनांक 27.10.2017 धारा 4(3)(छ) के अधीन
17.	श्री मोहम्मद अफज़ल भट्ट, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर	31.01.2018 से 30.01.2021	25011/4/2017-रेशम दिनांक 31.01.2018 धारा 4(3)(ज) के अधीन

कर्मचारियों की संख्या

निम्न तालिका 2.2 में दिनांक 31.03.2018 को यथाविद्यमान केरेबो के कर्मचारियों की समूहवार स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या तालिका निर्दिष्ट है :

तालिका 2.2 : दिनांक 31.03.2018 को यथाविद्यमान केरेबो के कर्मचारियों की संख्या

समूह	स्वीकृत	भरे गए	सामान्य	अ जाति	अ जजा	अ पि वर्ग	नि:शक्त	योग
क	725	557	334	109	49	62	3	557
ख	1358	1241	798	232	121	75	15	1241
ग	1289	1131	559	307	146	104	15	1131
घ	6	6	4	1	1	--	--	6
योग	3378	2935	1695	649	317	241	33	2935
%			57.75	22.11	10.80	8.21	1.12	100

बोर्ड ने विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष विभिन्न संवर्गों (क-3, ख-3 और ग-12) में 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की है । उपरोक्त अवधि के दौरान बोर्ड की सेवा से विभिन्न संवर्गों (समूह क-71, ख-91 और ग-77) के 239 अधिकारी/-कर्मचारी,अधिवर्षित/सेवानिवृत्त/दिवंगत/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के निदेश के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अधीन अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन करता आ रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार के समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सभी समूह में सीधी भर्ती के लिए और समूह-ग संवर्ग में पदोन्नति हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का भी अनुपालन किया जा रहा है।

सतर्कता

क. कार्य प्रणाली को सरल व कारगर बनाकर निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की जिन इकाइयों को संवेदनशील माना जाता है, उनका पता लगाकर उनके लिए निवारक सतर्कता, निगरानी व खोज हेतु उपाय किए गए हैं । केरेबो के मुख्य सतर्कता अधिकारी के अतिरिक्त, विभिन्न अंचलों में स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के निदेशकों/प्रभारी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमांकित करते हुए इकाइयों/संवेदनशील क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है । जैसे ही निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए उनकी जाँच की गई और आवश्यतानुसार उन पर कार्रवाई की गई । तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान, ऐसी रिपोर्टों के आधार पर कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई । विभिन्न अंचलों के आँचलिक लेखा-परीक्षा दलों से समर्थित एक आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध, इकाइयों के लेखा की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने का कार्य कर रहा है । अनुसंधान संस्थानों/अनुसंधान केन्द्रों के निदेशकों तथा विभिन्न इकाइयों के स्वतंत्र प्रभार रखने वाले वैज्ञानिक-डी स्तर के अधिकारियों को कुछ संवर्ग के अधिकारियों के प्रति अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार दिए गए हैं । प्राप्त शिकायतों और याचिकाओं की जाँच की गई है तथा जब भी प्रत्यक्ष मामला प्रमाणित हुआ, कार्रवाई की गई है । संदर्भगत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 37 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 35 याचिकाओं का निपटान किया गया और 31.03.2018 को 02 शिकायतें निपटान के लिए लंबित हैं ।

ख. प्रारंभिक जाँच/ मौखिक पूछ-ताछ को शीघ्र पूरा करना

आदेशानुसार प्रारंभिक जाँच यथाशीघ्र पूरी की गई तथा प्रारंभिक जाँच अधिकारियों के निष्कर्षों पर कार्रवाई की जा रही है । दिनांक 31.03.2018 को यथाविद्यमान, दो अनुशा-सनिक मामले, निपटाने हेतु लंबित रहे । केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील),1965 के नियम 14 के अंतर्गत केरेबो में शुरु किये गये आनुशासनिक मामले,जैसे बड़े दण्ड की कार्यवाही, के लिए निर्धारित समय-सीमा के अंदर जाँच प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुदेश सहित बोर्ड के सेवारत और सेवा निवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है । अनुशासनिक मामले हेतु पाँच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (सेवा निवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश) को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए पैनेल में रखा गया है ।

ग. यौन उत्पीड़न शिकायतें

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के महिला कर्मचारियों/महिला फार्म कामगारों से कार्य स्थानों में यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड सचिवालय और संस्थानों के स्तर पर जाँच प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं।

घ. सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाना

मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार, केरेबो मुख्यालय तथा इसकी सभी अधीनस्थ इकाइयों में दिनांक 31.10.2017 और 04.11.2017 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

ङ. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केरेबो सचिवालय और इसकी क्षेत्र इकाइयों में 37 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और 215 सहायक लोक सूचना अधिकारी को पदनामित किया गया है। वर्ष के दौरान जन सामान्य से लोक सूचना कक्ष में 153 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान 10 आवेदन निपटान हेतु लंबित थे। वर्ष के दौरान 12 अपीलें भी प्राप्त हुईं जिसमें से दो अपीलें और 31 मार्च, 2018 को लंबित थीं। प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ और नागरिकों को प्रेषित उत्तर, केरेबो की वेबसाइट www.csb.gov.in में उपलब्ध हैं।

संसद से संबंधित मामले

क] संसदीय प्रश्न

वर्ष 2017-18 के दौरान, केरेबो ने नीचे दी गई तालिका 2.3 में विखण्डित विवरण के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 71 संसदीय प्रश्नों की उत्तर–सामग्री प्रस्तुत की:

तालिका 2.3 : संसदीय प्रश्नों के लिए प्रेषित उत्तर

संसद सदन	मानसून सत्र जुलाई-अगस्त	शीतकालीन सत्र दिसंबर-जनवरी	बजट सत्र फरवरी-मार्च	कुल
लोक सभा	18	9	16	43
राज्य सभा	6	6	16	28
कुल	**24**	**15**	**32**	**71**

ख) संसदीय समिति की बैठकें

- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 27.05.2017 को बेंगलूरु में वस्त्र मंत्रालय/केरेबो के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।
- संसदीय स्थाई समिति [वाणिज्य] से संबंधित विभाग ने केरेबो के अधिकारियों से "भारतीय उद्योग पर चीन के सस्ते माल का प्रभाव" पर पारस्परिक चर्चा करने के लिए 19.01.2018 को बेंगलूरु का दौरा किया।

रेशम उत्पादों और पाटनरोधी (एण्टी डंपिंग) शुल्क पर टैरिफ

क) माल एवं सेवा कर [जीएसटी]

कई वर्षों से रेशम एवं रेशम उत्पाद कर संरचना के तहत नहीं थे। तथापि हाल ही में लागू किए गए माल एवं सेवा कर [जीएसटी] की कर-संरचना के तहत रेशमकीट अंडे [बीज], कोसा, कच्चे रेशम और रेशम अपशिष्ट के अतिरिक्त रेशम एवं रेशम उत्पादों को कर संरचना के तहत लिया गया है। निम्न तालिका 2.4 में विभिन्न रेशम उत्पादों की जीएसटी दर्शाती है:

तालिका 2.4 : विभिन्न रेशम उत्पादों पर मा.से.क. [जीएसटी]

#	मद	आईटीसी एचएस कोड	जीएसटी (%)
1	रेशमकीट अंडे	5001	0
2	कोसा	5001	0
3	कच्चा रेशम	5002	0
4	रेशम अपशिष्ट	5003	0
5	रेशम धागा	5004/05/06	5
6	रेशम वस्त्र	5007	5
7	रेशम परीक्षण सेवाएं	9983	18
8	रेशम परिधान	6101- 6117	5% & 12% *
9	रेशम मशीनरी	8445	18
10	अन्य सभी सेवाएं (कार्य)	9988	5

* यदि इकाई का मूल्य रु.*1000* तक है तो जीएसटी *5%* और यदि इकाई का मूल्य रु. *1000* से अधिक है तो जीएसटी *12%*।

ख) रेशम मदों के आयात पर सीमा-शुल्क

निम्नलिखित तालिका 2.5 में विविध रेशम उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी को शामिल करते हुए लागू होने वाले मूल सीमा-शुल्क और कुल शुल्क निर्दिष्ट है।

तालिका 2.5 : रेशम मदों की आयात पर उत्पाद शुल्क

#	उत्पाद	आईटीसी एच एस कोड	मूल शुल्क (%)	आई जीएसटी (%)	कुल शुल्क (%)
1	धागाकरण हेतु उपयुक्त कोसा	5001	30	0	30.09
2	कच्चा रेशम	5002	10	0	10.30
3	रेशम अपशिष्ट	5003	15	0	15.40
4	रेशम धागा	5004-5006	10	5	15.82
5	रेशम वस्त्र	5007	20	5	25.82
6	रेशम मशीनरी **	8445	5	18	24.74

** स्वचालित धागाकरण मशीनरी के आयात पर *0%* की रियायति सीमा-शुल्क ।

ग) पाटनरोधी (एण्टी डंपिंग) शुल्क

गजेट अधिसूचना असाधारण भाग-I, धारा-1, अधिसूचना सं.14/17/2014/ मनिपारो दिनांक 04.12.2015 से चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यात 3 ए श्रेणी या उससे कम के कच्चे रेशम के निर्यात पर यू एस $ 1.85 प्रति कि.ग्रा. का पाटनरोधी शुल्क लागू होगा । यह पाटनरोधी (एण्टी डंपिंग) शुल्क दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा । वर्तमान में चीन पीआर से रेशम वस्त्रों के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा ।

***

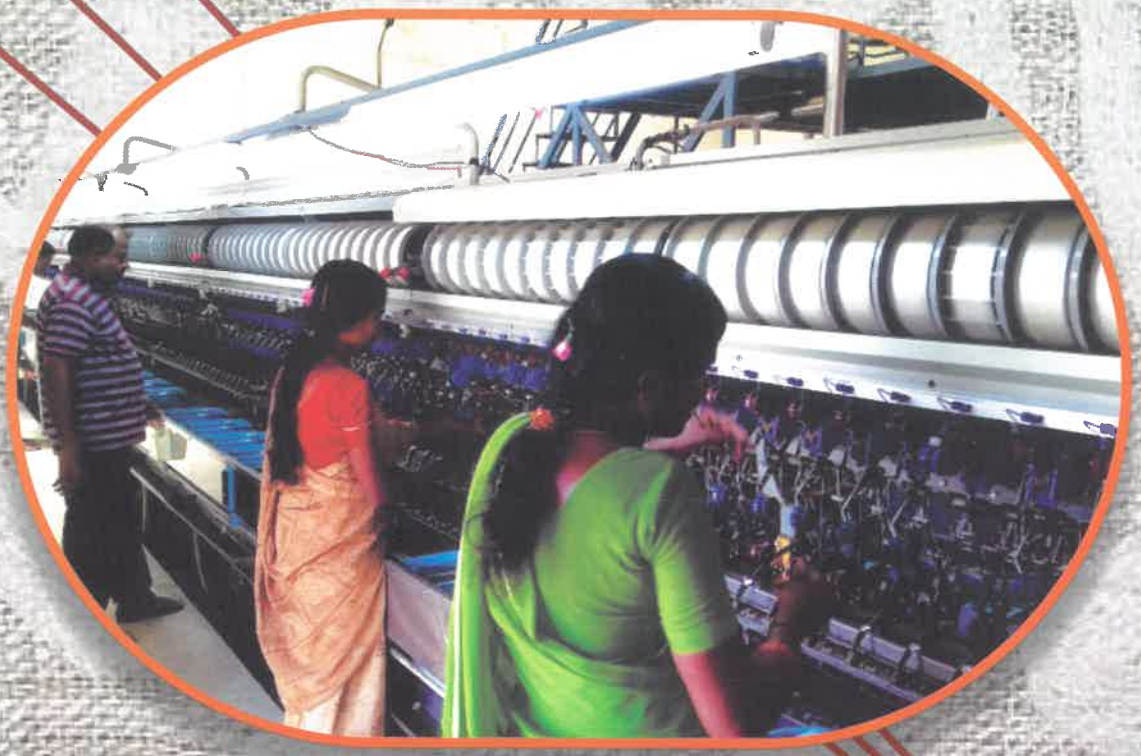

परियोजनाएँ व योजनाएँ

परियोजनाएँ व योजनाएँ

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ

रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (सिल्क समग्र)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना "एकीकृत रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना" (आईएसडीएसआई) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि पणधारियों की आय में वृद्धि हो। इस योजना में निम्नलिखित 04 घटक निहित हैं:

क. अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

ख. बीज संगठन,

ग. समन्वय तथा बाज़ार विकास,

घ. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य रेशम उत्पादन विभागों के समन्वय से विभिन्न राज्यों में स्थित अपने अधीनस्थ इकाईयों के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन करता है । घटकवार विवरण तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आबंटन का वर्षवार विवरण तालिका 3.1 में वर्णित है ।

योजना का उद्देश्य

सिल्क समग्र के सभी घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है । अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करती हैं, पणधारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देते हैं तथा प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करते हैं, उसी समय बीज उत्पादन एकक अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत रेशमकीट संकरों के बुनियादी तथा वाणिज्यिक बीज का

तालिका 3.1: रेउविएयो (सिल्क समग्र) के अधीन घटकवार तथा आबंटन का वर्ष-वार विवरण

[रु. करोड़ में]

#	योजना घटक	निधि का बजट आबंटन [केन्द्र का हिस्सा]			
		2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल	309.37	394.05	378.49	1081.91
2	बीज संगठन	178.16	245.47	217.07	640.70
3	समन्वयन तथा बाज़ार विकास	139.96	156.64	132.27	428.87
4	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली और निर्यात/ ब्रांड उन्नयन तथा तकनीकी उन्यन	2.50	3.60	4.10	10.20
कुल		629.99	799.76	731.93	2,161.68
	जिसमें से राज्यों द्वारा लाभार्थी अभिमुखी घटकों के लिए लागू प्रावधान [एससीएसपी, टीएसपी तथा एनई सहित] [अनंतिम]	*93.22*	*155.68*	*174.10*	*423.00*

नोट: रु. 2161.68 करोड़ के योजना परिव्यय में केरेबो कर्मचारियों एवं पेंशनरों के वेतन व भत्ते, मजदूरी, पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ आदि के भुगतान जैसे प्रशासनिक/स्थापना व्यय के प्रति रु.1400.00 करोड़ तथा शेष रु. 761.68 करोड़ रेशम उद्योग के विकास के प्रति है । इसमें लाभार्थी उन्मुख मध्यस्थता के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विमोचित करने के लिए रु. 423.00 करोड़ शामिल है ।

उत्पादन करते हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकसित योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करता है ताकि इन अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों से सृजित परिणाम को रेशम उद्योग के विकास के लिए पणधारियों को प्रसारित करना सुनिश्चित किया जा सके। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती है।

सिल्क समग्र में शहतूत, वन्य तथा कोसोत्तर क्षेत्रों के अधीन विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख घटक भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम कुछ संशोधन के साथ 12वीं योजना से जारी है जो परियोजना के तौर पर 2017-18 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए है। यह कार्यक्रम विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर सृजित करने के अतिरिक्त गुणवत्ता, उत्पादकता एवं कच्चे रेशम के उत्पादन में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन देता है।

(क) अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- नौ मुख्य अनुसंधान संस्थानों (कोर अनुसंधान) तथा उसके अधीनस्थ 22 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों (स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी का परिष्करण तथा प्रौद्योगिकी का अग्रणी प्रदर्शन) में अनुसंधान व विकास चल रहा है।
- उन्नत खाद्य पौधों, रेशमकीट नस्लों, रेशमकीट बीज उत्पादन तकनीक के मानकीकरण, रेशमकीट पालन के लिए प्रणाली पैकेज के विकास के माध्यम से अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों को संचालित करना।
- कोसोत्तर संचालन में कोसोत्तर प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी का विकास, उपोत्पाद का उपयोग, उत्पाद विकास और विविधीकरण का विकास करना।
- क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम (सीपीपी), संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम (आईवीएलपी) के माध्यम से पहचाने गए क्लस्टरों को तकनीकी प्रसार।
- प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम, संसाधन विकास कार्यक्रम, लाभार्थी सशक्तिकरण, कृषकों/-धागाकारों के लिए कैप्सूल प्रशिक्षण, कृषि मेला इत्यादि।
- प्रौद्योगिकियों को प्रसारित करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, 'सिल्कस' (रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली) पोर्टल, कृषक धागाकार डेटा बेस (एफआरडीबी), एसएमएस के माध्यम से मूल्य विवरण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(ख) बीज संगठन

- चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क, अपने इकाइयों और राज्य के बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय और मूल बीज की आपूर्ति बनाए रखना।
- द्विप्रज वाणिज्यिक बीज उत्पादन और अधिक बीज उत्पादन के लिए निजी भागीदारी में नेतृत्व की भूमिका।
- वन्य रेशम में निजी बीज उत्पादकों को प्रोत्साहन।
- राज्य के बीज उत्पादन इकाइयों तथा निजी बीज उत्पादकों को तकनीकी सहायता।
- निजी इकाइयों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन का संस्थानीकरण और राज्य तथा निजी इकाइयों के लिए इसकी सुविधा प्रदान करना।
- बीज उत्पादन नेटवर्क में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने के लिए रेशमकीट बीज अधिनियम का समग्र कार्यान्वयन।

(ग) समन्वय व बाज़ार विकास

- केरेबो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजना कार्यक्रमों की संकल्पना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण।
- अभिसरण के माध्यम से अन्य मंत्रालयों की योजनाओं से सामंजस्य स्थापित करने में प्रभावी सहयोग प्रदान करना।

- रेशम उत्पादन, आयात और निर्यात का सांख्यिकीय विश्लेषण।
- प्रचार, लेखा प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा, राजभाषा कार्यान्वयन।
- मंत्रालय और राज्य रेशम उत्पादन विभागों के साथ समन्वय।
- कच्चा माल बैंकों, केरेबो इकाइयों के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से तसर और मूगा कोसों का मूल्य स्थिरीकरण।

(घ) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली तथा निर्यात/ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

- रेशमकीट बीज, कोसा और कच्चे रेशम की गुणवत्ता की स्थापना और संवर्धन।
- रेशम मार्क के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों के प्रचार के माध्यम से व्यापार किए गए अंतिम उत्पादों में रेशम की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने के लिए कोसा परीक्षण केंद्र।
- कच्चे रेशम के गुणवत्ता में सुधार पर जोर देने के प्रति मूल्य आधारित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कच्चा रेशम परीक्षण केंद्र । कच्चे रेशम के परीक्षण से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में धागाकारों /ऐंठनकारों/बुनकरों को लाभ होगा।

(ङ)अनुसंधान व विकास एवं बीज संगठन के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख योजनाएं

- सिल्क समग्र के अनुसंधान व विकास और बीज संगठन के घटकों के अंतर्गत, शहतूत, वन्य और कोसोत्तर क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभार्थी उन्मुख महत्वपूर्ण मध्यस्थ कार्यान्वयन किया जाता है। यह मध्यस्थता केरेबो के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित बेहतर प्रौद्योगिकी पैकेजों के हस्तांतरण और इसे अपनाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। लाभार्थी उन्मुख मध्यस्थता कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे, (क) परपोषी पौधों का विकास और विस्तार (ख) रेशमकीट बीज प्रगुणन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विकास (ग) फार्म और कोसोत्तर अवसंरचना का विकास (घ) रेशम के धागाकरण और संसाधन प्रौद्योगिकी का उन्नयन और (ङ) कौशल विकास/उद्यम विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता विकास आदि को सन्निहित करता है।

योजना की विशेषताएं

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित पालन के लिए वन्य रेशम के व्यवस्थित वृक्षारोपण में वृद्धि।
3. क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तर-पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पारि अनुकूल रेशम – वन्य रेशम को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद (प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर-बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।

10. धागाकरण प्रौद्योगिकी का उन्नयन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वन्य धागाकरण उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहाय समूह/क्लस्टर दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन- भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित सिल्क्स (रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली) पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों और राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।
15. किसानों के लिए मोबाइल ऐप, ऑडियो, वीडियो स्पॉट, संस्थान-ग्राम संबद्ध कार्यक्रम और क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम।

योजना से अपेक्षित परिणाम

I. वर्ष 2016-17 के दौरान 30,348 मी. टन से रेशम उत्पादन को 2019-20 के अंत तक 38500 मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
II. शहतूत (बहुप्रज और द्विप्रज) रेशम का उत्पादन 20,478 मी. टन से बढ़कर 27,000 मी. टन हो गया है जिसमें द्विप्रज रेशम 5,266 मी. टन से 8500 मी. टन शामिल तक है।
III. वन्य (मूगा, एरी और तसर) रेशम उत्पादन 9075 मी. टन से 11,500 मी. टन तक बढ़ाना।
IV. 4ए ग्रेड शहतूत (द्विप्रज) रेशम का उत्पादन लगभग 15% से 25% तक बढ़ाना।
V. शहतूत कच्चे रेशम की उत्पादकता 100 किग्रा/-हेक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 111 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष करना।
VI. वर्ष 2019-20 तक रोजगार 85 लाख व्यक्ति से 100 लाख तक बढ़ना।
VII. नए वृक्षारोपण को शामिल करने के लिए शहतूत की बेहतर किस्मों के पौध लगाने के लिए 453 किसान नर्सरी विकसित करना।
VIII. कोसा की गुणवत्ता और फसल में वृद्धि के लिए, रेशमकीट अंडों को वैज्ञानिक तरीके से संभालने और नियंत्रित स्थितियों के तहत डिम्भक रेशमकीट लार्वे का पालन करने के लिए 131 नए चॉकी कीटपालन केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की जाएगी।
IX. उन्नत धागाकरण की सुविधा के लिए, कोसा सुखाने के लिए 81 उष्ण वायु शुष्कक स्थापित किए जाएंगे।
X. कुशल और गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन की सुविधा और धागाकरण क्षेत्र में काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए, 162 मोटरीकृत चरखा/धागाकरण उपकरण और 130 बहुछोरीय धागाकरण मशीन पारंपरिक धागाकरण मशीनरी की जगह ले लेंगी।
XI. द्विप्रज रेशम के उत्पादन पर अधिक जोर देने के लिए, केरेबो द्वारा स्वदेशी विकसित स्वचालित धागाकरण मशीन की 29 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
XII. वर्ष 2016-17 में 500 लाख रोग मुक्त चकत्तों (डीएफएल) से रेशम कीट बीज उत्पादन वर्ष 2020 तक 595 लाख रोग मुक्त चकत्तों तक बढ़ाने के लिए 19 बुनियादी बीज फार्म और 20 रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्रों को सशक्त किया जाएगा।

लाभार्थी घटक के तहत साझा पद्धति

व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र घटकों के लिए निधीकरण पद्धति (%) तालिका 3.2 में वर्णित है।

हालांकि, समूह गतिविधियों के लिए 100% वित्त पोषण (केरेबो) की पात्रता है क्योंकि ये गतिविधियां बहुत सीमित हैं और इसे केरेबो संस्थानों द्वारा संचालित/लागू किए जाने का प्रस्ताव है। समूह गतिविधियां मुख्य रूप से किसानों/-पणधारियों द्वारा सीआरसी, सीएफसी जैसे मॉडल के रूप में

अपनाने के लिए नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन के लिए हैं। समूह गतिविधियों को राज्य विभागों द्वारा उनके फार्मों में भी किया जा सकता है । यदि समूह गतिविधियों को राज्यों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है, तो हिस्सेदारी पद्धति भारत सरकार और राज्य/गैर सरकारी संगठन/लाभार्थी द्वारा 75:25 के अनुपात में होगी । कार्यान्वयन का अनुश्रवण केरेबो और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है ।

तालिका 3.2: लाभार्थी घटक के अधीन सिल्क समग्र- साझा पद्धति

संवर्ग	भारत सरकार (केरेबो)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50	25	25
सामान्य राज्य –एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65	25	10
विशेष स्तर के राज्य व उपू	80	10	10
एससीएसपी/टीएसपी	80	10	10
समूह कार्यकलाप	100%	--	--

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान "सिल्क समग्र" के लाभार्थी घटकों के तहत राज्यों को विमुक्त धनराशि के राज्यवार विवरण को उल्लिखित करने वाली विवरणी अनुबंध-III में है ।

हेल्पलाइन

एक हेल्पलाइन और केवल इसकी ई-मेल आईडी, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर हैंडल को भी पणधारियों की शिकायतों का समाधान करने, जागरूकता लाने और सूचना देने के लिए बनाया गया है:

हेल्पलाइन सं: 080-26684431

फेसबुकhttps: //www.facebook.com/central.silkboard

ट्विटर: http://twitter.com/csbmot/-

वेबसाइट: http://www.csb.gov.in/

योजना की उपलब्धियाँ

क. अनुसंधान व विकास,

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

I. अनुसंधान व विकास

केरेबो के अनुसंधान व विकास संस्थान देश में गुणवत्तापूर्ण रेशम के उत्पादन और उत्पादता में वृद्धि लाने के लिए नए परपोषी पौधों की किस्मो, रेशमकीट नस्लों, प्रौद्योगिकियो, मशीनरियों को विकसित करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। रेशम उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक निवेश उपलब्ध कराने के लिए शहतूत और वन्य क्षेत्रों में यथेष्ट प्रगति हुई है जिसके परिणामस्वरूप रेशम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अंडे से लेकर वस्त्र उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में पणधारियों को आर्थिक लाभ पहुँचा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अंतिम प्रयोक्ताओं मुख्य: क्लस्टर उन्नयन कार्यक्रम (सीपीपी(, संस्थान ग्राम लिंक कार्यक्रम (आईवीएलपी) सेरी मॉडल ग्राम आदि के लिए अनुसंधान और विकास लाभ के हस्तांतरण हेतु भी कई उपाय किए हैं। इन प्रयासों से घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण द्विप्रज रेशम के उत्पादन में वृद्धि लाने में मदद मिली है।

मैसूरु, (कर्नाटक), बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) और पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर) के केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण मुख्य संस्थान, शहतूत रेशम के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्यों में संलग्न हैं और रांची में स्थित केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान और लाहदोईगढ़ (असम) में केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षिण संस्थान वन्य रेशम क्षेत्र में कार्यरत हैं। पुन: रेशमकीट बीज परीक्षण प्रयोगशाला, कोडत्ति (कर्नाटक) शहतूत और गैर शहतूत रेशम के बीज क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और बेंगलूरु (कर्नाटक) में स्थित रेशम-जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, जैव प्रौद्योगिकी पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए सभी अनुसंधान संस्थानों को सहयोग प्रदान करता है। केन्द्रीय रेशम उत्पादन जनन द्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर (तमिलनाडु) शहतूत रेशमकीट एवं इसके परपोषी पौधों को आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध करते हुए इसका रखरखाव करता है जबकि

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु शहतूत और वन्य रेशम उद्योग के कोसोत्तर क्षेत्र के अनुसंधान व विकास आवश्यकताओं की देख-रेख करता है। इन संस्थानों का वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप एवं प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत हैं:

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु (कर्नाटक)

यह संस्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में शहतूत रेशम उत्पादन की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

शहतूत फसल उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- सिंचित परिस्थितियों में व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राधिकृत 60 मैट्रिक टन/ हेक्टेयर/वर्ष की पर्ण उपज क्षमता वाली एक नई शहतूत किस्म जी4, को प्रधिकृत किया गया।
- 32 शहतूत जननद्रव्य अभिगम का चयन किया गया, जो मूल-गाँठ और विगलन से प्रतिरक्षित और प्रतिरोधी उपजातियों को विकसित करने के लिए प्रजनन में उपयोग किया जाता है।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को 12000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।
- मूल विगलन रोग के प्रबंधन के क्षेत्र में "रॉट-फिक्स" का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि यह 68-74% संक्रमित पौधों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है ।
- मैसर्स सेरी-कॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु के साथ परामर्श परियोजना के तहत जैव और अजैव पोषक तत्वों का संयोजन-अंकुर का परीक्षण किया गया और शहतूत की पत्तियों की पैदावार में 14% की वृद्धि और कोसा उपज में 11% की वृद्धि देखी गई।
- किसानों को बीज सामग्री की आपूर्ति के लिए जी 2, जी 4, एमएसजी 2 और एजीबी 8 किस्मों के बीज बागान स्थापित किए गए।

रेशमकीट फसल उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- जी11 X जी19, 68 किलोग्राम कोसा/100 रोमुच की पैदावार क्षमता वाले द्विप्रज द्विसंकर को प्राधिकृत किया गया जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में वाणिज्यिक संवर्धन के लिए उप-इष्टतम स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
- आण्विक मार्कर योजित चयन प्रजनन के माध्यम से, 21.5% कवच के साथ 72 किलोग्राम कोसा/ 100 रोमुच की पैदावार क्षमता के साथ एक ताप-सहिष्णु द्विप्रज द्विसंकर (एन 21 X एन 56) विकसित किया गया।
- रेशमकीट विषाणु (बीएमडीएनवी1, बीएमएनपीवी और बीएमआईएफवी) के प्रतिरोधी बहु-विषाणु प्रतिरोधी बहुप्रज नस्ल/वंशक्रम का विकास किया गया। बीएमएनपीवी सहिष्णुता के साथ दो नए उत्पादक द्विप्रज संकर यथा सीएसआर-52 एन X सीएसआर -26 एन और (सीएसआर-52 एनएस-8 एन) X (सीएसआर -16 एन.एससीआर -26 एन) विकसित किए गए।
- बुल्गेरिया से प्राप्त आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, उच्च रेशम सामग्री (24%) के साथ एक नया द्विप्रज संकर विकसित किया गया और इसमें 75 किग्रा. कोसे/100 रोमुच की क्षमता है जिसका प्रयोगशाला में परीक्षण जारी है।
- दिशात्मक चयन के माध्यम से, उच्च उत्पादकता एवं रेशम की गुणवत्ता के लिए दो उन्नत शुद्ध मैसूर वंशक्रम पृथक किये गये।
- 70 किग्रा./100 रोमुच और 2 ए-3 ए रेशम उत्पादन क्षमता के साथ दो नये उन्नत संकर नस्लों, आईसीबी 17 X एस 8 और आईसीबी 14 X एन 23 को विकसित किया गया।
- कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कावेरी गोल्ड (एमवी 1 X एस 8), 2 ए श्रेणी रेशम युक्त आईसीबी, और

70 किग्रा./100 रोमुच के कोसा उपज का बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण किया गया।

- एलएएमपी - पेब्रिन, नोसेमा बॉम्बीसिस के बीजाणु की खोज के तकनीक विकसित की गई और बीज स्टॉक के साथ बैध किया गया। मूगा रेशम कीटों पर भी इस तकनीक को लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
- शहतूत पत्ती रोलर (डायफानिया पुल्वेरुलेंटलिस) नर कीटों को फँसाने के लिए यौन फीरोमोन्स (जेड -11 हेक्साडिसिनल, ऑक्टाडिकेन और जेड-ई-7, 11-हेक्साडिसिनल एसीटेट) का चयनकर लक्षण निर्धारण किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु के सहयोग से, "यूजी-ल्योर" आधारित लिंग-फीरोमोन विकसित किया गया और प्रयोगशाला व क्षेत्र की स्थितियों में यूजी मक्खी के प्रभावी प्रबंधन के लिए मूल्यांकन किया गया।
- सूखे प्यूपा पाउडर से उचित मांप में शहतूत रेशम कीट के प्यूपा से तेल निष्कर्षण नयाचार स्थापित किया गया और रासायनिक (92%) एवं एंजाइमेटिक (83%) विधि से उच्च स्तरीय ए-लिनोलेनिक अम्ल भी प्राप्त किया गया।

पेटेण्ट एवं वाणिज्यिकरण

- रॉट फिक्स-शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए-ब्रॉड स्पेक्ट्रम का पर्यावरण अनुकूल संरूप, पेटेण्ट करने के लिए एनआरडीसी के माध्यम से आवेदन दिया गया।
- मेसर्स सेरी-कॉन टेक्नोलॉजीज, बेंगलूरु के माध्यम से अंकुर-मृदा उर्वरता और स्वास्थ्य के लिए जैव और अजैव पोषकतत्व पूरक, का वाणिज्यिकरण किया गया।
- मेसर्स प्यूर केमिकलस लैबोरेटरी, बेंगलूरु के माध्यम से अंकुश-पर्यावरण और प्रयोक्ता अनुकूल रेशमकीट काया और कीटपालन आसन कीटाणुनाशी का वाणिज्यिकरण किया गया।
- मेसर्स कामत, क्लोरोटेक, बेंगलूरु के माध्यम से रॉट-फिक्स शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए ब्राड स्पेक्ट्रम का पर्यावरण अनुकूल संरूप वाणिज्यि-करण किया गया।
- कोसा उत्पादन बढ़ाने के लिए "समृद्धि" [जुविनाइल हार्मोन एनालॉग] जेएचए के वाणिज्यिकरण के लिए मेसर्स सेरी-ग्रो प्रोडक्ट्स, बेंगलूरु के लाइसेंस का नवीकरण किया गया।
- "सेरिमोर", रेशमकीट की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला के वाणिज्यिकरण के लिए मैसर्स हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड [सेरिकेयर], बेंगलूरु के लाइसेंस का नवीकरण किया गया।
- एक सामान्य कीटाणुनाशी "सैनीटेक सुपर-40000 पीपीएम" के वाणिज्यिकरण के लिए मेसर्स हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड [सेरिकेयर], बेंगलूरु के लाइसेंस का नवीकरण किया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल), 03 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र (क्षेरेअके) और 13 अनुसंधान विस्तार केन्द्रों (अविके) सहित पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक निविष्ट प्रदान करके रेशम उत्पादन उद्योग का ध्यान रखता है। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

शहतूत फसल उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- पूर्ण और अर्ध उर्वरक खुराक अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्च उपज वाले शहतूत जीनोटाइप सी-9, जो नियंत्रण प्रजाति एस-1635 (क्रमश: 44.13 और 26.84 मी.टन/हेक्टेयर/-वर्ष) की तुलना में क्रमशः 49.89 और 34.01 मी.टन/हेक्टेयर/वर्ष की वार्षिक पर्ण उपज देता है तथा कम निवेश वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, का चयन किया गया।
- आर्द्र प्रतिबल की दशा में 30 आशाजनक शहतूत

जीनप्ररूप की पहचान की गई जो विद्यमान वर्षाश्रित किस्मों की तुलना में बेहतर उत्पादन करने के साथ सी-2038 (1.88 किग्रा/वर्ष) से भी अधिक बेहतर शारीरिकी विशेषक यथा, विशिष्ट पत्ता क्षेत्र (<250 ग्राम सेमी -2), क्लोरोफिल सामग्री (> 15 μ जीसीएम2), पत्ता का आकार (> 150 सेमी 2) और आर्द्रता तत्व (> 75%) के साथ-साथ वार्षिक पर्ण उपज (>1.963 किग्रा/पौधा) दे सकती है।

- नियंत्रण प्रजाति एस -1635 (328.33 ग्राम / पौध) की तुलना में समुद्री अपतृण अर्क के पर्ण छिड़काव (एस्कॉफाइलम नोडोसम @ 0.5 मिली/ ली; छंटाई के 21 और 28 दिनों बाद दो बार छिड़काव) से पर्ण उपज में 11% की वृद्धि हुई।
- शहतूत की कार्बन ग्रहण क्षमता के अध्ययन से पाया कि घास आवरण की दशा में मध्यम जुताई से शहतूत ने 632 किग्रा./हेक्टेयर/ फसल की दर से कार्बन ग्रहण किया और वहीं घास के आवरण के बिना यह गहन खेती में 576 किग्रा./ हेक्टेयर/फसल था।
- 5640 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये।
- एक चूर्णिल आसिता प्रतिरोधी, सी-1360 को विकसित किया गया तथा इसे शहतूत पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोग के अगले चरण में शामिल किया गया।
- सी -2038 (50-53 मी. टन/हे/वर्ष) की तुलना में ~ 9-16% अधिक पर्ण जैवमात्रा प्रदर्शित करने वाले दो जीवाण्विक पर्ण चित्ती (बीएलएस) प्रतिरोधी वंशक्रम की पहचान की गई।
- 182 बीपीएस (एमएम 68) और 190 बीपीएस (एमएम 128) आकार के दो आण्विक मार्करों का विकास किया गया जो चूर्णिल आसिता प्रतिरोध के साथ गहरा सहसंबंध रखते हैं।
- 154 शहतूत अभिगमों का मूल्यांकन किया गया और प्रजनन में उनके उपयोग के लिए श्वेत मक्खी ग्रसन के लिए तुलनात्मक रूप से सहनशील 10 अभिगमों की पहचान की गई।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादकता एवं संरक्षण

- व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राधिकृत द्विप्रज संकर बीक़ॉन1 X बीकॉन4 और बहु X द्वि-संकर एम 6 डीपीसी X (एसके 6 X एसके 7) प्राधिकृत किया।
- उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता (35 ± 10 और 85 ± 5%) के लिए दो नए संकर एचटीएच 3 × एचटीएच 6 तथा एचटीएच 4 × एचटीएच 9 सहिष्णु (> 65%) विकसित किये गये।
- एसके -6 X एसके -7 और बी कॉन1 X बी कॉन 4 से अधिक उच्च कोसा उपज के साथ दो नए द्विप्रज एकल संकर बीएचपी-2 X बीएचपी -8 और बीएचपी-3 X बीएचपी -8 विकसित किए गये।
- उपरति अवरोधक (आईडी) विशेषतओं के साथ पांच नस्लों का विकास किया गया, जैसे1) एम कॉन 4आईडी (छद्म रंगद्रव्य उपरति अवरोधक पीला अंडाकार कोसा), 2) एम कॉन 4आईडी (गैर छद्म उपरति अवरोधक पीला अंडाकार कोसा), 3) एम कॉन 4आईडी (छद्म गंजित मक्खन के रंग का कोसा), 4) बीकॉन 4आईडी (छद्म रंजित मक्खन के रंग का कोसा) और 5) बीएचबी आईडी (छद्म रंजित सफेद रंग अंडाकार और डंबल)। उनका उपयोग करके, दो संकर नस्ल (द्विप्रजXबहुप्रज) विकसित किए गये, जिनके बीजों का अण्डस्फुटन अम्लोपचार के बिना 90% से अधिक हुआ।
- जेनेरा रोडोवुलम, रोडोबैक्टर और रोडोसुडोमोनास से संबंधित तीन फोटोट्रोफिक जीवाण्विक उपभेदों के अर्क रेशमकीट में रोग प्रबंधन के लिए परीक्षण किए गए और उत्तरजीविता, कोसा कवच वजन और तंतु लंबाई पर कोई विषाक्त आविषालु प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा।
- पिचिया पेस्टोरिस में पूर्ण लंबाई के वसा प्रोटीन जीन को क्लोन किया गया तथा कोशिकाओं और अधिप्लवी दोनों से प्रोटीन निकालने के लिए तरल मीडिया में धन किया गया। पुन: संयोजक प्रोटीन जीवाणुरोधी परख के लिए प्रयोग किया जाता है।
- 25 डिग्री सेल्सियस के नियंत्रण के विपरीत 75% आरएच

के साथ 35 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रहने, कोशितीकरण और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (आरओएस) स्थिरीकरण क्षमताओं के आधार पर 11 द्विप्रज नस्लों की ताप-सहनशीलता का परीक्षण किया। तीन नस्लों ने (बीकॉन 4> बीकॉन1> बीएचआर-3) ने उत्तरजीविता और सुपरऑक्साइड विघटन (एसओडी) गतिविधि के आधार पर ताप-सहिष्णुता दिखाई। अस्तित्व के साथ एसओडी गतिविधि के काफी महत्वपूर्ण सहसंबंध से संकेत मिलता है कि इस एंजाइम को ताप प्रतिरोधी रेशम कीटों का चयन करने के लिए मार्कर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल: डेटा बेस और प्रौद्योगिकी का विकास

- 1349 किसानों का डेटाबेस तैयार किया गया और एमकिसान पोर्टल के माध्यम से पूर्ववर्ती और निवारक उपायों पर विभिन्न भाषाओं (जैसे बंगाली, हिंदी, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, खासी अंग्रेजी लिपि में) में 123 संदेश भेजे गए।
- "सेरी-5 के" पोर्टल में 4534 किसानों का नामांकन किया गया, और फसल-वार आंकड़ों को अप लोड किया गया।
- अनुसंधान व विकास गतिविधियों के ई-अनुवीक्षण के लिए सभी विद्यमान और समाप्त शोध परियोजनाओं को संस्थान की वेबसाइट (http://www.csrtiber.res.in) में अपलोड किया गया।
- मुर्शिदाबाद में केरेअवप्रसं, बरहमपुर का दौरा और रेशम के इतिहास पर दो वीडियो तैयार कर वितरित किए गए और संस्थान की वेबसाइट (http://-www.-csrtiber.res.in/ awareness_media.html) में भी अपलोड किया गया।
- आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए किसानों को रेशम उत्पादन सुधार पर आकाशवाणी के माध्यम से २४ "रेशम कथा" प्रसारित की गई।
- संस्थान ने अपने द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए टीवी कार्यक्रमों में 8 बार भाग लिया।
- हाल ही में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तिकाएं/पैम्फलेट संस्थान की वेबसाइट http://-www.csrtiber.res.in/ Brochure_pamphlets / Brochure.htm में अपलोड किए गए।
- वेबसाइट में 3 सफलता की कहानियाँ यथा अनिसुर रहमान-युवा रेशम उत्पादक के रूप में एक आदर्श मॉडल; रेशम उत्पादन में महिला शक्तियां सफलता का मार्ग दिखाती हैं और महिला-रेशम उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका, अपलोड की गयी।
- किसानों की जरूरतों को पूरा करने, कृषक हितैषी प्रौद्योगिकियों के बहु आयामी प्रचार हेतु कृषक के स्तर पर 381 विस्तार संचार कार्यक्रम [ईसीपी], यथा जागरूकता कार्यक्रम, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रदर्शनी, क्षेत्र प्रदर्शन आदि आयोजित किए गए ताकि कृषकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। साथ ही, किसानों को क्षेत्र-संबंधी आने वाली समस्या की पूर्व-चेतावनी दी गयी और 21416 पणधारियों को सुग्राही बनाया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर)

शहतूत फसल उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- एक नयी शहतूत उपजाति पीपीआर-1 विकसित की गयी । प्रगुणन के लिए पीपीआर-1 के 1600 पौधे लगाए गए और पौध उगाने को बढ़ाने के लिए नर्सरी क्यारियों में 10000 कतरनें लगायी गईं।
- कश्मीर क्षेत्र में मूल विगलन रोग के प्रबंधन के लिए एक तकनीक विकसित की गई।
- चार उच्च समशीतोष्ण शहतूत किस्मों से पृथक किए गए प्रोटोप्लास्ट को विभिन्न संयोजनों में मिलाया गया और संगलित प्रोटोप्लास्ट से किण [कोलस] प्रेरित किया गया।
- गोशोरामी उपजाति के लिए 83% की सफलता दर के साथ एक माइक्रो-प्रवर्धन प्रोटोकॉल विकसित किया गया।

जड़-कलम के माध्यम से एक वर्षीय एकल संयंत्र के उत्पादन की लागत रु.14.00 रुपये के विपरीत 9.00 रुपये थी और पॉली हाउस तकनीकों के माध्यम से 18.00 रुपये था।

- वसंत और शरद ऋतु के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए उपयुक्त सात शहतूत किस्मों के जैव रासायनिक विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। केएनजी किस्म ने प्रोटीन की उच्च सांद्रता और इचिनोस और टीआर-10 ने उच्च क्लोरोफिल सामग्री दर्शाई।
- 1000 डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गये और वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। 500 मिट्टी के नमूने एकत्र कर इनका विश्लेषण किया गया।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादकता और संरक्षण

- 16 नये प्रजनन वंशक्रम का विकास किया गया और वंशक्रम -14 ने 530 की औसत उर्वरता 98.86% अण्डस्फुटन और 74.75 किग्रा./100 रोमुच की कोसा उपज रिकार्ड की गयी।
- तीन ओवल X ओवल संकरों [जैसे, सीएसआर46 × एपीएस9 (ओ 1), एपीएस9 × बीबीई198 (ओ 2) और एपीएस5 × एपीएस9 (ओ3)] और एक डंबल X डंबल संकर (एसके6 × एसके7) की पहचान की गयी जो उत्तर भारत में शरद ऋतु के लिए उपयुक्त हैं। एपीएस9 × बीबीई198 (ओ2) एक्स (एसके 6 × एसके 7) और इसके पारस्परिक संकर से सेलम (त ना) में एपीएस 5 × एपीएस 9 (ओ 3) X(एसके 6 × एसके7) के लिए 81 किलोग्राम कोसा/100 रोमुच और 84 किलोग्राम कोसों का उत्पादन हुआ।
- रेशमकीट के लिए दृढ़ शहतूत पत्ती के माध्यम से एमिनो एसिड संपूरित की गई। नियंत्रण की तुलना में लार्वा वजन में 12-13% की वृद्धि, कवच वजन (0.39 ग्राम), एसआर% और रेशम तंतु लंबाई (916 मीटर) देखी गई।
- चॉकी कीटपालन केन्द्रों में रेशम कीटों के विषाणु की शीघ्र और तुरंत पहचान के लिए रोग प्रतिकारक आधारित बायोसेंसर विकसित करने के लिए पॉली क्लोनल रोग प्रतिकारक के उत्पादन हेतु बीएमएनपीवी एंटीजन तैयार किया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर (तमिलनाडु)

केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर (तमिलनाडु) भारत का प्रमुख रेशम जननद्रव्य संस्थान है जो रेशमकीट और परपोषी पौधा दोनों को संरक्षित करता है। इसे क्रमश: शहतूत और रेशम कीट जननद्रव्य के लिए राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली और राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (एनबीएआईआर), बेंगलूरु द्वारा राष्ट्रीय सक्रिय जननद्रव्य साइट (एनएजीएस) के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के दौरान लब्ध प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- सेमिनल वेसिरल से शुक्राणुओं के संग्रह और प्रसंस्करण, क्रयोपरीरक्षण के लिए बुर्सा कोपूलैट्रिक्स और स्पर्मातिका और ए.मैलिट्टा से वीर्य की प्रतिप्राप्ति आदि का मानक तैयार किया गया। संरक्षित वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाशय से 25% अंडस्फुटन रिकार्ड किया गया।
- कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से 55 नए शहतूत अभिगम एकत्र किए गए।
- 1292 (285 विदेशी और 1007 स्वदेशी) संरक्षित अभिगमों की कुल संख्या के लिए एक्स सीटू क्षेत्र जीन बैंक में 16 नए शहतूत अभिगमों को शामिल किया गया।
- अनुसंधान प्रयोजन के लिए 32 मांगकर्ताओं को 1125 शहतूत अभिगमों की आपूर्ति की।
- 475 (83 बहुप्रज, 369 द्विप्रज और 23 उत्परिवर्ती) अभिगमों की प्राप्ति के लिए रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक में 9 नए रेशमकीट अभिगम [4 द्विप्रज, 3 उत्परिवर्ती और 2 बहुप्रज] सम्मिलित किए गए।
- 26 बार में नौ मांगकर्ताओं के लिए 177 द्विप्रज रेशमकीट अभिगम और 11 मांगकर्ताओं को 274 बहुप्रज अभिगम की आपूर्ति की गई।

रेशम जैव-प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु (कर्नाटक)

रेशम जैव-प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिक उपकरणों का उपयोग करके रेशमकीट और उनके परपोषी पौधों पर गहन बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है। संस्थान कई विषय गत अभिगमों के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान संचालित करता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- डीएनवी-2 प्रतिरोधी नस्लों की पहचान करने के लिए एनएसडी-2, एक ग्राही जीन का उपयोग करके 48 उत्पादक द्विप्रज रेशमकीट अभिगमों की जांच की गई।
- मार्कर सहायता के चयन प्रजनन से सीएसआर6 और सीएसआर26 के लिए डीएनवी-2 प्रतिरोध का अनुक्रमण किया गया।
- दो उच्च उपज वाले द्विप्रज रेशम कीट नस्ल एमएएसएन6 और एमएएसएन7 को विकसित किया गया जो बीएमएनपीवी के प्रति सहिष्णु हैं और एनएसडी-2 मार्कर सहायता के चयन प्रजनन से डीएनवी-2 प्रतिरोध का प्रवर्तन हुआ।
- चयन किये गये 14 बहुप्रज और 14 द्विप्रज नस्लों में 14 कवकरोधी जीन का विश्लेषण किया गया और प्रजातियों में पांच जीनों जैसे एमिडेज़, ग्लोवरिन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और न्यूटल लिपेज की विभेदक अभिव्यक्ति मिली और कवकरोधी गुणों से संबंध स्थापित किया गया।
- जीवाणु ई.कोली में एलईएफ1 जीन के डीएसआरएनए का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ और प्रतिरोध शक्ति को प्रेरित करने के लिए एनपीवी संक्रमित रेशम कीड़े को खिलाया गया। नतीजे बताते हैं कि डीएसआरएनए खिलाए गए रेशम कीड़ों ने एनपीवी के साथ चुनौती पर 30-40% अधिक उत्तर जीविता देखी गईं।
- रेशम तंतु वर्णों से जुड़े तीन आण्विक मार्करों जैसे बीजीआईबीएमजीए 009925, फाइब-एल, और जीएफएल1 की पहचान की गई। क्लोनिंग और अनुक्रमण से बहुप्रज प्रजातियों में जीएफएल -1 के जीन अनुक्रम में विलोपन/सम्मिलन स्पष्ट हुआ और द्विप्रज प्रजातियों में ऐसी कोई भिन्नता नहीं देखी गई। एनसीबीआई ब्लास्ट ने बॉम्बिक्स मंडारीना इंट्रॉन/एक्सोन क्षेत्र में फाइब्रॉइन भारी श्रृंखला के साथ जीएफएल -1 की 86% समानता दिखाई।
- पिचिया पास्टोरिस खमीर में रेशम विलयन प्रोटीन (फाइब्रॉइन और सेक्रोपिन) का उत्पादन किया गया।
- क्षेत्र में मार्कर सहायता प्राप्त चयन प्रजनन के माध्यम से विकसित एनपीवी प्रतिरोधी रेशमकीट नस्लों (एमएएसएन4, एमएएसएन6 और एमएएसएन7) का मूल्यांकन किया गया और अच्छे कीट पालन और धागाकरण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए गर्मी के मौसम को छोड़कर अन्य मौसम में 75-90% तक उत्तरजीविता देखी गई।
- मूगा रेशम कीट, एंथेरिया एस्सामेन्सिस के संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित किया गया और यह पता चला कि जीनोम का आकार ~ 500 मिलियन बेसस (एमबी) है।
- ओक तसर में टाइगर बैंड रोग से जुड़े विषाणु को अलग किया गया और विकास के प्रारंभिक चरण में विषाणु का पता लगाने के लिए लैम्प तकनीक को मानकीकृत किया गया।

रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, बेंगलूरु (कर्नाटक)

रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, बेंगलूरु रेशमकीट बीज से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने और रेशम कीट बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- 9 बहुप्रज नस्लों/प्रजातियों के लिए रेशम कीट बीज संरक्षण प्रौद्योगिकी, जैसे तीन निस्तरी रेखाएं (चालसा, बालापुर और देबरा) और 6 बहुप्रज प्रजातियों एम12 डब्ल्यू, एल14, एपीडीआर15, एमएच1, पीएम और

सारुपत 30-40 दिनों के संरक्षण कार्यक्रम के लिए विकसित की गईं।

- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान [आईआईएचआर], बेंगलूरु में निकाले गये बारह वाष्पशील परपोषी पौधे की जांच अण्डनिक्षेपण के समय एफसी 1 x एफसी 2 के लिए की गई। तीन प्रारंभिक परीक्षण आयोजित किए गए और आगे की पुष्टि और रासायनिक संश्लेषण के लिए आशाजनक वाष्पशीलता को चुना गया है।
- मूगा रेशम कीट भ्रूण अलगाव के लिए प्रोटोकॉल का मानक तैयार किया गया। विभिन्न भ्रूण चरणों की पहचान की गई।
- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एवं केएस-एसआरडीआई, तलघट्टपुरा, केरेअवप्रसं, मैसूर और एपीएसएसआरडीआई, हिंदुपुर के विभिन्न मूबीफा/बीज क्षेत्रों में 16 रोग अनुवीक्षण सर्वेक्षण आयोजित किए गए।
- रारेबीसं के मूबीफा/रेबीउकें तथा द्विप्रज क्लस्टर/-आरएसपी से प्राप्त अंड कवच नमूनों, लार्वा एवं शलभ का परीक्षण किया गया। केरेजसंके, होसूर, पी 3 मूबीफा, मैसूर और हासन ने 12603 नमूनों के साथ 1010 लॉट का परीक्षण किया।
- वीएसएसपीसी, बेंगलूरु से प्राप्त 6000 रोमुच का संगरोध परीक्षण करके संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए प्रमाणित किया गया था।
- बारह बहुप्रज नस्लों/निस्तरी प्रजातियों (देबरा, चालसा और बालापुर), एम12 डब्ल्यू, शुद्ध मैसूर, सारुपत, एल14, एपीडीआर15 एमसीओएन1, एमसीओएन4, एम6 डीपीसी, एमएच1; 4 द्विप्रज नस्लों, एसके6, एसके7, बीसीओएन1, बीसीओएन4 (पश्चिम बंगाल) और 1 एकप्रज नस्ल बरपत (जम्मू-कश्मीर) को नस्ल के लक्षणों अनुसार रखरखाव किया गया।
- रोग नियंत्रण और विसंक्रमण, माता शलभ परीक्षण, उर्वरकों के अनुप्रयोग और मृदा परीक्षण, शीतनिष्क्रियता कार्यक्रम, भ्रूण पृथक्करण प्रौद्योगिकी, बीज फसल कीट-पालन के लिए शहतूत बाग का पैकेज आदि पर 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए और मस्कार्डिन रोग नियंत्रण पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। कुल 579 लाभार्थियों को लाभ हुआ।

केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, रांची (झारखंड)

केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रांची (झारखंड) एक आईएसओ 9001: 2008 मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों तसर क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य के संचालन और कुशल जनशक्ति के सृजन में वस्त्र मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सम्मानित है। यह प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है और तसर संवर्धन से जुड़े पणधारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन्हें [प्रौद्योगिकियों को] क्षेत्र में स्थानांतरित करता है। यह सात क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों, दस अनुसंधान विस्तार केंद्रों और तीन पी 4 रेशमकीट प्रजनन केन्द्रों के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से सभी तसर उत्पादन करने वाले राज्यों को समर्थन प्रदान करता है। वर्ष के दौरान संस्थान और इसकी अधीनस्थ इकाइयों की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

परपोषी पादप उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- तसर रेशम कृषकों को 440 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।
- टी अर्जुन के 10 अभिगमों के शुष्कता प्रतिरोध का परीक्षण किया गया और अभिगम संख्या 525 और संख्या 523 के लिए बेहतर पौध रोपण वृद्धि, शारीरिक और जैव रासायनिक विशेषताओं सहित उच्च प्रतिबल सहनशील सूचकांक के मामले में उत्तम पाए गए।
- पृथक पश्चिम सिंहभूम के विभिन्न तसर कीटपालन क्षेत्रों से 57 एज़ोटोबैक्टर आइसोलेट को पृथक कर वन और ब्लॉक बागान में तसर परपोषी पौधों की वृद्धि और पर्ण पोषक सामग्री पर हुए प्रभाव का परीक्षण किया गया है।
- पीएसबी आइसोलेट में ब्रोमोफेनॉल ब्लू डाई का उपयोग

करके फॉस्फेट घुलनशीलता के परीक्षण हेतु नयाचार का मानक तैयार किया गया।

रेशम कीट उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- मातृ शलभ में आलेपन की स्पष्टता को बढ़ाने, कोशिकीय मलबे को हटाने, पेब्रिन बीजाणु की मुक्ति एवं दर्शनीयता आदि को बढ़ाते हुए आसानी से पेब्रिन का पता लगाने के लिए पेब्रिन विजुअलाइजेशन सॅल्यूशन (पीवीएस) विकसित किया । झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, म.प्र, महाराष्ट्र और आं प्र में क्षेत्र इकाइयों में इस तकनीक के निष्कर्ष को मान्यता प्रदान की गई।
- उप-घातक तापमान पर खुला रखते हुए ताप-सहिष्णु वंशक्रमों की दो पीढ़ियों (एस1 और एस2) का विकास किया गया। ताप-सहिष्णु वंशक्रमों की पहचान के लिए एससीएआर मार्कर विकसित किए गए।
- 3 स्थानों पर सीटीआर-14 का परीक्षण किया गया, परिणामत: उत्पादकता में नियंत्रण से अधिक 20-22% लाभ दर्शित हुआ।
- पारिस्थितिक प्रजाति को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए कोर अंचल में आंध्र स्थानीय तसर पारि प्रजाति के 4481 रोमुच विमोचित किया गया और 2100 बीज कोसों को संरक्षित किया गया।
- पारि-प्रजाति संरक्षण और लोकप्रियता कार्यक्रम के तहत पारि-प्रजाति भंडारा के 1200 रोमुच का उत्पादन किया गया और 12430 बीज कोसा को संरक्षित किया गया।
- पारि-प्रजाति संरक्षण और लोकप्रियता कार्यक्रम के तहत पारि-प्रजाति सरिहन के 3000 रोमुच का उत्पादन तथा किसानों को 2200 रोमुच का वितरण और 9350 बीज कोसों को संरक्षित किया गया।
- पारि-प्रजाति सुकिंदा के 10005 बीज कोसे संरक्षित किये गये।
- ओडिशा में तसर पारिस्थितिकी प्रजाति की संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए कोसा और शलभों का आकृतिमान [मॉर्फोमैट्रिक] विश्लेषण किया गया।
- विभिन्न पारिस्थितिक स्थल में वन्य कोसे की उपलब्धता पर एकत्रित जानकारी और वन्य तसर आबादी की उपलब्धता पर जीआईएस और सुदूर संवेदन डेटा का उपयोग करके एक अनुमानित मानचित्र तैयार किया। यह पाया गया कि कियोंझार और मयूरभंज जिले के साथ ही नुपादा क्षेत्र वन्य क्षेत्र के मुख्य भंडार हैं।
- आवर्ती चयन के माध्यम से उच्च रेशम उपज के साथ तसर रेशम कीट विकसित करने के लिए नर और मादा के लिए अलग-अलग कोसा वजन, कवच वजन और कोशीय वजन हेतु एकल कोसा मूल्यांकन किया।
- तसर रेशमकीट की विभिन्न पारि-प्रजाति के कोसों से सेरिसिन को शुद्ध को और कर उनके लक्षण निर्धारण किए गए। सेरिसिन के जैविक गुणों का अध्ययन किया गया जैसे हाइड्रोजन पेरॉक्साइड अपमार्जित क्षमता, डीपीपीएच अपमार्जित क्षमता, एलपीएक्स, एंटी-टायरोसिनेज और एंटी-इलास्टस गतिविधि का अवरोध आदि। देखा गया है कि अन्य पारि-प्रजाति से पृथक सेरिसिन की तुलना में रैली पारि-प्रजाति कोसों के सेरिसिन में टायरोसिन और प्रति-मेलानोजेनिक गतिविधि की अधिक मात्रा होती है और बाज़ार में मानक सेरिसिन उपलब्ध होती है।
- हटगमरिया, खारसवां, बेंगाबाद (झारखंड), बरिपदा (ओडिशा), कपिष्ठा (पश्चिम बंगाल) और कठघोरा (छत्तीसगढ़) में किसान स्तर पर बड़े पैमाने पर तसर अमृत (अर्ध सिंथेटिक आहार) का परीक्षण किया गया। यह कीट उत्पीड़न के कारण कूर्चन नुकसान और प्रारंभिक मृत्यु दर को कम करता है और इससे प्रारंभिक पांच दिनों के दौरान 80-94% लार्वा उत्तरजीविता देखी गई।
- इक्न्यूमॉनिड वर्र को नियंत्रित करने के लिए एक तकनीक विकसित करने हेतु तसर परपोषी संयंत्र और एंथेरिया माइलिट्टा से आहार और कताई चरणों में वाष्पशीलता निकाली गई। इलेक्ट्रो-एंटेनोग्राम (ईएजी) और ओल्फ़ैक्टोमीटर का उपयोग करके इन वाष्पशील पदार्थों के लिए पीली मक्खी के श्रृंगिक [ऐंटेलन] प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया।

तसर कोसोत्तर प्रौद्योगिकियाँ

- तसर के कच्चे रेशम यार्न के श्रेणीकरण के लिए, आर्द्र धागाकरण मशीन के साथ-साथ मोटरीकृत तसर धागाकरण मशीन (चरखा) का उपयोग करके 60 डेनियर (नाममात्र) के तसर धागे के नमूने (नियंत्रण) तैयार किए गए।
- डाबा कोसों के लिए गैर-पेरॉक्साइड कोसा शुष्कन परीक्षण पूरा किया गया। यह देखा गया कि 5 ग्राम/ली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइ-कार्बोनेट प्रत्येक को 30 मिनट तक उबालकर और 30 मिनट तक वाष्पित करने से एकल कोसा गुणवत्ता संबंधी विशेषताओं और धागाकरण प्रदर्शन में डाबा कोसे मृदु हो जाते हैं।
- तसर कोसोत्तर कोसा प्रौद्योगिकी प्रचालन में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, सभी उपकरणों, सहायक उपकरण के साथ 10 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया।

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ (असम)

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, जोरहाट अपने अधीनस्थ अनुसंधान केंद्रों और इकाइयों यथा क्षेमूअके, बोको; क्षेएअके मेंदीपाथर, क्षेएअके शादनगर; तथा अनुसंधान विस्तार केन्द्र लखीमपुर, कूचबिहार, तुरा, डिफू, कोकराझार और फतेहपुर, विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में रेशम संवर्धन विकास के लिए मूगा और एरी क्षेत्र को अनुसंधान व विकास समर्थन प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास कार्य की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

परपोषी पौधा उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- मूगा रेशम कीट परपोषी पौधा, सोम के प्रति, एक व्यापक पोषक प्रबंधन पैकेज विकसित करने के लिए पर्ण आर्द्रता, प्रोटीन और फिनॉल तत्वों के साथ 19 आकृति लक्षणों का मूल्यांकन किया गया।
- एरंडी (एरी परपोषी पौध) मूलपरिवेश से विरोधी बैक्टीरिया को पहचान कर पृथक किया गया और एरंडी के आल्टरनेरिया शीर्णन के लिए प्रभावी पाया गया।
- ऊपरी असम में मूगा विकसित क्षेत्रों के पास हाइड्रोकार्बन प्रदूषित मिट्टी में जैव-पृष्ठ सक्रियक जीवाणु जैसे बैसिलस एसपी, एंटरोकोक्कस एसपी, स्यूडोमोनास एसपी, स्टाफिलोकोक्कस एसपी, और स्टैफिलोकॉक्कस एसपी को पहचाना गया।
- असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के 608 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।
- 180740 मूगा परपोषी पौधों का रोपण किया गया और 27996 पौधों की आपूर्ति की गईं।
- 52500 एरी परपोषी पौधों को रोपित कर किसानों को 13570 पौधों की आपूर्ति की गई।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादन और संरक्षण

- मूगा रेशमकीट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को अनुक्रमित, मानचित्रित और प्रकाशित है किया गया।
- दो उच्च उपज वाले मूगा रेशम कीट सीएमआर-1 और सीएमआर-2 का परीक्षण किया जा रहा है।
- एरी रेशम कीड़े के दो नए संयोजन जैसे वाईपी x जीबीजेड (कवच वजन 0.53 ग्राम; जनन क्षमता 352) और जीबीएस x जीबीजेड (कवच वजन 0.55 ग्रा; जनन क्षमता 355) विकसित किए गए जो विद्यमान वाणिज्यिक नस्ल से बेहतर हैं।
- कीट पालन क्षेत्र को विसंक्रमित करने के लिए एक नया रासायनिक फार्मूला विकसित किया गया।
- गोलाघाट, असम में मूगा रेशम कीट और अन्य वन्य रेशम शलभों का विश्व में पहली बार स्वस्थाने संरक्षण साइट की स्थापना की गई।
- मूगा रेशमकीट पालन में कीड़-मकोड़ों को नियंत्रित करने के लिए सौर एलईडी जाल को परखने से इसे प्रभावी पाया गया।

- मूगा परपोषी पौधों और रेशम कीटों की बीमारियों के लिए पूर्वसूचना और पूर्व सावधानी प्रणाली विकसित की गई। वर्ष के दौरान, 181035 किसानों को एसएमएस भेजे गए।
- उपचारित बांस का उपयोग करके एरी की 2000 मुड़ने वाली चंद्रिकाएँ तैयार की गई और असम एवं नागालैंड के विभिन्न स्थानों में किसानों/लाभार्थियों को वितरित की गईं।
- मूगा रेशम कीट में फ्लेचरी रोग से जुड़े मध्यांत्र माइक्रोबायम्स की पहचान की गई।
- मूगा रेशम कीट (एंथेरिया एनामेन्सिस हेल्फर) में पेब्रिन के पार संचरण की जांच करने के लिए 30 अन्य शल्क पंखी प्रजातियों से इल्ली की जांच की गई और 20 प्रजातियाँ पेब्रिन रोग से ग्रस्त देखी गई।
- ऊपरी असम के जिलों में मूगा उगाये जाने वाले क्षेत्रों की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया गया ताकि कीटनाशक छिड़काव के कारण मूगा फसल के संभावित नुकसान को निर्धारित किया जा सके।
- रेशम निदेशालय, असम के बोगिडोला फार्म में मौसम जानकारी स्टेशन की स्थापना की गई।

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु (कर्नाटक)

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो रेशम प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगा हुआ है। संस्थान को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। 2017-18 के दौरान संस्थान और इसके 23 उप-इकाइयों के महत्वपूर्ण योगदान निम्नानुसार हैं:

अनुसंधान

- प्रतिदिन 1.2 मी. टन कोसा को सुखाने की क्षमता वाली एक कन्वेयर शुष्कन मशीन विकसित की गई।
- मूगा कोसा के "भीर रीलिंग" के स्थान पर एक नई मशीन "सोनालिका" विकसित की गई।
- कोसा पकाने और रंगाई की छोटी मशीन के लिए पूर्वोपचार उपकरण तथा एरी कोसा खोलने की मशीन, विकसित की गई।
- कच्चे रेशम की लच्छियों के लपेटने में बेहतर निष्पादन के लिए वाष्पन तकनीक विकसित की गई।
- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले भारतीय रेशम का उपयोग करके विविध रेशम बुनाई उत्पादों/वस्त्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- एचटीएचपी विधि का उपयोग कर रेशम धागों से सेरिसिन के निष्कर्षण की तकनीक विकसित की गईं।
- कोसा पकाने के लिए पूर्व-उपचार प्रक्रिया और तसर कोसों को पकाने के लिए पकाने/मृदुकरण का रासायनिक नुस्खा नामत: "तसर प्लस" विकसित किया गया।
- धागाकरण प्रक्रिया में सेरिसिन/गुवार गोंद का उपयोग करके बहुप्रज कच्चे रेशम तथा तसर रेशम के सुसंगत लक्षणों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि तसर रेशम की रील पारगम्य प्रक्रिया में तसर रेशम पर बहुप्रज कच्चे रेशम और 6 जीपीएल गुवार गोंद/3 जीपीएल सेरिसिन विलेपन से सुसंगत लक्षणों में काफी सुधार हुआ है।
- सेरिसीन विघटन विशेषताओं और धागाकरण क्षमता पर इसके प्रभाव की जांच की गईं और पाया कि 92 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए कोसों का उबालने के बाद सेरिसिन विघटित द्रव नमूने के परीक्षण द्वारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवशोषण का उपयोग करके धागाकरण को परिकलित किया जा सकता है।
- सक्रिय कार्बन और जैव-शोषी के उपयोग से 100% लेड और कैडमियम, 94% क्रोमियम और 84% तांबे को हटाकर सामयिक त्वचा अनुप्रयोगों के लिए शुद्ध शहतूत रेशम सेरिसिन को व्यवस्थित रूप से शुद्ध किया गया।

पेटेंट

- जैकार्ड के लिए वायवीय उत्थाक तंत्र का उपयोग करके उन्नत हथकरघा और (ii) उन्नत धागाकरण सह लपेटन मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त किया गया।

विकसित उत्पाद

- शहतूत की एक सादा जर्सी और डिजिटल प्रिंट का महिलाओं का टॉप
- टाई एवं डाई सूत के साथ शहतूत इंटरलॉक संरचना
- डिजाइन घटक के रूप में रंगाई विविधता के साथ शहतूत और सूती संयोजित बुनाई
- महिलाओं के टॉप के लिए शहतूत जैकार्ड से बुनी डिजाइन
- शहतूत और सूती सम्मिश्रित धागे से बने बुने वस्त्र

परीक्षण

कोसा, कच्चे रेशम, कपड़े, रंग, पानी इत्यादि के कुल 1,04,120 नमूने लॉट का परीक्षण भौतिक, रासायनिक और पर्यावरण पैरामीटर के लिए किए गए।

II. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर (कर्नाटक)

- 1652 विस्तार संचार कार्यक्रमों के माध्यम से 1.22 लाख रेशम संवर्धन किसानों/हितधारकों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को सुग्राह्य बनाया गया।
- आकाशवाणी, मैसूर के माध्यम से रेशम संवर्धन प्रौद्योगिकियों पर 39 साप्ताहिक कार्यक्रम, 'रेशम वाहिनी' आयोजित की गई।
- रेशम निदेशालय, कर्नाटक के समन्वय से रेशम कृषक उत्पादकों के संगठनों (कर्नाटक में कोप्पा और मददूर) को हाथों हाथ तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- एम-किसान के माध्यम से, (तमिल, कन्नड़, तेलुगू और हिंदी) 60,600 किसानों को 97 संदेश भेजे गए।
- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया और दस लाभार्थियों को ट्रे प्रक्षालन सह कीटाणुनाशी मशीनों की आपूर्ति की गई।
- किसानों को उन्नत शहतूत रेशम संवर्धन प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए हासन (कर्नाटक), चेब्रोलू (आंध्र प्रदेश), सिद्धिपेट (तेलंगाना), बारामती (महाराष्ट्र) और कृष्णागिरी (तमिलनाडु) में रेशम कृषक की कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- विभिन्न भाषाओं (तमिल, कन्नड़, तेलुगू, अंग्रेजी और हिंदी) में शहतूत रेशम संवर्धन के लिए " टेकनॉलजी डिस्क्रिप्टर" प्रकाशित की गई।
- स्वचालित कीटाणुनाशी प्रौद्योगिकी, वृक्षनुमा शहतूत खेती और रेशम कीटपालन गृहों की डिजाइन पर हैंडबुक (कन्नड़ और अंग्रेजी) प्रकाशित हुई।
- जैव-नियंत्रण अभिकारकों (ऊजी मक्खी के लिए नेसोलिंक्स थाइमस, मिलीबग्स के लिए सिमनस कोक्सीवोरा बीटल्स, क्राइसोपरला ज़स्त्रोवी और थ्रिप्स के लिए ब्रैंकन ब्रेविकोर्निस) का व्यापक उत्पादन किया गया और शहतूत/रेशमकीटों के प्रभावी प्रबंधन के लिए किसानों को वितरित किया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

- देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 15 सेरी-मॉडल गांवों की स्थापना की गई। 1210 लाभार्थियों के बीच अलग-अलग प्रौद्योगिकी पैकेज (सिंचित: 700; वर्षाश्रित: 510) वितरित किए गए।
- चार प्रौद्योगिकियों जैसे श्वेतमक्खी प्रबंधन के लिए थियामेथॉक्सम (0.015%), प्रमुख शहतूत पीड़क के प्रबंधन के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप्स, मिट्टी परीक्षण आधारित सल्फर उर्वरक अनुप्रयोग और नमी प्रतिधारण के लिए वर्षाश्रित स्थिति के अंतर्गत 1% पोटैशियम क्लोराइड (जलजीविनी) का पर्णीय अनुप्रयोग आदि को लोकप्रिय बनाया गया।

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ (असम)

- तीन वन्य रेशम कृषि मेले, 15 क्षेत्र दिवस, 17 कृषक दिवस, 22 जागरूकता कार्यक्रम और 35 समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं।

- नौ रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) के अंतर्गत मूगा एवं एरी की आधुनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों की जानकारी हेतु 2505 कृषकों/लाभार्थियों के लिए क्षेत्र दिवस, जागरूकता सम्मिलन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जैसे कार्यकलाप संपन्न किए गए।
- नौ रेशम उत्पादन आदर्श ग्राम (एसएमवी) के अधीन 2505 से अधिक कृषकों/लाभार्थियों को मूगा एवं एरी की अद्यतन तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों की जानकारी दी गई।

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु (कर्नाटक)

- देश के विभिन्न रेशम क्लस्टरों में 3882 पणधारी को शामिल करते हुए 103 विस्तार संसूचना कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 5 पणधारी मेला, 23 जागरूकता कार्यक्रम, 70 समूह चर्चा। सेमिनार तथा 4 प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम शामिल है।
- मुख्य संस्थान तथा उप-इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्र समस्याओं/मामलों के हल/मार्गदर्शन के लिए 231 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, 329 क्षेत्र कार्यक्रम तथा 1572 क्षेत्र वीक्षण किए गए।
- सीएसएस के अधीन क्षेत्र में सात स्वचालित धागाकरण मशीन, 47 बहु-छोरीय धागाकरण मशीन, 10 ऐंठन इकाई, 20 सौर्य प्रचालित कताई मशीन, 911 तसर धागाकरण (बुनियाद) मशीन, 2 स्वचालित तसर कोसा छंटाई मशीन, 8 उष्ण वायु शुष्कक तथा 14 बॉयलर स्थापित किए गए।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, देश में रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के विकास के लिए इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन (आई एस सी), बेंगलूरु, भारत से संबद्ध है। भारत में अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन कांग्रेस के आयोजन के दौरान केरेबो, रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकार एवं प्रख्यात संस्थाओं को संलग्न कर सका।

वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगी कार्यक्रम में निम्न पहल की गई:

- रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के सहयोग के लिए गांधीनगर में 30 जून, 2017 से 2 जुलाई 2017 तक संपन्न टेक्स्टाइल इंडिया कोन्क्लेव में केरेबो एवं गुवांगक्सी कृषि विभाग, गुवांक्सी, चीन के साथ समझौता करार पर 1 जुलाई, 2017 को हस्ताक्षर किया गया। पहली बार रेशम क्षेत्र में भारत एवं चीन के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता करार में दिए गए लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए सहयोगी परियोजना तैयार की जा रही है।
- बुलगेरिया के साथ सहयोगी परियोजना के अंतर्गत बुलगेरिया से लाई गई रेशमकीट आनुवंशिक सामग्री का प्रजनन परीक्षण केरेअवप्रसं, मैसूरु में किया जा रहा है। वर्तमान में ये प्रजनन नस्ल एफ 5 पीढ़ी में है (>24% रेशम, >90% उत्तरजीविता एवं 4 ए ग्रेड रेशम) और 18 महीनों में संकर विश्लेषण के लिए उपलब्ध होंगे। सहयोगी अनुसंधान परियोजना सही दिशा में चल रही है और उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण रेशम के साथ पर्याप्त संख्या में रेशमकीट संकर प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
- केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान एवं डेकिन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के बीच निम्नलिखित सहयोगी परियोजनाएँ संबंधित प्रयोगशालाओं में प्रगति पर हैं:

1. वस्त्र सामग्री के लिए सेरिसिन आधारित नैनो फिनिश का विकास।
2. रेशम वस्त्र के फोटो डिग्रेडेशन पर अध्ययन और।
3. जैव-सामग्री उपयोग के लिए इलेक्ट्रो स्पॅन रेशम फाइब्रोइन नैनो- मिश्रित तंतु पर अध्ययन।

परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषक नामत: श्री एस.ए. हिप्पर्गी, वैज्ञानिक-डी, डॉ. नवीन वी. पडकी, वैज्ञानिक-सी एवं डॉ. ब्रोजेश्वरी दास, वैज्ञानिक-सी को 7 से 11 अगस्त 2017 के दौरान डेकिन विश्वविद्यालय के प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अद्यतन प्रौद्योगिक प्रयोगों के संबंध में प्रशिक्षण के लिए डेकिन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया प्रतिनियुक्त किया गया।

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण

इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन, बेंगलूरु के अनुरोध पर केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु द्वारा 16 से 26 अप्रैल 2017 तक कोसोत्तर प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । 8 देश नामत: बंगलादेश, मिश्र, घाना, ईरान, मडगास्कर, केन्या, रोमानिया तथा थाइलैण्ड से कुल 18 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया ।

वन्य रेशम शलभों पर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई सी डब्ल्यू एस-2018)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाइल्ड सिल्क मॉथ्स, जापान ने संयुक्त रूप में 22 से 24 जनवरी 2018 तक होटल रेडिसन ब्लू, गुवाहाटी, भारत में वन्य रेशम शल्भों पर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन का उद्घाटन श्री अजय टम्टा, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री ने किया । कान्फ्रेन्स में 16 देश-बांगलादेश, मिश्र, जापान, भारत, चीन, केन्या, इथियोपिया, फ्रांस, घाना, तुर्की, इथियोपिया रवाण्डा, रोमानिया, थाइलैण्ड, पारागुवे तथा ब्राजील के 303 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन में छ: सत्रों में मौखिक तथा पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से 185 वैज्ञानिक शोध–पत्र प्रस्तुत किए गए । सम्मेलन के साथ-साथ रेशम उत्पादन एवं रेशम पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई ।

इस सम्मेलन को प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता तथा प्रस्तुतियों की गुणवत्ता के संदर्भ में अब तक आयोजित वन्य रेशम शलभ की अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी के सबसे बेहतर कार्यक्रमों में एक माना गया । यह पहली बार है कि रेशम पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में आयोजित किया गया । उत्तर-पूर्व के विभिन्न रेशम उत्पादों को वैश्विक रेशम बाज़ार में प्रदर्शित करने के प्रति यह कार्यक्रम एक अपूर्व अवसर था ।

केरेबो पदधारियों द्वारा अन्य देशों की यात्रा

डॉ. उदय सी. जावली, वैज्ञानिक-डी को "रैली कोसा के पकाने की समुचित प्रौद्योगिकी का विकास तथा मानकीकरण" पर 19 से 23 जून 2017 तक अनुसंधानगत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

III- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

रेशम उद्योग में मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्य से क्षमता विकास व प्रशिक्षण प्रभाग ने अनुसंधान व विकास तथा बीज संस्थानों के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान 15,270 व्यक्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 17,292 व्यक्तियों को शामिल किया है । इसमें कृषक, बीज उत्पादक, धागाकार, अन्य उद्योग के पणधारी, विद्यार्थी, विस्तार एजेंट, प्रशिक्षक, अनुसंधान व विकास तथा तकनीकी कार्मिक शामिल हैं। क्षमता विकास व प्रशिक्षण प्रभाग ने केरेबो द्वारा कुशलता बढ़ाने तथा कुशलता विकास के ऐसे सभी प्रयासों का समन्वयन किया जिसमें सभी चार रेशम उप-क्षेत्र नामत: शहतूत, तसर, एरी तथा मूगा से संबंधित रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी कार्यकलाप शामिल हैं । संस्थान तथा कार्यक्रम-वार कवरेज विवरण तालिका 3.3 तथा 3.4 में प्रस्तुत है:

तालिका 3.3: वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थान-वार कवरेज का ब्यौरा

क	**अवधि क्षेत्र**	**भौतिक**
	केरेअवप्रसं, मैसूर	3,528
	केरेअवप्रसं, बरहमपुर	3,566
	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	1,684
	केतअवप्रसं, रांची	1,147
	केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़	2,595
	केरेप्रौअसं, बेंगलूरु	1,506
	उप-कुल (क)	**14,026**
ख	**बीज क्षेत्र**	
	रारेबीसं, बेंगलूरु	301
	बुतरेबीसं, बिलासपुर	1,016
	रेबीप्रौप्र, कोडत्ति	198
	मूरेबीसं व एरेबीसं	242
	उप-कुल (ख)	**1,757**
ग	**क्षमता विकास व प्रशिक्षण प्रभाग, बेंगलूरु**	**1,509**
कुल योग(क+ख+ग)		**17,292**

IV. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- **एम-किसान :** केरेबो, कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम-किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझाव उपलब्ध कराने हेतु सूचना-प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत करने

तालिका 3.4: वर्ष 2016-17 के दौरान संवर्ग-वार कवरेज का ब्यौरा

#	प्रशिक्षण संवर्ग	कवरेज
क	रेशम उत्पादन कृषक कौशल प्रशिक्षण व अध्ययन भ्रमण	9,508
ख	रेशम धागाकार, ऐंठनकार, रंगरेज, प्रिंटर, बुनकर	1,362
ग	निजी बीज उत्पादक, अपनाए गए बीज कीटपालक, समर्थन कर्मचारी व बीज कर्मचारी	1,408
घ	केरेबो वैज्ञानिक, अन्य कर्मचारी व राज्य सरकार के कर्मचारी	1,901
ङ	रेशम उत्पादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थी	35
च	अन्य प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	3,078
	कुल	**17,292**

में सफल हुआ है । वर्ष 2017-18 में 16,10,700 कृषकों को 364 सुझाव भेजे गए ।

- **एसएमएस सेवा' :** कृषकों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोसों के दैनिक बाज़ार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से "एसएमएस सेवा" प्रचालित की गई है । पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है । दैनिक आधार पर सभी कार्यदिवस को सभी पंजीकृत 5634 पणधारियों को एसएमएस संदेश भेजे गए ।
- **सिल्क पोर्टल :** उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है । बहुभाषी, बहु जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।
- **सेरी-5के** डेटाबेस पूरे देश के द्विप्रज क्लस्टर के कृषकों के रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए तैयार कर इसे विकसित किया गया है ।
- **वीडियो कान्फ्रेंस :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड में केरेबो कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु, बहरमपुर व पाम्पोर, केतअवप्रसं, राँची, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध है । 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक 46 बहुस्थानीय वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित किए गए ।
- **केरेबो वेबसाइट :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in" द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है । इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, को अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है । वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफल कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं । केरेबो ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू अनुकूल तथा सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है ।
- **ऑनलाइन आवेदन पत्र :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करता है जिससे काम पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करना सहज एवं सुगम होता है । इससे आवेदन पत्र की विभिन्न शर्तों को प्रभावी ढंग से निपटाया जाएगा तथा समयानुसार प्रक्रिया पूरी होगी ।
- **एईबीएएस :** आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली केन्द्रीय रेशम बोर्ड में लागू की जा रही है । उपस्थिति पोर्टल में फार्म कामगार सहित 4600 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है । 81 इकाइयों में एईबीएएस कार्यान्वित किया गया है और 90 उपकरण आरडी सर्विस एनेबल्ड है ।
- **विंडोज आधारित लेखा सॉफ्टवेयर :** डीओएस आधारित एफएएस/पीआरएस पैकेज को सफलतापूर्वक विंडोज आधारित एफएएस/पीआरएस में अतिरिक्त अनुकूल गुणों के साथ परिवर्तित किया गया । 45 इकाईयों में इसका कार्यान्वयन पूरा हो चुका है और शेष प्रत्यायोजित इकाईयों में इसका कार्यान्वयन प्रगति पर है ।
- **कृषकों तथा धागाकारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस :** राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा धागाकारों के डेटाबेस के लिए कृषक एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया

गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी । डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान 5,86,407 कृषकों एवं 7902 धागाकारों के विवरण रिकार्ड किए गए हैं ।

- "उत्तर पूर्वी राज्यों में गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना" (एनईआरटीपीएस) पर एमआईएस : गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन के लिए एम-आईएस विकसित कर सभी पणधारियों द्वारा समस्या रहित संपर्क के लिए इसे समर्पित सर्वर पर होस्ट किया गया है।
- शिकायत और वीआईपी संदर्भ के प्रबंधन के लिए डेटाबेस प्रोग्राम तैयार कर विकसित किया गया।
- पेंशन कागजातों के डिजिटिलीकरण के लिए एक सॉफ्ट-वेयर तैयार कर विकसित किया गया। सुरक्षा और सुगम प्रबंधन के लिए सभी पेंशन अभिलेख डिजिटलीकृत है ।

ख. बीज संगठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास बुनियादी एवं वाणिज्यिक बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रति जिम्मेवार संगठन जैसे राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रारेबीसं), बेंगलूरु, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं), बिलासपुर, मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं) तथा एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं) गुवाहाटी उपलब्ध हैं । इन संगठनों ने शहतूत तथा वन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोग मुक्त चकत्तों के बीज कोसा उत्पादन हेतु मानक निर्धारित किए हैं ।

शहतूत बीज क्षेत्र - राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन देश का प्रमुख रेशमकीट बीज उत्पादन संगठन है जो अपने बुनियादी बीज फार्मों (बुबीफा) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी रेशमकीट बीज का अनुरक्षण एवं आपूर्ति करता है । इसके अतिरिक्त, यह द्विप्रज संकर बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम से आयात अनुपूरक द्विप्रज रेशम के उत्पादन का समर्थन करता है । वाणिज्यिक बीज आइएसओ प्रमाणित रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में उत्पादित किया जाता है । अपने अब तक के इतिहास में सर्वाधिक द्विप्रज संकरों के उत्पादन में रारेबीसं ने संकर रेशमकीट बीज के लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखा है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, रारेबीसं ने अपने अधिदेश और समर्पित दल के कार्य से बुनियादी और वाणिज्यिक रेशमकीट बीज सहित विभिन्न पणधारियों की बीज आवश्यकता को पूरा किया ।

बुनियादी बीज फार्मों में बीज कोसा उत्पादन तथा बुनियादी रेशमकीट बीज उत्पादन

बुनियादी बीज फार्म बुनियादी बीज उत्पादित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज कोसे उत्पादित करते हैं । बीज के रख-रखाव तथा प्रगुणन (पी3, पी2 तथा पी1) के लिए योजना तैयारी, कार्यकलापों का वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध कार्यान्वयन किया जाता है जिसके उपरांत रारेबीसं के 20 बुनियादी बीज फार्मों (14 द्विप्रज एवं 6 बहुप्रज) तथा एक मात्र रेशम उत्पादन विकास केन्द्र में अनुमोदित नस्लों के प्रगुणन का एक तरफा प्रगुणन प्रणाली का अनुपालन किया जाता है । 75.80 लाख द्विप्रज एवं 44.58 लाख बहुप्रज बीज कोसों (पी3- पी1) के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 68.15 लाख द्विप्रज एवं 36.38 लाख बहुप्रज बीज कोसे उत्पादित किए गए । इन बीज कोसों का उपयोग करते हुए कुल 10.74 लाख बुनियादी बीज (9.16 लाख द्विप्रज तथा 1.58 लाख बहुप्रज) वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादित किए गए । वर्ष 2017-18 के दौरान 8.92 लाख बुनियादी बीज की कुल मात्रा वितरित की गई । (7.34 लाख द्विप्रज तथा 1.58 लाख बहुप्रज) वर्ष 2017-18 के दोरान बुनियादी बीज का उत्पादन और आपूर्ति (पी3,पी2 और पी1

तालिका 3.5:बुनियादी बीज उत्पादन एवं आपूर्ति (रोमुच की संख्या)

	नस्ल	पी3	पी2	पी1	कुल
उत्पादन	द्विप्रज	4804	43172	867961	**915937**
	बहुप्रज	1620	12810	143921	**158351**
	कुल	**6424**	**55982**	**1011882**	**1074288**
आपूर्ति	द्विप्रज	1880	25232	706422	**733534**
	बहुप्रज	1620	12810	143694	**158124**
	कुल	**3500**	**38042**	**850116**	**891658**

स्तर में द्विप्रज और बहुप्रज) विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए द्विप्रज एवं बहुप्रज बीज का तुलनात्मक उत्पादन चित्र 3.1 में दिया गया है ।

चित्र 3.1 : वर्ष-वार द्विप्रज एवं बहुप्रज बीज उत्पादन (लाख में)

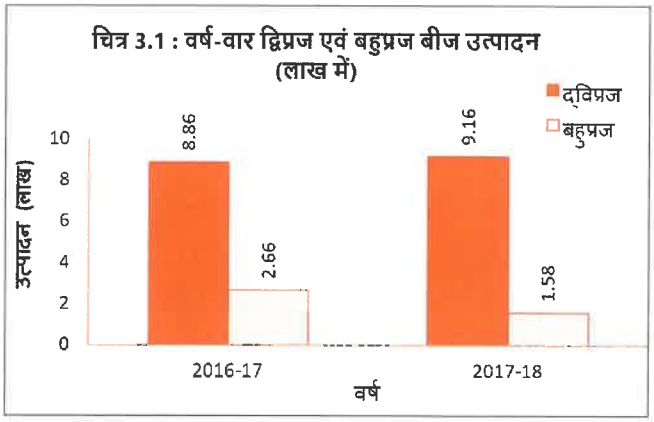

गुणवत्तापूर्ण पैतृक (पी1) बीज कोसों का उत्पादन

विभिन्न रेबीउके द्वारा अपनाए गए तकनीकी रूप से कुशल एवं सक्षम बीज कीटपालकों को सन्निहित करते हुए सफल अंगीकृत बीज कीटपालक' प्रणाली की सहायता से वर्ष के दौरान द्विप्रज संकर तथा संकर नस्ल रोमुच के उत्पादन के लिए 1200 लाख द्विप्रज बीज कोसे उत्पादित किए गए । रेबीउके के अतिरिक्त, रारेबीसं द्वारा दक्षिण भारत में 54.57 लाख (36.10 लाख-पश्चिम बंगाल, 18.47 लाख- उत्तर प्रदेश) द्विप्रज बीज कोसों के उत्पादन तथा 50.03 लाख बीज कोसो (32.44 लाख-पश्चिम बंगाल, 17.59 लाख-उत्तर प्रदेश) की मांग के सापेक्ष उनको इसकी आपूर्ति करते हुए, रेशम निदेशालयों, पंजीकृत बीज उत्पादक तथा पश्चिम बंगाल के रेबीउके, रारेबीसं, रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों को भी सहायता प्रदान की गई है ।

कुनिगल स्थित बीज कोसा प्रापण केन्द्र द्वारा संकर नस्ल चकत्ते तैयार करने के लिए 50.32 लाख बहुप्रज बीज कोसों को प्राप्त करते हुए रेबीउके को सहायता प्रदान की गई । रेबीउके, मदनपल्ली के अधीन पुन्गनूर द्वारा रेबीउके में एन x द्वि रोमुच के उत्पादन के लिए संबंधित क्षेत्र के अपनाए गए बीज कीटपालकों के माध्यम से क्रमश: 3.40 लाख निस्तरी बीज कोसे उत्पादित किए गए ।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक बीज उत्पादन

गुणवत्तापूर्ण वाणिज्यिक रेशमकीट संकर रोमुच (द्विप्रज X द्विप्रज एवं बहुप्रज x द्विप्रज) का उत्पादन एवं कृषकों में उनका वितरण भी अधिदेशित कार्य-कलापों में से एक है । तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 440.00 लाख रोमुच के लक्ष्य के सापेक्ष 388.36 लाख रोमुच उत्पादित किए गए। कुल उत्पादित 388.36 लाख रोमुच में से 314.24 लाख रोमुच द्विप्रज संकर (80.91%) थे, जबकि संकर नस्ल चकत्ते 74.12 लाख रोमुच (19.09%) थे (तालिका 3.6)। इसमें 1.02 लाख सी एस आर संकर, 290.79 लाख द्विसंकर, 7.96 लाख पंरपरागत संकर, 13.13 लाख बुनियादी संकर (एसके6 x एसके7) तथा 1.34 लाख नए संकर शामिल हैं । बहु-द्विप्रज रोमुच के उत्पादन के संबंध में, एन X द्वि (36.46 लाख) मुख्य उत्पादन रहा, इसके उपरांत निस्तरी x एम 12 डब्लयू (22.52 लाख) का स्थान रहा । दक्षिण क्षेत्र द्वारा भी 5.06 लाख पीएम X सीएसआर2 तथा 9.21 लाख पीएम X एफसी2 रोमुच उत्पादित किया गया।

तालिका 3.6: रोमुच का संयोजन-वार लक्ष्य एवं उत्पादन (लाख में)

संयोजन		लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
द्विप्रज संकर	सीएसआर2xसीएसआर4	10.00	1.02	10.20
	एफसी1 x एफसी2	316.50	290.79	91.88
	एसके6 x एसके 7	11.00	13.13	119.36
	एसएच6 x एनबी4डी2	16.50	7.96	48.24
	अन्य		1.34	
कुल		354.00	314.24	88.77
बहु X द्विप्रज संकर	पीएम xसीएसआर2	13.00	5.06	38.92
	पीएम xएफसी2		9.21	
	एन xद्वि	39.00	36.46	93.49
	एन xएम12 (डब्ल्यू)	34.00	22.52	66.24
	अन्य		0.88	
कुल		86.00	74.12	86.19
कुल योग		440.00	388.36	88.26

गुणवत्तापूर्ण एफ 1 रोमुच का उत्पादन

बीज उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाते हुए सभी रेबीउके में बीज

गुणवत्ता का रखरखाव किया जाता है। दक्षिण क्षेत्र में उत्पादित बहु X द्विप्रज संकर में अंडा पुन: प्राप्ति 28.00% मानक के सापेक्ष 30.46% रहा। द्विप्रज संकर में सी एस आर संकरों के मामले में औसत अंडा उत्पादकता 60 ग्रा/कि.ग्रा के मानक के सापेक्ष 52.34 ग्रा/कि.ग्रा तथा द्वि संकर के लिए 65 ग्रा/कि.ग्रा कोसा के मानक के सापेक्ष 74.92 ग्रा/कि.ग्रा कोसा रहा।

द्विप्रज बीज की आपूर्ति

वर्ष के दौरान 324.25 लाख द्विप्रज संकर रोमुच की आपूर्ति विभिन्न राज्यों को की गई, जो अब तक सर्वाधिक है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान रारेबीसं द्वारा विभिन्न राज्य विभागों को 70.77 लाख बहु-द्विप्रज संकर रोमुच की आपूर्ति भी की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान द्विप्रज संकर रोमुच का वितरण चित्र 3.2 में उल्लिखित है।

चित्र 3.2 : रारेबीसं के रेबीउके में वर्ष-वार द्विप्रज संकर रोमुच का वितरण (लाख में)

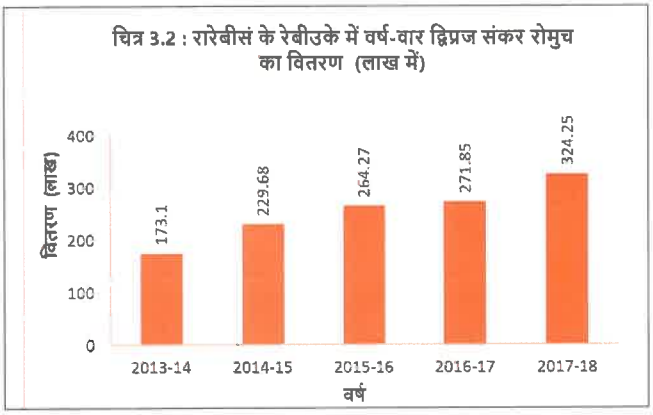

इसके अलावा, प्राधिकरण परीक्षण के अंतर्गत 1.34 लाख द्विप्रज X द्विप्रज संयोजन को सन्निहित करते हुए 2.22 लाख रोमुच तथा बहु X द्वि संयोजन के 0.88 लाख रोमुच का उत्पादन किया गया तथा मूल्यांकन के लिए इसकी आपूर्ति की गई।

विस्तार कार्य-कलाप

रेशम सेवा केन्द्र तथा रेशम सेवा एकक विस्तार एकक, सहित रेबीउके के वैज्ञानिकों के साथ जिन्हें रारेबीसं के क्लस्टरों के लिए सीडीएफ के रूप में पहचाना गया है, द्वारा रारेबीसं के रेबीउके में उत्पादित वाणिज्यिक बीज के वितरण तथा फसल अनुश्रवण एवं क्षेत्र में प्रमाणिक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। वर्ष के दौरान एसएससी एवं एसएसयू द्वारा 94.68 लाख रोमुच का वितरण किया गया जिसमें 62.29 लाख द्विप्रज संकर रोमुच शामिल है।

(क) क्लस्टर प्रोन्नति कार्यक्रम: रारेबीसं के वैज्ञानिकों द्वारा रारेबीसं के 16 क्लस्टरों का अनुश्रवण किया गया। 38.30 लाख रोमुच के लक्ष्य के सापेक्ष 39.38 लाख रोमुच का वितरण किया गया जिससे 102.82% की उपलब्धि हुई और आकलित कच्चा रेशम उत्पादन 38557 मी.टन रहा।

(ख) संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम: 1.03 लाख द्विप्रज संकर रोमुच का वितरण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में किया गया और उपरोक्त राज्यों में अभिलेखानुसार औसत उत्पादन क्रमश: 72.84 कि.ग्रा, 72.92 कि.ग्रा तथा 80.50 कि.ग्रा प्रति 100 रोमुच रहा।

(ग) चॉकी कीटपालन केन्द्र छूट योजना: चॉकी कीटपालन केन्द्र छूट योजना के माध्यम से द्विप्रज संकर रोमुच का वितरण बहुत लोकप्रिय हुआ और वर्ष के दौरान 169.76 लाख रोमुच का वितरण किया गया।

(घ) विस्तार संसूचना कार्यक्रम: वर्ष के दौरान क्लस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 125 समूह चर्चा, 46 कृषक दिवस तथा 24 क्षेत्र दिवस आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त इकाईयों द्वारा 7 रेडियो तथा 7 टीवी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

रारेबीसं द्वारा बीज फसल पालन तथा बीज उत्पादन सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन एवं आयोजन भी किया गया। वर्ष के दौरान कुल 302 कृषकों एवं रेशम निदेशालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, एक वैज्ञानिक को "संसूचना एवं प्रस्तुतीकरण कौशल" पर प्रशिक्षित किया गया।

बीज अधिनियम का कार्यान्वयन

रारेबीसं द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रयासों को जारी रखा

गया । वर्ष के दौरान पंजीकरण के लिए प्राप्त 2385 नए आवेदनों की जांच कर इस पर कार्रवाई की गई । 136 आरएसपी, 79 आरसीआर एवं 2170 आरएससीपी से संबंधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 19 आरएसपी, 35 आरसीआर एवं 497 आरएससीपी से संबंधित आवेदन का नवीकरण किया गया । सभी बीज अधिकारियों एवं बीज विश्लेषकों को जोड़ते हुए नियमित रूप से अधिसूचित किया गया । बीज विश्लेषकों तथा बीज अधिकारियों द्वारा प्रणाली तथा उत्पाद प्रमाणन के उद्देश्य से आरएसपी एवं आरएसआर के परिसर का ऑन-साइट निरीक्षण किया गया । चॉकी कीटपालन के लिए केरेअवप्रसं, मैसूरु तथा बीज उत्पादन के लिए रेबीप्रौप्र, कोडत्ति में तीन महीने के प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । चॉकी कीटपालन में 3 बैचों में 63 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है । 53 चॉकी कीटपालकों/आरएसपी को पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त 10 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन पर रारेबीसं का प्रभाव

रारेबीसं, द्विप्रज संकर रोमुच उत्पादन में निस्संदेह अग्रणी है और रारेबीसं के इतिहास में सबसे अधिक – 324.25 लाख द्विप्रज संकर रोमुच के वितरण के माध्यम से देश के द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन के लिए लगभग 70% का सीधा योगदान तथा वाणिज्यिक द्विप्रज रेशमकीट बीज उत्पादनार्थ इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्य रेशम उत्पादन विभागों को द्विप्रज बुनियादी बीज की आपूर्ति के माध्यम से 30% अप्रत्यक्ष योगदान देते हुए द्विप्रज संकर रोमुच उत्पादन में अमिट छाप छोड़ते हुए देश में द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है ।

वन्य बीज क्षेत्र

उष्णकटिबंधीय तसर: बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रचालित 21 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र तथा कोटा, छत्तीसगढ़ के केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र के माध्यम से क्रमबद्ध बीज उत्पादन एवं उष्णकटिबंधीय तसर की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं । केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र विभिन्न रेशमकीट प्रजातियों के जननद्रव्य के रखरखाव के अलावा बुबीप्रवप्रके को आगे प्रगुणन के लिए तसर आण्विक बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए जिम्मेदार हैं । केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान बुबीप्रवप्रके के विद्यमान स्टॉक की पुन: पूर्ति के लिए 0.36 लाख तसर आण्विक रोमुच का उत्पादन एवं आपूर्ति की गई । इन 21 बुबीप्रवप्रके द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 38.10 लाख रोमुच का उत्पादन किया गया । इसके अलावा बुतरेबीसं द्वारा भी निजी बीज उत्पादकों को शामिल करते हुए 13.88 लाख रोमुच का उत्पादन किया गया ।

ओक तसर: 6 राज्यों में स्थित दो क्षेतअके, एक ओक तसर बीजागार, तीन अविके तथा दो अविके-सह-बुबीप्रवप्रके द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान ओक तसर बीज का संचयी उत्पादन 0.47 लाख रोमुच रहा ।

मूगा बीज: मूगा बीज विकास परियोजना के अधीन केरेबो द्वारा स्थापित मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं) में दो पी4 एवं पांच पी3 मूगा बीज केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र) तथा दस पी2 बीज केन्द्र एवं छ: धागाकरण इकाई (राज्य क्षेत्र) शामिल है । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन पुनर्गठित मूरेबीसं में बुनियादी बीज के उत्पादन के लिए दो पी4 इकाई, छ: पी3 इकाई एवं वाणिज्यिक बीज के उत्पादन के लिए एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र है । इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अधीन तीन मूगा पी3 बुनियादी बीज केन्द्र तथा एक रेबीउके भी स्थापित किए गए हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान मूगा बुनियादी बीज केन्द्रों द्वारा संचयी उत्पादन 5.02 लाख मूगा रोमुच था और असम के कलियाबारी (बोको) स्थित एक मूगा रेबीउके द्वारा 2.06 लाख मूगा रोमुच का उत्पादन किया गया ।

एरी बीज: गुवाहाटी, असम स्थित एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं) द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न राज्य विभागों को वितरण के लिए 6.88 लाख एरी रोमुच का उत्पादन करते हुए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपने एकल एरी रेबीउके तथा अपरम्परागत राज्यों में स्थित चार एरी रेबीउके के साथ अच्छा प्रदर्शन दिया । उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत एक पी2 एरी बुनियादी बीज फार्म की स्थापना की गई है ।

ग. समन्वय तथा बाजार विकास

I. समन्वय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड को देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के अलावा, रेशम उद्योग से संबंधित मामलों में भारत सरकार को आवश्यक सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केरेबो बेंगलूरु स्थित अपने सचिवालय के साथ देश के विभिन्न भागों में स्थित अनुसंधान व विकास संस्थान, बीज संगठन,क्षेत्रीय कार्यालय तथा कच्चा माल बैंकों के माध्यम से ये कार्य-कलाप करता है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न विकासशील और परस्पर-संबद्ध सहायता कार्यक्रम के साथ-साथ अनुसंधान व विकास योजनाओं के कार्यान्वयन किए जाते हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेका) राज्यों, रेशम उत्पादन विभागों और अपने कार्यक्षेत्र की अधीनस्थ इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखते हैं । वे संबंधित राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों से संबंधित इन अभिकरणों से समन्वय करते हैं । केरेबो के विभिन्न स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई और पटना में स्थित 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।

समुचित समन्वय के प्रभावी संचालन हेतु कार्य व्यवस्था के निकटस्थ अनुश्रवण हेतु नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता एवं चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को विकेंद्रित कर संबंधित अंचलों में क्षेत्रीय कार्यालयों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभालने के लिए इन्हें क्षेत्रीय -सह-आँचलिक कार्यालयों के रूप में पदनामित किया गया है ।

निर्यात संवर्धन योजना

निर्यात संवर्धन योजना के एक भाग के रूप में, केरेबो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रमाणन केन्द्रों के माध्यम से रेशम निर्यात में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहा है ।

- बोर्ड द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार के भुगतान पर निर्यात के लिए रेशम माल का स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण करता है ।
- रेशम माल के निरीक्षण तथा निर्यातकों की स्व-घोषणा पर जीएसपी, हथकरघा प्रमाण-पत्र, मूल एवं हथकरघा प्रमाण-पत्र सहित विविध टैरिफ प्रमाण-पत्र जारी करना ।
- निर्यात के लिए रेशम अवशिष्ट का निरीक्षण एवं प्रमाणन ।
- केरेबो, निर्यातक अथवा आयातक के अनुरोध पर निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में 'स्वैच्छिक आधार योजना' के अधीन प्राकृतिक रेशम कालीन का निरीक्षण करता है।
- प्रमाणन केन्द्रों से जुड़ी प्रयोगशालाओं के माध्यम से रेशम गुणवत्ता की जांच, घटक सूत की पहचान एवं उसका प्रतिशत, भौतिक/रासायनिक गुण एवं अन्य प्राचलों के लिए वस्त्र परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है ।
- अन्य संगठन जैसे सीमा शुल्क विभाग, विदेशी व्यापार महानिदेशालय, रेशम उत्पादन निदेशालय, वस्त्र संस्थान, निजी फर्म तथा व्यक्तियों द्वारा संपर्क करने पर उत्पादों में घटक सूत पहचानने तथा रेशम के अंश का प्रतिशत जानने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान केरेबो के प्रमाणन केन्द्रों द्वारा स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए रु. 121.21 करोड़ के लगभग 9.58 लाख वर्ग मीटर के प्राकृतिक रेशम/मिश्रित रेशम माल प्रमाणित किए गए (तालिका 3.7) । इस योजना के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार, खाली

तालिका 3.7 वर्ष 2017-18 के दौरान स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत प्रमाणित प्राकृतिक रेशम माल का केन्द्र-वार

प्रमाणन केन्द्र	प्रमाणित रेशम माल (लाख वर्ग मीटर)	मूल्य
मुंबई	0.22	8.96
बेंगलूरु	6.88	37.15
नई दिल्ली	1.55	36.19
कोलकाता	0.35	2.52
चेन्नई	0.46	22.25
वाराणसी	0.057	0.23
श्रीनगर	0.066	13.59
हैदराबाद	0	0.32
कुल योग	9.583	121.21

प्रपत्रों की बिक्री, नमूना परीक्षण प्रभार तथा जीएसपी, हथकरघा प्रमाण-पत्र, स्रोत प्रमाण-पत्र, हथकरघा प्रमाण-पत्र, हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र सहित विविध टैरिफ प्रमाण-पत्र जारी करने से कुल रु. 8,13,907 की आय सृजित की गई । प्रमाणन केन्द्र, बेंगलूरु द्वारा 100% निर्यात उन्मुख इकाईयों द्वारा निर्यात किए गए रु. 2.77 करोड़ मूल्य के 27,533 वर्ग मीटर रेशम माल का प्रमाणन किया गया । वर्ष के दौरान केरेबो के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद एवं चेन्नई द्वारा रु. 17.35 करोड़ के 2,93,198 कि.ग्रा. रेशम अवशिष्ट का प्रमाणन किया गया (तालिका 3.8) ।

तालिका 3.8 : वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमाणन केन्द्रों द्वारा प्रमाणित रेशम अवशिष्ट का विवरण

प्रमाणन केन्द्र	परिमाण (किग्रा)	मूल्य (रुपये करोड़ में)
चेन्नई	288956	17.22
हैदराबाद	4242	0.13
कुल	**293198**	**17.35**

II. विपणन विकास

तसर और मूगा के लिए कच्चा माल बैंक

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन 'न लाभ न हानि' के आधार पर प्राथमिक उत्पादों को समर्थन देने एवं एक-समान मूल्य पर कोसों की आपूर्ति करने तथा बिचौलियों के शोषण से कीटपालकों की हितों की रक्षा करने के लिए कोसों और उपोत्पादन हेतु कच्चे माल बैंकों (क मा बैं) की स्थापना की है। ये केन्द्र उत्पादन के लिए सही प्रोत्साहन सुनिश्चित करते हैं, लाभार्थियों को कोसा एवं कच्चे रेशम के बाज़ार दरों में काफी उतार-चढ़ाव से मुक्ति दिलाते हैं और रेशम सामग्री के वास्तविक प्रयोक्ताओं एवं निर्माणी निर्यातकों को सतत मूल्य पर आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं ।

चार उप-डिपो (भंडारा, रायगढ़, वारंगल और भागलपुर) के साथ चाईबासा (झारखण्ड) में तसर के कच्चा माल बैंक और 3 उप-डिपो के साथ शिबसागर (असम) में मूगा कमाबैं बुनियादी तसर एवं मूगा कोसा उत्पादकों के लिए किफायती एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान कमाबैं द्वारा किए गए लेन-देन का विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: कच्चा माल बैंकों का निष्पादन

(इकाई: मात्रा लाख सं. तथा मूल्य लाख रु.में)

क्षेत्र	कोसा क्रय		कोसा विक्रय	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तसर	158.18	180.78	157.65	225.32
मूगा	1.59	2.32	1.59	2.43

घ. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं)

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों में एक है- गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के प्रति उपयुक्त उपाय करना । इस योजना के अधीन, "कोसा परीक्षण इकाइयाँ एवं कच्चा रेशम परीक्षण इकाइयाँ और "रेशम मार्क का संवर्धन" नामक दो घटकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

कोसों की गुणवत्ता, उत्पादित कच्चे रेशम के धागाकरण एवं गुणवत्ता के निष्पादन को प्रभावित करती है । अब तक उविका के अंतर्गत विभिन्न कोसा बाजारों में कुल 55 कोसा परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कोसों के परीक्षण में सुविधा प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं) के माध्यम से "रेशम मार्क योजना" को लोकप्रिय बना रहा है। "रेशम मार्क" एक गुणवत्ता आश्वासन लेबल है जो शुद्ध रेशम के नाम पर मिश्रित एवं नकली उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केन्द्रों के तंत्र, जो स्वतंत्र रूप से तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध हैं, रेशम मार्क योजना का संवर्धन कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप शुद्ध रेशम उत्पादों के उपभोक्ताओं को उनकी मुद्रा का सही मूल्य दिलाता है तथा रेशम मूल्य श्रृंखला के पणधारियों को बड़े पैमाने पर व्यापार दिलाने में मदद करता है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (गु प्र प्र) योजना के अंतर्गत हुई प्रगति तालिका 3.10 में दी गई है।

तालिका 3.10: गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त प्रगति

विवरण	2017-18		2018-19
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
अधिकृत प्रयोक्ता पंजीकरण (संख्या)	250	271	250
बेचे गए रेशम मार्क लेबल (लाख संख्या)	27.5	23.94	27
जागरुकता कार्यक्रम : प्रदर्शनी/मेला/ कार्यशाला/सड़क प्रदर्शनी (सं)	450	553	480
कोसा परीक्षण केन्द्र (संख्या)	0	0	8
कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र (संख्या)	0	0	3
प्राधिकृत प्रयोक्ता परिसर में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या			2595
आयोजित निगरानी कार्यक्रमों की संख्या			1760
"सिल्क मार्क वोग" पत्रिका के ग्राहकों की संख्या			321

भारतीय रेशम मार्क संगठन ने केरेबो एवं भारतीय रेशम मार्क संगठन की मुख्य उपलब्धियों को उजागर कर बड़ा थीम पवीलियन लगाते हुए कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया जो नीचे दिए गए हैं:

- भारतीय रेशम मार्क संगठन ने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गांधी नगर, गुजरात में 30 जून से 2 जुलाई 2017 तक आयोजित एक मेगा इवेंट "टेक्स्टाइल्स इंडिया 2017" में "सिल्कस ऑफ इंडिया" नामक पवीलियन लगाते हुए समन्वयन किया जिसमें रेशम उत्पादन कार्यकलापों का जीवंत प्रदर्शन,नव विकसित रेशम उत्पादों का प्रदर्शन और नव विकसित "बुनियाद" तसर धागाकरण मशीन का प्रदर्शन किया गया। निर्यात बाजार की संभावना का पता लगाने के लिए रेशम मार्क के सदस्यों को मंच प्रदान करने के लिए भारेमासं द्वारा बेंगलूरु, कोचिन, वाराणसी, अहमदाबाद एवं मुंबई के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को इमदादी दर पर स्टॉल किराये पर प्रदान किए गए जिसे विभिन्न देशों के रेशम निर्यातकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन, बेंगलूरु चैप्टर ने होटल ललित अशोक, कुमार कृपा रोड, बेंगलूरु में थीम पवेलियन की व्यवस्था की और 11 व 12 मार्च, 2018 को "टैक्सटाइल्स इन कर्नाटक 2018" में भाग लिया। प्रदर्शन के लिए रेशम मार्क के 6 प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को 100% प्राकृतिक रेशम उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए मुफ्त में जगह दिलायी गयी।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाइल्ड सिल्क माथ्स (आईएसडब्ल्यूएस), जापान द्वारा 22 से 25 जनवरी, 2018 तक हॉटल रेडिसेन ब्लु, गुवाहाटी में वन्य रेशम शलभ पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में रेशम मार्क प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। थीम पवेलियन में प्रदर्शन के लिए सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों, 3 वन्य रेशम उत्पादक राज्यों तथा 2 विदेशी उद्यमियों एवं 16 प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को जगह दिलायी गयी। मंत्रालय व राज्य सरकार से कई वीवीआईपी, सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का वीक्षण किया और भारेमासं तथा केरेबो के प्रयासों की सराहना की। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विशेष डिजाइनों एवं उत्पादों पर फैशन शो का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत एवं विदेश के भावी क्रेताओं एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों के वन्य रेशम के प्राथमिक उत्पादकों के लिए मंच प्रदान करने के प्रति क्रेता-विक्रेता सम्मिलन की व्यवस्था की गई।

इस अवधि के दौरान रेशम मार्क का संदेश फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परस्पर परिचर्चा कार्यशाला, रोड शो आदि प्रचार कार्यक्रम भारेमासं द्वारा आयोजित किए गए, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- भारतीय रेशम मार्क संगठन, पालक्काड़ चैपटर द्वारा 08.10.2017 को रेना इवेंट हब, कोच्चि में श्रीमती सिल्क मार्क- कोच्चि 2017 के ग्रैण्ड फिनाले का आयोजन किया। निर्णायकों के पैनल ने श्रीमती सिल्क मार्क एवं दो रनर अप का चयन किया और पुरस्कार वितरण डॉ. थॉमस चांडी, आईएफएस, प्रधान सचिव सह पीसीसीएफ, सिक्किम सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र की नई डिजाइनों को प्रोत्साहित करने के लिए फैशन शो की व्यवस्था की गई। उत्तर-पूर्व राज्यों के 10 प्रख्यात डिजाइनरों ने शो में भाग लिया। केरेबो के वीएसएमपीसी/पी3डी कक्ष के समर्थन से वन्य रेशम

उत्पादों के वाणिज्यिकरण पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया और 50 पणधारियों ने भाग लिया।

- वन्य रेशम वस्त्र का उपयोग करते हुए नया पैटर्न विकसित करने के लिए स्थानीय उभरते डिजाइनरों के लाभार्थ एनईडीएफआई हाउस, गुवाहाटी में "शुद्ध रेशम डिजाइन प्रतियोगिता" के नए संकल्प का आयोजन किया गया। भारतीय रेशम मार्क संगठन ने सर्वोत्तम डिजाइन किए गए वस्त्र के लिए पुरस्कार प्रदान किया।
- भारेमासं, बेंगलूरु चैप्टर ने जिला बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा कुप्पना पार्क, मैसूर में 21.09.2017 से 02.10.2017 तक आयोजित मैसूर दशहरा पुष्प प्रदर्शिनी में भाग लिया। पुष्प प्रदर्शिनी में रेशम मार्क थीम को 2 तितलियों की सुंदर लाल और सफेद रंग के गुलाब के फूल और अस्परागस घास के साथ बनाया गया। 50000 से अधिक लोगों ने पुष्प प्रदर्शिनी का वीक्षण किया।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन, हैदराबाद चैप्टर द्वारा 22.02.2018 को चाम्पा के तसर रेशम पणधारियों के लाभार्थ कोसा यांत्रीकृत रेशम धागाकरण मशीन, रेशम रंगाई तकनीक तथा रंग पूर्वानुमान कार्यनीति पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- "सुआलकुची तंत शिल्प उन्नयन समिति", एक गैर-सरकारी संगठन के साथ भारेमासं ने सुआलकुची के प्रख्यात मूगा बुनाई कल्स्टर में परीक्षण केन्द्र स्थापित किया और यह केन्द्र शुद्ध रेशम उत्पादों के बुनकरों व उपभोक्ताओं को परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
- रेशम मार्क ने आंध्र प्रदेश हथकरघा व हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (लिपाक्षी), आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में "रेशम घर-होम ऑफ प्योर इंडियन सिल्कस" स्थापित किया और विभिन्न रेशम क्लस्टरों के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को स्टॉल के लिए जगह प्रदान की।
- भारेमासं ने एनएचडीसी, चेन्नई तथा वीएसएमपीसी के साथ चंदेरी के उत्पाद तथा संदूर कुशला कला केन्द्रा को शामिल करते हुए 2 ऑडियो विडियो फिल्म की तैयारी, उत्पादन,संपादन तथा समग्र विकास में समन्वय किया।
- गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद एवं बेंगलूरु में कुल 6 रेशम मार्क प्रदर्शनियां आयोजित की गई। लगभग 31000 उपभोक्ताओं ने प्रदर्शनी का वीक्षण किया और रु. 8.80 करोड़ का व्यापार हुआ।

अन्य कार्यक्रम/योजनाएँ/परियोजनाएँ

प्रचार एवं मीडिया कार्यक्रम

प्रचार एवं मीडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

प्रकाशन

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इंडियन सिल्क- भारत के रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग को समर्पित द्विभाषी औद्योगिक जर्नल का प्रकाशन जारी रखा। वर्तमान में यह जर्नल प्रकाशन के 56वें वर्ष में है। 30 जून – 2 जुलाई, 2017 के दौरान गांधी नगर, गुजरात में आयोजित टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 पर विशेष अंक (जुलाई-अगस्त, 2017) निकाला गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। 22-24 जनवरी, 2018 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित वन्य रेशम शलभ पर 8वें अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर इंडियन सिल्क का दूसरा अंक निकाला गया (दिसंबर 2017- जनवरी, 2018) जिसमें वैश्विक वन्य रेशम क्षेत्र की स्थिति, उसमें किए गए अनुसंधान व विकास पहल के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के लेख शामिल किए गए।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी व हिन्दी में नवंबर, 2017 के दौरान प्रकाशित किया गया और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह केरेबो और इसकी अधीनस्थ इकाईयों के अनुसंधान व विकास, विभिन्न राज्यों में केरेबो और रेशम निदेशालय द्वारा कार्यान्वित परियोजना एवं योजना और भारतीय रेशम उद्योग की समग्र स्थिति एवं विकास संबंधी संपूर्ण सूचना देता है।

वर्ष के दौरान प्रकाशित अन्य प्रकाशन निम्नलिखित है :

क. बहु-रंगी कैलेण्डर-2018 : रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के कोसा पूर्व और कोसोत्तर गतिविधियों पर

उपक्षेवसंयो के प्रभाव का चित्रण कर बहु-रंगी टेबल-टॉप कैलेण्डर 2018 का मुद्रण किया।

ख. नव वर्ष 2018 की डायरी: केरेबो द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा रेशम निदेशालय के कार्यालयों, सांख्यिकी तथा रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग संबंधी अन्य उपयोगी सूचनाओं के साथ नव वर्ष की डायरी निकाली गयी।

ग. सेरी-ब्रीडर्स मीट- स्थिति पत्र (स्टैटस पेपर) : इस प्रकाशन में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु में 20-21 फरवरी, 2018 के दौरान सेरी-ब्रीडर्स मीट के अवसर पर चयनित वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए शहतूत तथा रेशमकीट प्रजनन प्रौद्योगिकी के अनेक मामले तथा भविष्य में विकास संबंधी कार्यनीति के स्थिति लेख निहित है।

घ. रेशम संवाद (विकास के लिए संवाद): यह 36 पृष्ठ की बहु-रंगी पुस्तिका है जिसमें अध्यक्ष, केरेबो के पणधारियों तथा विभिन्न विकासात्मक मामलों, समस्याओं तथा संभावनाओं से संबंधित नीति निर्धारकों के साथ विभिन्न अन्योन्य क्रिया कार्यक्रम संबंधी सूचना निहित है जो 4 महीने में एक बार निकाली जाती है।

ङ. रेशमे वाणी: यह रेशम उत्पादन कार्यकलापों पर कन्नड़ भाषा में 8 पृष्ठ का न्यूज लेटर है जो राज्य के रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के पणधारियों/विस्तार कार्मिकों के लाभ के लिए है । इस न्यूज लेटर में कोसा-पूर्व तथा कोसोत्तर प्रौद्योगिकी, सफलता की गाथाएं, रेशम-मूल्य, मौसम का पूर्वानुमान, रेशम समाचार तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्य कार्यकलापों संबंधी सूचना निहित है । इसका प्रथम अंक (जनवरी-मार्च 2018) प्रकाशित किया गया है।

च. रेशम भारती: हिन्दी में अर्धवार्षिक गृह पत्रिका रेशम भारती के जून 2017 अंक जिसमें रेशम उत्पादन तथा सामान्य लेख शामिल है, का प्रकाशन एवं परिचालन अक्टूबर 2017 में किया गया।

प्रेस व मीडिया संबंध

प्रेस व मीडिया संबंध के एक भाग के रूप में प्रचार अनुभाग ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को कई प्रेस नोट जारी किए और अंग्रेजी तथा दूसरी भाषाओं में विभिन्न समाचार पत्रों एवं ऑल इंडिया रेडिया तथा दूरदर्शन सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया में रेशम उत्पादन एवं रेशम से संबंधित कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया। इनमें मुख्य हैं:

1. केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा 9 मई, 2017 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन।
2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के नए सदस्य सचिव के रूप में 6 नवंबर, 2017 को श्री राजित रंजन ओखण्डियार, भावसे द्वारा कार्य प्रभार संभालना।
3. सदस्य सचिव, केरेबो के इंटरनेशनल सेरिकल्चरल कमिशन के महासचिव के रूप में चुनाव।
4. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल समिति द्वारा 21 मार्च, 2017 को अनुमोदित रेशम उद्योग के विकास के लिए समग्र योजना की शुरूआत।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए टेक्स्टाइल्स इंडिया 2017, भारत में गांधी नगर, गुजरात में संपन्न पहली बार मेगा वस्त्र व्यापार मेला में 30 जून-2 जुलाई 2017 के दौरान प्रेस क्लब, बेंगलूरु में 6 जून, 2017 को प्रेस मीट आयोजित किया गया । संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रेस मीट को संबोधित किया। इस समाचार को अंग्रेजी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, हिन्दी तथा कन्नड़ दैनिक, राष्ट्रीय एवं चन्दना, डीडीके जैसे स्थानीय टीवी चैनल एवं ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन में व्यापक प्रचार मिला।

दृश्य- श्रव्य प्रचार

रेशम उत्पादन के प्रचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेशम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के समन्वय से दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र, उत्तर-पूर्व के माध्यम से 14 एपिसोड का लाइव फोन इन-कार्यक्रम आयोजित किया । केरेबो के वैज्ञानिकों एवं टेक्नोक्रेट्स ने कार्यक्रम में भाग लिया और शहतूत, एरी एवं मूगा रेशम उत्पादन के विभिन्न मामलों पर

कृषकों से स्थानीय भाषा में बातचीत की। देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के रेशम उत्पादन कृषकों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिवालय द्वारा हिन्दी में 3-4 मिनट की लघु वीडियो फिल्म एवं "एम्पावरमेंट ऑफ एससी फैमिलिज़ थ्रु सेरिकल्चर" पर अंग्रेजी और हिन्दी में 12-15 मिनट की फिल्म बनायी गई। आगे, तसर के लिए बुनियाद धागाकरण मशीन, परम्परागत जांघ धागाकरण प्रणाली के विकल्प की एक पहल तथा जनजातीय महिलाओं के कार्य एवं स्वास्थ्य दशाओं में सुधार लाने के संबंध में लघु फिल्म निर्माण में समन्वय किया गया।

प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला में भागीदारी

केरेबो सचिवालय ने केरेबो की विभिन्न इकाईयों द्वारा निम्नलिखित प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला में सहभागिता का समन्वय किया:

क. कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 24-28 अगस्त, 2017 के दौरान 21वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में केरेअवप्रसं, बरहमपुर।

ख. 11-24 सितंबर, 2017 के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित विशेष हथकरघा एक्स्पो 2017 में क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।

ग. 12-17 सितंबर, 2017 के दौरान पालमपुर में आयोजित डेसटिनेशन हिमाचल प्रदेश 2017 में केरेअवप्रसं, पाम्पोर, जवक, केतअवप्रसं, रांची।

घ. 20-29, दिसंबर 2017 के दौरान कुलताली, डाक नारायणदताला, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आयोजित सुंदरवन कृषि मेला-ओ-लोको संस्कृति उत्सव।

ङ. 10-13 नवंबर, 2017 के दौरान नागपुर में आयोजित 9वें एग्रो विशन 2017 में क्षेतअके व प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, भण्डारा।

अन्य

प्रचार अनुभाग को वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए चलशील्ड प्राप्त हुआ। प्रचार अनुभाग द्वारा केरेबो के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए मेमेंटो की डिजाइन कर इसका वितरण किया गया। केरेबो के कर्मचारियों के लिए पहचान कार्ड भी तैयार किया है।

राजभाषा नीति

केरेबो द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी रखे गए। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति बढ़ाने के फलस्वरूप केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि प्राप्त कर सकें हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ और की गई कार्रवाई नीचे प्रस्तुत है:

पुरस्कार

केरेबो के कुछ कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए नगर स्तर पर ही नहीं, अपितु क्षेत्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत किया गया। विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: केरेबो के कार्यालयों द्वारा प्राप्त पुरस्कार

कार्यालय का नाम	पुरस्कार के विवरण	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार प्राप्त दिनांक
रेबीउके, पालक्काड़	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पालक्काड़	प्रथम	30.01.2018
केरेअवप्रसं, बरहमपुर	क्षेत्रीय पुरस्कार, राजभाषा विभाग	द्वितीय	10.03.2018
क्षेका, नई दिल्ली	क्षेत्रीय पुरस्कार, राजभाषा विभाग	द्वितीय	09.02.2018
केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लाहदोईगढ़	प्रथम	01.03.2018
क्षेका, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय पुरस्कार, राजभाषा विभाग	प्रथम	10.03.2018

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियम, 1976 का अनुपालन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं इसके सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

किया गया । आगे राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए गए । वार्षिक कार्यक्रम, 2017-18 में मूल पत्राचार, फैक्स, आदि के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त किए गए । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय सहित 95 कार्यालय अब तक अधिसूचित किए गए हैं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन हिन्दी में कार्य करने हेतु व्यक्तिश: आदेश/ज्ञापन जारी किए गए ।

प्रशिक्षण

बोर्ड मुख्यालय एवं इसकी अधीनस्थ इकाइयों में चरणबद्ध रूप से हिन्दी प्रशिक्षण दिया गया। केरेबो के 40 अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर में हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में फोनेटिक टाइपिंग पर जोर दिया गया और कई कर्मचारियों ने इसमें रुचि दिखायी क्योंकि वे इंस्क्रिप्ट अथवा टाइपिंग मोड से टाइपिंग नहीं कर पाते ।

बैठक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, जो बोर्ड सचिवालय, अनुसंधान संस्थानों और अन्य मुख्य अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुश्रवण करती है, क्रमश: दिनांक 22.06.2017, 25.09.2017, 22.12.2017 और 14.03.2018 को चलायी गईं । सचिवालय, बेंगलूरु ने तिरूवनंतपुरम में 16.06.2017 को संपन्न वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया । अधिकतर संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई ।

हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा

केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन एवं केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु ने दिनांक 01.09.2017 से 14.09.2017 तक संयुक्त रूप से हिन्दी पखवाड़ा मनाया और सुलेख, हिन्दी आशुभाषण, टिप्पण-आलेखन, श्रुतलेख, हिन्दी वाचन, मौखिक प्रश्नोत्तरी, वर्ग पहेली तथा शब्दावली प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं । दिनांक 14.09.2017 को हिन्दी दिवस मनाया गया । हिन्दी पखवाड़ा का समापन–सह-पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 20.09.2017 को मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया । केरेप्रौअसं तथा रारेबीसं सहित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 8 अधिकारियों एवं 4 कर्मचारियों को बेंगलूरु नगर स्तर पर प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त हुए।

कार्यशाला/सेमिनार

बोर्ड मुख्यालय ने कर्मचारियों के लिए पाँच, पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला दिनांक 28.06.2017, 30.08.2017, 15.12.2017 एवं 07 व 08.03.2018 को आयोजित की । कार्यशाला में कुल 83 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । बुतरेबीसं, बिलासपुर ने 17.01.2018 को एक राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया । गुणवत्ता तसर उत्पादन पर केरेबो के वैज्ञानिकों ने हिन्दी में लेख प्रस्तुत किए । बोर्ड की संबद्ध व अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गईं।

सॉफ्टवेयर एवं उसका उपयोग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में केरेबो और इसके मुख्य संस्थानों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में 'यूनिकोड' सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कुछ कार्यालयों में "लीप ऑफिस 2000" सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है । केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय और इसकी लेखाकरण इकाइयों में द्विभाषी वेतन पर्ची तैयार करने के लिए बैंक स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर का कार्पोरेट लाइसंस लिया ।

निरीक्षण

बोर्ड सचिवालय एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों ने बोर्ड के 44 संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किया । वस्त्र मंत्रालय द्वारा बोर्ड मुख्यालय, बेंगलूरु का निरीक्षण 20.03.2018 को किया गया और उनके दल द्वारा बोर्ड के निष्पादन की सराहना की गई ।

प्रकाशन

केन्द्रीय कार्यालय ने वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17, लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वर्ष 2016-17 का प्रमाणित लेखा का प्रकाशन किया । केतअवप्रसं, केरेबो, रांची ने गृह पत्रिका रेशम वाणी, संवाद अंक-44 व सात पुस्तिका/पैम्फ्लेट का प्रकाशन हिन्दी में किया। केरेअवप्रसं, मैसूरु ने रेशम किरण तथा हिन्दी में दो पुस्तिकाएं एवं दो पैम्फ्लेट का प्रकाशन किया । केरेअवप्रसं, पाम्पोर ने हिन्दी न्यूज लेटर के दो अंक प्रकाशित किए । केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने 'आर्द्र प्रक्रमण; क्या करें, क्या न करें' का प्रकाशन द्विभाषी में किया । रेजैप्रौप्र, केरेबो, कोडत्ति ने मॉलिकुलर मार्कर तकनीकी पैम्फ्लेट द्विभाषी में निकाला । रारेबीसं, बेंगलूरु ने टेक्निक ऑफ हैंडलिंग एग्स एवं एफएक्यू का प्रकाशन किया ।

अनुवाद

बोर्ड सचिवालय के राजभाषा अनुभाग ने वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17, लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वर्ष 2016-17 का प्रमाणित लेखा, रेशम उत्पादन क्षेत्र का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कैलेण्डर 2016-17, रेशम व रेशम उत्पादन पर पृष्ठभूमि टिप्पणी, संसदीय श्रम स्थायी समिति द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की सूची पर वस्त्र मंत्रालय/केरेबो के बिन्दुवार उत्तर, स्थायी समिति की बैठक व बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुवाद किया ।

केरेबो राजभाषा पुरस्कार

बोर्ड सचिवालय एवं इसकी संबद्ध इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राजभाषा चलशील्ड योजना प्रारंभ की है । बोर्ड सचिवालय, बेंगलूरु ने वर्ष 2015-16 के लिए केरेबो राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह 13.03.2018 को आयोजित किया । वर्ष के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में (1) राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, बेंगलूरु, (2) केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु (3) बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर (4) क्षेत्रीय रेशमउत्पादन अनुसंधान केन्द्र, सहसपुर देहरादून, (5) आँचलिक कार्यालय, केरेप्रौअसं, बिलासपुर; (6) कच्चा माल बैंक, चाईबासा (7) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (8)प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, कटक रहे । बोर्ड सचिवालय के अनुभागों के लिए भी अलग पुरस्कार का प्रावधान किया गया है । बोर्ड सचिवालय के अनुभागों में वर्ष 2015-16 का पुरस्कार बिल अनुभाग तथा स्थापना अनुभाग-I ने प्राप्त किया । केतअवप्रसं, केरेबो, राँची और अन्य संस्थान ने भी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने अनुभागों के लिए राजभाषा चलशील्ड योजना लागू की ।

नगर स्तर पर प्रतियोगिता

बोर्ड सचिवालय, बेंगलूरु ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु के तत्वावधान में 15.11.2017 को अंतर कार्यालयीन प्रतियोगिता के अवसर पर "तस्वीर देखें कविता लिखें?" प्रतियोगिता का आयोजन किया। केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने नगर स्तर पर आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया ।

द्विप्रज रेशम उत्पादन कार्यक्रम

बारहवीं योजना के दौरान, बल दिया गया कि XI योजना अवधि के अंत तक प्रचलित 1685 मीट्रिक टन के स्तर से 5000 मीट्रिक टन द्विप्रज कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया जाए और देश में आयात विकल्प रेशम के उत्पादन में वृद्धि की जाए । लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, केरेबो ने राज्य के रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से 12 वीं योजना के दौरान 174 द्विप्रज क्लस्टर तैयार किए गए थे और योजना अवधि (2016-17) के अंत तक 5266 मीट्रिक टन का कुल द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन किया जिसमें क्लस्टरों के माध्यम से उत्पादित 3405 मीट्रिक टन द्विप्रज कच्चा रेशम भी शामिल है ।

शेष 1861 मी. टन गैर-आवृत्त क्षेत्रों से उत्पादित किया गया । बारहवीं योजना के अंत तक 5266 मी. टन उत्पादन से वर्ष 2011-12 के अंत तक 1685 मीट्रिक टन उत्पादन के सापेक्ष 313% की वृद्धि दर्ज हुई । केरेअवप्रसं, मैसूर/पाम्पोर/-बरहमपुर और रारेबीसं, बेंगलूरु के अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को संबंधित राज्य के रेशम निदेशालयों के निकट समन्वयन से इन समूहों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया ।

इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान, केरेबो और रेशम निदेशालय के संयुक्त प्रयासों से देश में द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन स्तर 5855 मी.टन (2016-17 की तुलना में 11.18% की वृद्धि) तक हो गया है। 150 द्विप्रज समूह से लगभग 4100 मी.टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जो कुल उत्पादन का 70% है शेष 1755 मी.टन द्विप्रज कच्चा रेशम अनुवृत क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादित किया गया । समूह संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत के आवृत किसानों का डेटाबेस केरेबो वेब पोर्टल "seri5k.csb.gov" में सुरक्षित रखा गया है और समूह के अंतर्गत निष्पादन संबंधी निगरानी और समीक्षा केंद्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि तालिका 3.12 में दी गई है।

तालिका 3.12 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन

वर्ष	कच्चे रेशम का लक्ष्य	उपलब्धि (मी.टन)	उपलब्धि %	क्लस्टर से उत्पादन
2013-14	2480	2559	103.0	1475
2014-15	3500	3870	111.0	2357
2015-16	4500	4613	103.0	2932
2016-17	5260	5266	99.0	3405
2017-18	6200	5855	94.4	4100

वर्ष 2017-18 के दौरान द्विप्रज रेशम उत्पादन की राज्यवार प्रगति का विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (उपूक्षेवसंयो)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना" के नाम से छत्र योजना के अधीन एक परियोजना-आधारित कार्यनीति का अनुमोदन दिया है। उपूक्षेवसंयो के अंतर्गत, रेशम उत्पादन व वस्त्र क्षेत्र के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को दो व्यापक संवर्गों नामत: आईएसडीपी और आईबीएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। इन दो परियोजनाओं का लक्ष्य है कि रेशम उत्पादन के अंतर्गत पौधारोपण विकास से लेकर वस्त्र - उत्पादन तक सभी अवस्थाओं में मूल्य संवर्धन के साथ रेशम उत्पादन का समग्र विकास हो।

वर्तमान परियोजनाएँ

रेशम संवर्धन के लिए, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में शहतूत, एरी और मूगा क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2014-15 से 2018-19 तक कार्यान्वयन के लिए इन परियोजनाओं की कुल लागत 819.19 करोड़ रुपये हैं जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 690.01 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेशम कीट और रेशम उत्पादन मूल्य से श्रृखंलाबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करके उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यवहार्य वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में रेशम संवर्धन स्थापित करना है। शहतूत, एरी और मूगा क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 31010 एकड़ (वर्तमान-18331 एकड़ और नवीन-12679 एकड़) के वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। परियोजना अवधि के दौरान 2,285 मी.टन कच्चे रेशम का अतिरिक्त उत्पादन और 46094 परिवारों को शामिल करते हुए 1,100 मी.टन रेशम प्रति वर्ष की आशा है, जिससे 230500 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिनांक 17-12-2013 से 16-11-2016 तक आयोजित 10 [पअस] बैठकों में इन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

मार्च 2018 तक, लगभग 30333 एकड़ (विद्यमान-18331 एकड़ और नवीन 12002 एकड़) में शहतूत, एरी और मूगा के परपोषी वृक्षारोपण के तहत 35,362 लाभार्थियों को शामिल

तालिका 3.13 : वर्ष 2017-18 के दौरान आवृत और अनावृत क्षेत्रों के माध्यम से द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन

#	राज्य	समूह	द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन (मी.टन)		
			आवृत	अनावृत	कुल
दक्षिण अंचल					
1	कर्नाटक	46	1424	227	1651
2	तमिलनाडु	28	1002	772	1775
3	आंध्र प्रदेश	13	1092	124	1216
4	तेलंगाना	4	121	37	158
5	महाराष्ट्र	9	224	123	347
6	केरल	2	15.63	-5.63	10
कुल दक्षिण अंचल		102	3879	1278	5157
उत्तरी पश्चिमी अंचल					
1	जम्मू और कश्मीर	6	17	115	132
2	उत्तराखंड	7	20	13	33
3	हिमाचल प्रदेश	8	13	19	32
4	पंजाब	1	2	0.86	3
5	हरियाणा	0	0	0.7	0.7
कुल उत्तर पश्चिमी अंचल		22	52	149	201
केन्द्रीय पश्चिमी अंचल					
1	मध्य प्रदेश	4	27	38	65
2	उत्तर प्रदेश	8	44	57	101
3	छत्तीसगढ़	0	0	1	1
कुल केन्द्रीय पश्चिमी अंचल		12	71	96	167
पूर्वी अंचल					
1	पश्चिम बंगाल	4	36	0	36
2	उड़ीसा	2	0.37	1.63	2
3	बिहार	1	3	0	neg
कुल पूर्वी अंचल		7	39	-1.37	38
उत्तर पूर्वी अंचल					
1	असम और बीटीसी	3	20	40	60
2	मिज़ोरम	1	5	56	61
3	नागालैंड	1	6	6	12
4	मणिपुर	2	22	62	84
5	त्रिपुरा	1	6	22	28
6	सिक्किम	0	0	0	0
7	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	2
8	मेघालय	0	0	45	45
कुल उत्तर पूर्वी अंचल		8	59	233	292
कुल योग		**151**	**4100**	**1755**	**5855**

किया गया है और आईएसडीपी एवं आईबीएसडीपी के तहत 1824 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के तहत मंत्रालय द्वारा विमोचित किए गए 601.62 करोड़ रुपये के सापेक्ष 406.89 करोड़ (68%) खर्च किया गया है।

एकीकृत रेशम संवर्धन विकास परियोजना (आईएसडीपी) के तहत, असम, बीटीसी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 16 पेट्रोलियम परियोजनाओं को रुपये 582.42 की कुल लागत का (479.60 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा) अनुमोदन किया गया है। परियोजनाएं, 27,010 एकड़ भूमि में (विद्यमान 17,650 एकड़ और नवीन 9,360 एकड़) शहतूत, एरी और मूगा के वृक्षारोपण को समर्थन करेंगी। इसमें त्रिपुरा के लिए रेशम मुद्रण और प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, बीटीसी के लिए मृदा से रेशम और नागालैंड के लिए कोसोत्तर प्रौद्योगिकी शामिल है। 15 परि-योजनाएं राज्यों द्वारा लागू की जानी है जिसमें किसानों/बीज कोसा उत्पादकों/धागाकारों/बुनकरों के स्तर पर बुनियादी ढांचे के समर्थन में विद्यमान सुविधाओं को प्रभावी बनाना है और एक परियोजना केरेबो के लिए है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन और आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। मार्च 2018 तक मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 409.85 करोड़ रुपये विमोचित किए हैं, जिसके सापेक्ष 275.52 करोड़ रुपये (67%) का खर्च बताया गया है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) के लिए गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) के तहत 236.78 करोड़ रुपये (210.41 करोड़ रुपये भारत सरकार का हिस्सा) की कुल लागत पर कार्यान्वयन के लिए आठ परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। परियोजना का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में आयात के विकल्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का द्विप्रज रेशम का उत्पादन हो। इस परियोजना में प्रत्येक जिले के 2 ब्लॉक में शहतूत वृक्षारोपण के तहत 500 एकड़ आवृत्त करने की योजना है जिसमें बुनकर सहित लगभग 1100 महिला लाभार्थियों शामिल होंगी। कुल मिलाकर, इसका लक्ष्य 4000 एकड़ शहतूत वृक्षारोपण करना है जो पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 9071 महिला हितधारकों को लाभ-प्रदान करेगा। वृक्षारोपण विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायक मध्यस्थता के साथ सामाजिक प्रोत्साहन और महिला लाभार्थियों का समूह गठन, परियोजना के अभिन्न अंग हैं। इन परियोजनाएं को वर्तमान में संबंधित राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। मार्च 2018 तक, मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के लिए 189 .77 करोड़ रुपये विमोचित किए हैं, जिसके सापेक्ष 131.37 करोड़ (69%) है का व्यय किया गया।

एनईआरटीपीएस के परियोजनावार और राज्यवार विवरण नीचे दी गई तालिका 3.14 में दिए गए हैं।

अन्य परियोजनाएँ

असम, बीटीसी, मेघालय, नागालैंड के लिए स्वीकृत परियोजनाओं हेतु बैक-एंड समर्थन के रूप में बुनियादी और वाणिज्यिक रेशमकीट बीज आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने शहतूत, एरी और मूगा क्षेत्रों हेतु केरेबो के लिए 6 बीज बुनियादी ढांचे के निर्माण की मंजूरी दी गयी है। इस योजना की कुल लागत 37.71 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार द्वारा उपक्षेवसंयो के अंतर्गत पूर्ण रुप से वित्तीय सहायता दी गई [तालिका 3.15] ।

अनुसूचित जाति उप-योजना (अजाउयो)

"अनुसूचित जाति उप-योजना (अजाउयो) के अंतर्गत रेशम उत्पादन के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों का सशक्तिकरण" नामक परियोजना को वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य रेशम उत्पादन विभाग/ अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से देश में लागू जा रहा है। परियोजना के उद्देश्यों में रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थायी आधार पर अ.जा. के परिवारों का सामाजिक उत्थान शामिल है, जिसमें आय सृजन और रोजगार प्रदान कर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होगा । उक्त परियोजना वर्ष 2017-18 के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर,

तालिका 3.14 : उपक्षेवसयो के अंतर्गत एरेविप एवं गद्विरेविप परियोजना का विवरण

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (रुपये करोड़)	भारत सरकार का हिस्सा (रु.करोड़)	अब तक भारत सरकार द्वारा विमोचित (रु.करोड़)	लाभार्थी (सं.)		परियोजना के दौरान उपज (मी.टन)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (पी) (मार्च, 2018 तक)
एरेविप परियोजना								
1	असम	66.67	47.42	37.48	5,965	4,757	196	198
2	बीटीसी	34.92	24.68	22.62	3,356	3,090	171	198
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	251	60	44
4	बीटीसी (मृदा से रेशम)	51.61	49.37	37.09	3,526	900	245	77
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,672	79	18
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	107.55	6,613	5,183	450	461
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	20.50	2,169	1,168	68	40
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	162	169
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	665	117	101
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	10.42	833	500	16	1
11	नागालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,575	166	192
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	8.11	1,053	503	72	13
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	400	400	कोसोत्तर और सूतोत्तर कार्यकलाप	
14	त्रिपुरा (छपाई)	47.95	33.20	29.58	3,432	3,432	275	218
15	त्रिपुरा	3.71	3.71	3.52	-	-	1.50 लाख मीटर/वर्ष	
16	केरेबो के अधीन शहतूत एवं वन्य बीज अवसंरचना	37.71	37.71	32.99	-	-	30 लाख शहतूत और 3.70 लाख मूगा/एरी रोमुच/वर्ष	
कुल (I)		**582.42**	**479.60**	**409.85**	**37,023**	**27,952**	**2,076**	**1,730**
गद्विरेविप परियोजना								
1	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,137	29	18
2	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	944	26	15
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	24.89	1,144	508	20	3
4	नागालैंड	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	27	13
5	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,100	26	8
6	नागालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,029	27	7
7	सिक्किम	29.68	26.43	15.00	1,094	645	27	8
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,014	27	22
	कुल (II)	**236.78**	**210.41**	**189.77**	**9,071**	**7,410**	**209**	**94**
	आईईसी	-	-	2.00	-	-	-	-
	कुल जोड (I+II)	**819.19**	**690.01**	**601.62**	**46,094**	**35,362**	**2,285**	**1,824**

पी : अनंतिम

तालिका 3.15 : बीज अवसंरचना के सृजन की लागत		
#	घटक	कुल लागत (रु.करोड़ में)
1	जोरहाट (असम) शहतूत रेशमकीट बीज बीजागर	9.45
2	मूगा पी3 मूल बीज केन्द्र, पैलापुल, सिलचर, असम	7.33
3	मूगा पी3 मूल बीज केन्द्र, मोकुकचंग, नागालैंड	3.17
4	मूगा पी3 मूल बीज केन्द्र, कोवाबिली, कोकराझार, असम	2.37
5	मूगा रेबीउके तुरा, मेघालय	5.85
6	पी2 एरी मूबीफा, टोपाटोली, असम	9.55
	कुल	37.71

उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों में 1904 अ.जा. के लाभार्थियों पर लागू की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान अजाउयो के अंतर्गत राज्यों को 23.00 करोड़ रुपये की राशि विमोचित की गई है। परियोजना से अनुसूति जाति के परिवारों को शहतूत रेशम उत्पादन के माध्यम से निम्नानुसार समर्थन देने पर विचार किया गया है:

- किसान नर्सरी के विकास के लिए समर्थन
- व्यवस्थित शहतूत वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए सहायता
- शहतूत बागानों के लिए सिंचाई सुविधाएं अधिमानत: सौर पंप के साथ
- कार्बनिक खेती के लिए वर्मी-कंपोस्ट इकाइयां
- वैज्ञानिक कीट पालन गृह और उपकरण
- रात के दौरान शहतूत रेशम कीटों को खिलाने के लिए सौर रोशनी का प्रचार
- चॉकी कीटपालन केंद्रों की स्थापना
- कीटाणुनाशी और इनपुट आपूर्ति के लिए घर-घर सर्विस एजेंट
- रेशम संवर्धन संसाधन केन्द्र
- गर्म वायु शुष्कक की स्थापना के लिए समर्थन
- बहुछोरीय धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए समर्थन
- धागाकारण शेड के निर्माण के लिए समर्थन
- पणधारियों के कौशल उन्नयन और क्षमता विकास

उपरोक्त के अलावा, बिहार राज्य में एरी खेती करने वाले किसानों को समर्थन प्रदान किया गया है।

जनजातीय उप-योजना (जजाउयो)

"जनजातीय उप-योजना (जजाउयो) के अंतर्गत रेशम उत्पादन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति परिवारों का सशक्तिकरण" नामक परियोजना वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के रेशम उत्पादन विभागों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से देश में लागू की गयी है। परियोजना का उद्देश्य तसर और शहतूत रेशम उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कमजोर अनुसूचित जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाना है। उक्त परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 9181 अजजा लाभार्थियों के लिए लागू की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान जजाउयो के अंतर्गत तसर और शहतूत रेशम उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अजजा परिवारों को समर्थन देने के लिए राज्यों को 30.00 करोड़ रूपए की राशि विमोचित की गई है । विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तसर क्षेत्र

- फसल और कीटपालकों को बीमा सहित, न्यूक्लियस, बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के कीटपालकों को समर्थन
- वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए निजी बीज़ागारों को सहयोग
- मूल बीज उत्पादन के लिए मूल बीज उत्पादन इकाइयों को सहयोग
- कोसा भंडारण/रूपांतरण, उपकरण, सामान्य सुविधाएं और कार्यशील पूंजी के लिए उत्पादक के समूहों को सहयोग।
- विद्यमान तसर वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए सहयोग।

शहतूत क्षेत्र

- किसान नर्सरी के विकास के लिए समर्थन
- शहतूत वृक्षारोपण के विकास के लिए समर्थन

- गुणवत्ता पूर्ण कीटाणुनाशी सामग्री और अन्य फसल संरक्षण उपायों की आपूर्ति
- कार्बनिक खेती के लिए वर्मी-कंपोस्ट इकाइयां।
- वैज्ञानिक कीटपालन गृह और उपकरण
- चाकी कीटपालन केंद्रों की स्थापना
- कीटाणुनाशी और निवेश आपूर्ति के लिए प्रत्येक घर को सेवा एजेंट।

सामान्य

- सौर प्रकाश को बढ़ावा देना
- बुनियाद तसर धागाकरण रीलिंग मशीन खरीदने के लिए सहयोग
- धागाकरण शेड की स्थापना
- हितधारकों का कौशल उन्नयन और क्षमता विकास
- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और पैरा-व्यवसायियों की देखभाल एवं उन्हें काम में लगाना
- सूचना, शिक्षा और संचार कार्यनीति
- उत्पादक समूह और संग्रह संस्थानों की स्थापना

वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष (वरेबासंक)

वर्ष 2017-18 के दौरान वरेबासंक के अंतर्गत अनेक गतिविधियां जारी रहीं तथा वन्य रेशम एक्सपो, आयोजन वन्य कार्यशाला, पारस्परिक चर्चा सम्मिलन, वाणिज्यिकरण कार्यक्रम, एक्सपो/प्रदर्शनियों में भागीदारी, सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से उत्पाद विकास, जैव वन्य रेशम के संवर्धन आदि के आयोजन से वन्य रेशम के वंशीय, ब्रांड और बाजार उन्नयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित था। प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार है :

- स्मॉय के सहयोग से वरेबासंक/पी3 डी ने - चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरु में सिल्क मार्क- वन्य रेशम एक्सपो का आयोजन किया। वन्य रेशम विषयक मंडप [थीम पेवीलियन] भी आयोजित किया गया था और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए वन्य रेशम के विविध उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था।
- वरेबासंक/पी3 डी ने गांधीनगर, गुजरात में टेक्सटाइलस् इण्डिया-2017 और गुवाहाटी में वन्य रेशम शलभ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और नव विकसित विविध उत्पादों को प्रदर्शित किया।
- इंडियन सिल्क और सिल्क मार्क वोग पत्रिकाओं में विज्ञापन के माध्यम से स्मॉय के सहयोग से वन्य रेशम के वंशीय [जेनेरिक] और ब्रांड उन्नयन, बेंगलूरु में 5 स्थानों पर बस अड्डों पर में फ्लेक्स विज्ञापन और हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलूरु में एक्सपो के दौरान वन्य रेशम उत्पादों के बाजार उन्नयन का विज्ञापन दिया गया।
- वरेबासंक/पी 3 डी ने केरेप्रौअसं और स्मॉय चैप्टर्स के सहयोग से कोचीन में - 7 अक्टूबर, 2017 और तिरुपुर में 23 दिसंबर 2017 को विविध उत्पादों की लोकप्रियता और वाणिज्यिकरण के लिए पारस्परिक चर्चा सम्मिलन आयोजित किया। डिजाइनर, बुटीक मालिकों, विनिर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों ने पारस्परिक चर्चा में भाग लिया।
- एनआईएफटी टीईए, तिरुपुर द्वारा "एरी सिल्क निटवेअर के वाणिज्यिकरण" पर एक सहयोगी परियोजना को उद्योग की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया और उत्पादों को वरेबासंक और एनआईएफटी-टीईए की तकनीकी सहायता के साथ विकसित किया गया। परियोजना के हिस्से के रूप में, 23 दिसंबर, 2017 को एक कार्यक्रम "सिल्क निटवेअर एण्ड प्रोडक्ट लॉन्च एण्ड बिज़नेस इन्टरेक्शन" आयोजित किया गया । कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित उत्पादों को फैशन शो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया । परियोजना पूरी हो चुकी है और एनआईएफटी-टीईए तिरुपुर ने अंतिम रिपोर्ट और परियोजना के तहत विकसित उत्पादों का एक सेट प्रस्तुत किया है।
- एक नई परियोजना "उत्तर पूर्व में हाथ से बुने हुए एरी रेशम डेनिम फैब्रिक का विकास और वाणिज्यिकरण" के अंतर्गत एसएमओआई गुवाहाटी द्वारा हथकरघा बुनकरों के सहयोग से लागू की गयी है, प्राकृतिक इंडिगो डाई के साथ रंगे हुए एरी रेशम डेनिम वस्त्र हैंडलूम विकसित किए

गए थे। डिजाइनरों के सहयोग से वस्त्र परिधानों में परिवर्तित कर दिए गए थे। गुवाहाटी में आयोजित वन्य रेशम शलभ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विकसित डेनिम वस्त्रों के व्यावसायीकरण के लिए लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय एवं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

- नई दिल्ली में दो वन्य रेशम की दुकानों को मेसर्स दिनेश सिल्क्स, बेंगलूरु और रेशम उत्पादन निदेशक, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कोकराझर, असम को तीन साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया था। बेंगलूरु में मेसर्स नीलिमा सिल्क्स, बेंगलूरु को वन्य रेशम दुकान आवंटित की गयी।

वरेबासंक एक्सपो कार्यक्रमों के दौरान निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, डिजाइनरों और उपभोक्ताओं के साथ लगातार पारस्परिक चर्चा कर रहा है; और वन्य रेशम उत्पादों, उनकी आरामदेह विशेषताओं, उपलब्धता, और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता ला रहा है। वरेबासंक दिलचस्पी दिखाने वाले उद्यमियों, निर्माताओं, व्यापारियों और निर्यातकों को वन्य उत्पादों का पश्च और अग्र कड़ी भी उपलब्ध करा रहा है।

उत्पाद डिजाइन विकास एवं विविधता (पी3 डी)

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पाद डिजाइन विकास और विविधता (पी3 डी) के तहत गतिविधियां जारी रहीं, जिसमें वस्त्र अभियांत्रिकी मिश्रित रेशम समूहों में उत्पाद विकास, नव विकसित उत्पादों का वाणिज्यिकरण पश्च संबंध प्रदान करने में वाणिज्यिक सहभागियों की सहायता, तकनीकी जानकारी तथा नमूने के विकास में सहायता/समन्वयन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष के प्रमुख आकर्षण निम्न हैं:

- नए उत्पादों जैसे विद्युत करघा पर मूगा साटिन वस्त्र, इल्कल क्लस्टर में बाना में स्पॅन रेशम सूत की सभी किस्मों का उपयोग करते हुए शुद्ध रेशम कपड़े, बेंगलूरु की एक ख्यात फैशन डिजाइनर सुश्री दीपिका गोविंद के समन्वय से एरी रेशम के मोजे एवं स्टोल तथा पटोल क्लस्टर में साड़ी आदि का विकास किया गया।
- सहयोगी परियोजनाओं जैसे "बाग क्लस्टर में रेशम उत्पादों के विकास और वाणिज्यिकरण तथा एनआई-एफटी, मुंबई के साथ "महेश्वर रेशम क्लस्टर में उत्पाद विकास और विविधता" और निफ्ट भुवनेश्वर के साथ "कपड़े और संबंधित उत्पादों के लिए पारंपरिक बुनाई एवं सतह से डिजाइन विकास" आदि को पूरा करने के लिए तकनीकी विवरण और वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- मेसर्स नीलिमा सिल्क्स, बेंगलूरु के माध्यम से नव विकसित एरी रेशम का वाणिज्यिकरण।
- एसकेएसजेटीआई बेंगलूरु के दो छात्रों को उनके एम.टेक अकादमिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छह महीने की अवधि के लिए पी3 डी पर इंटर्नशिप कार्यक्रम किया गया।

नव विकसित एरी रेशम मोजे का वाणिज्यिकरण

बेंगलूरु में रेशम मार्क एक्सपो के
दौरान विषय मंडप [थीम पवीलियन]

गुवाहाटी में आयोजित वन्य रेशम शलभ पर 8 वें
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विषयगत मंडप

मूगा साटिन परिधान

वन्य समूह संवर्धन कार्यक्रम (वससंका)

केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्संरचित योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग करते हुए संबंधित राज्यों के रेशम निदेशालयों के समन्वय से केरेबो इकाइयों द्वारा वन्य रेशम के लिए समूह संवर्धन कार्यक्रम को संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न तसर उत्पादन राज्यों में तसर क्षेत्र में कुल 22 समूहों का चयन किया गया (तालिका 3.16)। केतअवप्रसं, रांची और बुतरेबीसं, बिलासपुर के निदेशकों को संबंधित राज्यों के रेशम निदेशालयों के समन्वय से उन समूहों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश परिचालित किए गए और सामूहिक स्तर, राज्य स्तर और संस्थान स्तर पर समितियों का गठन हुआ ताकि समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति, कार्यान्वयन और समीक्षा में गति लायी जा सके।

गुणवत्तापूर्ण रेशमकीट बीज उत्पादन को समर्थन देने के लिए प्रत्येक क्लस्टर को 60 अधिगृहीत बीज कीटपालकों और 15 निजी कीट पालकों के साथ क्षमता विकास, विसंक्रमण हेतु

तालिका 3.16 : वन्य क्लस्टर

#	संबद्ध संस्थान	राज्य	तसर समूह का नाम
1	**केतअप्रसं, रांची**	झारखंड	मोहनपुर, देवगढ़
2			झारमुंडी, दुमका
3			रामगढ़, दुमका
4			बंधगांव, पश्चिम सिंहभूम
5			मजगांव, पश्चिम सिंहभूम
6			बोरीजोरे, गोड्डा
7		ओडिशा	ठाकुर मुडा-महुलदीहा-केंदुजुआनी, जिला-मयूरभंज
8			बैंचा-जलघाटी-दंतियामुहन, जिला - मयूरभंज
9		तेलंगाना	महादेवपुर, करीमनगर
10		आंध्र प्रदेश	कूनवरम, खम्मम
11		महाराष्ट्र	अवलगाँव-मेंडकी
12		पश्चिम बंगाल	काशीपुर, पुरुलिया
13		उत्तर प्रदेश	झांसी
14	**बुतरेबीसं, बिलासपुर**	झारखंड	बरहेट, साहिबगंज
15			टोंटो
16			सिदवासिंगा
17			राजनगर, सराईकेला/खरसवां
18		ओडिशा	तेलकोई-बेनहमुंडा, जिला-केंयोझार
19			जीनारी-पारदपादा, जिला-केंयोझोर
20		मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
21		उत्तर प्रदेश	मुंगडीह, सोनभद्र
22		छत्तीसगढ़	अंबिकापुर

द्वार से द्वार तक सेवा और गतिशील परीक्षण एकक से समर्थित है। कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को 1853 लाभार्थियों के सहायतार्थ तथा भारत सरकार से सहयोग के रूप में रु.12.6 करोड़ की राशि विमोचित की गई और केतअवप्रसं, राँची, बुतरेबीस, बिलासपुर के निदेशकों को क्षमता विकास, अध्ययन दौरा, जागरुकता कार्यक्रम एवं वससंका कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए रु.74.474 लाख की राशि विमोचित की गई।

क्लस्टरों में निम्नलिखित प्रमुख मध्यस्थता की गई:

- समूहों में विभिन्न तसर कार्यकलापों हेतु पणधारियों को संगठित करना।
- बीज की बढ़ती माँग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को संगठित करना।
- विद्यमान वन्य खाद्य पौधों के रखरखाव, रोग अनुवीक्षण तथा निवारक उपायों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार।
- समूह की आवश्यकता के अनुसार, कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, बीज उत्पादन, कीटपालन कार्यकलापों, आदि के क्षेत्र में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में पणधारियों का कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण।
- रेशमकीट बीज उत्पादन, कोसा प्रक्रमण आदि के लिए पश्च एवं अग्र संपर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- निजी क्षेत्र, विशेष रूप से रेशमकीट के उत्पादन तथा कोसा प्रक्रमण में अवसंचरना का विकास।
- समूह कार्यकलाप/क्षमता विकास के उन्नयन और वन्य रेशम के एकीकृत विकास के लिए सामुदायिक विकास।
- संयुक्त रोग अनुवीक्षण दल के माध्यम से रोग का अनुवीक्षण।

कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2075 लाभार्थियों (1323 अधिगृहीत बीज कीटपालक, 243 निजी कीटपालक, 12 द्वार से द्वार सेवा अभिकर्ता और 497 वाणिज्यिक किसान) को क्षमता विकास के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेवा पर 45 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 315 किसानों को नई प्रौद्योगिकियों के संपर्क दौरे पर ले जाया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, बीज फसल (पहली फसल) में 960 अधिगृहीत बीज कीटपालकों द्वारा कुल 1.997 लाख रोमुच कूर्चित किए गए और 35.5 कोसे/रोमुच की दर से 70.89 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया गया। 165 निजी बीज उत्पादकों द्वारा 7.57 लाख रोमुच के उत्पादन के लिए इन बीज कोसों का प्रक्रमण किया गया, जिनमें 2627 वाणिज्यिक किसानों द्वारा दूसरी फसल (वाणिज्यिक) में 6.79 लाख रोमुच का कीटपालन किया गया और समूह में 39.72 कोसे/रोमुच की दर से 266.74 लाख का उत्पादन किया गया। समूह के आस-पास के अनावृत क्षेत्रों के किसानों को अतिरिक्त रोमुच आपूर्ति की गई थी।

मूल और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन के लिए क्लस्टरों को बनाये रखने के लिए निजी कीटपालकों द्वारा मूल बीज तैयार करने के लिए सुविधाओं के सभी कार्यक्रम जारी रखे गये।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले में एकीकृत 'मृदा से रेशम' तसर परियोजना

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले में मृदा से रेशम तसर परियोजना, तीन वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के लिए कुल रु.68.53 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर कार्यान्वित की गई। भारत सरकार के हिस्से का रु.22.88 करोड़, केरेबो के केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं से वहन किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के 2500 हेक्टेयर भूमि में नये ब्लॉक तसर पौधारोपण का विकास करना और वन/समुदाय भूमि में विद्यमान ब्लॉक पौधारोपण के 1240 हेक्टेयर का रखरखाव परिकल्पित है, इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र में बुनियादी और वाणिज्यिक बीज उत्पादन को सुगम बनाने के लिए अग्र और पश्च संपर्क हेतु सहायता, फसल उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए तसर कीटपालकों को कीटपालन उपकरणों एवं रोग प्रबंधन के लिए रोगाणुनाशन की आपूर्ति, कोसा भण्डारण सुविधा, धागाकार समूह, कोसा बैंक तथा विपणन सहायता भी दी जाती है। परियोजना के अधीन प्रस्तावित मध्यस्थता में कुल 5824 परियोजना लाभार्थियों को

शामिल करते हुए परियोजना के दौरान 454 लाख कोसा और रेशम उत्पादन, 3.3 मी.टन/वर्ष से 45 मी.टन धागाकृत तसर सूत और 14 मी.टन कता सूत अनुमानित है।

केरेबो ने राज्य को वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 86.915 लाख रुपये का केंद्रीय हिस्सा और वर्ष 2017-18 के दौरान 1043.63 लाख रुपए विमोचित किया गया ताकि परियोजना में विभिन्न महत्वपूर्ण मध्यस्थता यथा प्रधान बीज कीटपालकों, वाणिज्यिक कीटपालकों और निजी कीटपालकों की सहायता, वर्तमान ब्लॉक पौधारोपण का अनुरक्षण, नए ब्लॉक पौधारोपण की देख-रेख, कीटपालन उपकरण की आपूर्ति और रोग, प्रबंधन, क्षमता विकास, कोसा बैंक और विपणन समर्थन आदि के अतिरिक्त प्रशिक्षण को समर्थन दिया जा सके।

परियोजना के अधीन पिछले दो वर्षों में 1067 हेक्टेयर में नए तसर पौधारोपण किए गए। इसके अतिरिक्त 10 नाभिकीय बीज कृषकों, 40 मूल बीज कृषकों, 15 निजी कीटपालको और 185 धागाकारों को समर्थन दिया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान 3000 नाभिकीय बीज, 77040 मूल बीज और 1.108 लाख वाणिज्यिक बीज का कीटपालन किया गया और परियोजना क्षेत्र में 800 कृषकों (ब्लॉक पौधारोपण में 541 किसानों द्वारा 59.50 लाख कीटपालन और 259 किसानों द्वारा वन और बिखरे पौधारोपण से 35.52 लाख कोसा) द्वारा 99.52 लाख कोसा का उत्पादन किया गया और परियोजना के अंतर्गत 15.92 मी. टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया।

तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनाएं

केंद्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्र वि मं) द्वारा तसर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (मकसप) के अंर्तगत परियोजनाओं को वर्ष 2013 से 83 करोड़ रुपये के व्यय पर 36000 लाभार्थियों को शामिल करते हुए समर्थन दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं को प्रदान के समन्वयन से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के वामदल के चरम पंथ प्रभावित जिलों, भारतीय कृषि उद्योग संस्थान, पुणे के समन्वयन से महाराष्ट्र और बिहार में जीविका, बिहार सरकार द्वारा प्रदान के सहयोग से ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में एसईआरपी, आंध्र सरकार द्वारा म कि स प परियोजना को सितंबर 2016 से बंद कर दिया गया है। केरेबो ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे बीज, कोसा-पूर्व और कोसोत्तर में अपने क्षेत्र के इकाइयों के माध्यम से भागीदार गैर-सरकारी संस्थान के क्षेत्र कर्मचारियों को तकनीकी इनपुट और प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी ली है। केरेबो के समन्वय अभिकरण होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इसे निधि प्राप्त होगी और पीआईए और कार्य योजना से प्राप्त मांग के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को हस्तांतरण किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरेबो को बहु-राज्य परियोजना के अंतर्गत अपने हिस्से के 29.34 करोड़ रुपये के 75% की पहली और दूसरी किस्त विमोचित की है जिनमें से केरेबो द्वारा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों, प्रदान और भारतीय कृषि औद्योगिक फांडेशन को 29.023 करोड़ रुपये विमोचित किए गए हैं और परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा 21.16 करोड़ का उपयोग किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के संबंध में सीधे बिहार ग्रामीण आजीविका प्रमोशन सोसायटी और सोसायटी फॉर इलिमिनेशन आफ रूरल पावरटी को ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा विमोचित किया गया है। केरेबो ने एसईआरपी सहित सभी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों को अपने हिस्से का 15.946 करोड़ रुपये (सीडीपी हिस्सा) विमोचित किया है, जिसमें से 14.05 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

परियोजना आवृत्त क्षेत्र : मार्च, 2018 को यथाविद्यमान परियोजना के अधीन, प्रारंभ से, 25784 अनुसूचित जनजाति [81.1%],1589 अनुसूचित जाति [5.0%] तथा 3164 अल्पसंख्यक [10%] और 1236 अन्य (3.9%) सहित 36108 के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 31782 कृषकों को शामिल किया गया। उपरोक्त में परियोजना राज्य के 695 राजस्व गाँव, 60 ब्लॉक और 26 जिले शामिल हैं।

तसर परपोषी पौधों का संवर्धन : 2497 महिला लाभार्थियों ने निजी बंजर भूमि में किसान पौधाशाला में उनके द्वारा उगाए गए पौधों के माध्यम से 1402.74 हेक्टेयर तसर परपोषी पौधों

की स्थापना की। प्रगति धीमी थी क्योंकि इसकी गतिविधियां मनरेगा के अनुसरण में थी और परियोजना निधि का उपयोग उद्देश्यपरक ढ़ंग से नहीं किया गया।

बीज पालन और बीज वृद्धि : बीज कोसा उत्पादन के अंतर्गत 1620 बीज कीटपालकों ने 246.75 लाख बीज कोसे का उत्पादन करने के लिए विशेष बुतरेबीसं एवं विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना के अधीन स्थापित बुनियादी बीज उत्पादन इकाइयों से खरीदे गए 7.741 लाख रोमुच बुनियादी बीज का कूर्चन किया। 306 नाभिकीय बीज कीटपालकों ने 56.59 बीज कोसे प्रति रोमुच की दर से 73.42 लाख बीज कोसों का उत्पादन करने के लिए नाभिकीय बीज के 1.297 रोमुच का कूर्चन किया। 309 निजी बीजागारों ने 156.345 लाख बीज कोसों को संसाधित कर कोसा:रोमुच के 4.0:1 के अनुपात दर से 38.72 लाख वाणिज्यिक रोमुच उत्पादित किए तथा 11917 वाणिज्यिक कीटपालकों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना की परियोजनाओं/रेशम निदेशालयों के निजी बीजागारों से खरीदे गए 40.39 लाख रोमुबीच का कूर्चन कर 1383.96 लाख धागाकरण योग्य कोसे उत्पादित किए।

क्षमता विकास और संस्थान भवन : मानव संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना के अधीन विभिन्न क्षमता और संस्थान विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रमुख कार्यक्रम तकनीकी प्रशिक्षण (22644 नंबर), क्षेत्र-वार कार्यकलापों का प्रशिक्षण अर्थात् स्थायी कृषि, सब्जी की खेती इत्यादि, (30157 संख्या), सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण (1164 नं.), सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को क्षेत्र में प्रशिक्षण (61639) नं.), आदि। इसके अतिरिक्त, 3584 महिला लाभार्थियों को संपर्क दौरा के लिए (उत्पादक समूह के अंतर्गत) ले जाया गया तथा दो प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस परियोजना के अधीन विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यकलापों तथा तकनीकी नयाचार के लिए छह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर एनआरएलएम को प्रस्तुत किए गए और 643 उत्पादक समूह को व्यवस्थापित किया गया, जिनमें से 23 को संघबद्ध किया गया।

एसआरएलएम द्वारा तसर परियोजनाएं को बढ़ावा: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरेबो को समर्थन संगठन (एनएसओ) के रूप में मान्यता दी है ताकि परियोजना सूत्रीकरण, कार्यान्वयन समर्थन और क्षमता विकास के क्षेत्र में समर्थन के साथ एसआरएलएम द्वारा तसर के माध्यम से आजीविका निर्माण हेतु की गईं पहलों को बढ़ाया जा सके। केरेबो ने झारखंड, ओडिशा और प.बं. के राज्यों के लिए रु. 63.34 करोड़ की लागत पर 35220 महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए तसर आधारित मध्यस्थता परियोजनाओं को तैयार किया। इस पत्र संख्या के11034/02/2017/-मकिसप/ईसी दि 3.3.17 के अनुसार महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (मकिसप) के अधीन अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केरेबो ने तसर प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ और बिहार के एनआरएलएम को समर्थन दिया, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन हैं । वर्ष 2017-20 के दौरान लगभग 50,000 महिला लाभार्थियों को रु.89.43 करोड़ की लागत पर समर्थन दिया जाएगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय (60%) और एसआरएलएम (40%) से वित्तीय सहायता के साथ केरेबो से तकनीकी समर्थन दिया जाएगा।

उत्तराखंड में ओक तसर विकास परियोजना

केरेबो ने उत्तराखंड में ओक तसर विकास के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-2020 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है । कुल वित्तीय व्यय रु.28.36 करोड़ रुपये का है जिसमें से भारत सरकार के टीएसपी/सीएसएस के अंतर्गत केरेबो का हिस्सा 19.55 करोड़ रुपये, राज्य (राज्य योजना और मनरेगा) से 6.83 करोड़ रुपये और लाभार्थियों का 1.96 करोड़ रुपये है ताकि राज्य में ओक तसर रेशम उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस परियोजना को बीज क्षेत्र चॉकी कीटपालन उपकरण/अवसंरचना समर्थन, बीज फसल और वाणिज्यिक फसलों का कीटपालन, धागकरण/कताई और विभिन्न पणधारियों को क्षमता विकास आदि की व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का विकास प्रस्तावित है। ओक तसर रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त विकास समर्थन करने के

लिए वन/समुदाय भूमि में मनरेगा की सहायता से 500 हेक्टेयर नया क्यूरक्स सेराटा पौधारोपण प्रस्तावित है।

परियोजना के अधीन प्रस्तावित मध्यस्थता से कुल 2290 परियोजना लाभार्थियों को शामिल करते हुए परियोजना के अंत तक कोसा उत्पादन वर्तमान स्तर के 1 लाख कोसा/वर्ष से 109 लाख कोसा और रेशम उत्पादन 0.05 मी.टन/वर्ष से 3.6 मी.टन धागाकृत तसर सूत और 1.7 मी.टन कता सूत प्रति वर्ष तक बढ़ाना अनुमानित है। परियोजना राज्य के संभावित जिलों में उत्तराखंड सरकार, रेशम उत्पादन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब जनजातियों को रोजगार के अवसर मिल सके।

केरेबो ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्से से वर्ष 2017-18 के दौरान 415.115 लाख रुपए रेशम उत्पादन विभाग, उत्तराखंड सरकार को विमोचित किया । राज्य ने इसके कार्यान्वयन के लिए 4 क्षेत्र कार्यान्वयन अभिकरणों को चयनित किया है।

संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम (आईवीएलपी)

प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से भूमि तक प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करने के लिए और रेशम उत्पादन के आदर्श ग्रामों को स्थापित करने के लिए केरेबो, वर्ष 2014-15 से अपने मुख्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता आ रहा है। संग्रासंका के उद्देश्य निम्न हैं:

- अनुसंधान एवं विकास [अवि] संस्थानों द्वारा किसानों को विकसित प्रौद्योगिकियों का सीधे हस्तांतरण।
- प्रयोगशाला और भूमि के बीच उपज अंतर को कम करना।
- अंतराल को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय हेतु अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की सहायता करना।
- पर्यावरणीय मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता और लाभ को बनाए रखने के लिए तकनीकी मध्यस्थता और उनका एकीकरण कायम रखने में सहायता करना।
- प्रौद्योगिकियों को 100% अपनाने हेतु जोर देना।
- किसानों के लिए प्रौद्योगिकियों को उपयुक्त बनाने के लिए फ्रंट लाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हेतु इसे उपकरण के रूप में उपयोग करना।
- रेशम उत्पादों, रेशम अपशिष्ट आदि का फार्म पर मूल्य संवर्धन।
- प्रौद्योगिकी मध्यस्थता के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के अनुवीक्षण में सहायता करना।

वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएँ

- 48 आईवीएल पी क्लस्टरों में कुल 5585 कृषकों को शामिल किया गया है जिसका कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सीधे अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है ।
- रेशमकीट पालन तथा परपोषी पौधा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को अपनाना 70 से 80% तक पहुँच गया । द्विप्रज के मामले में बेंचमार्क उत्पादन स्तर की तुलना में औसत कोसा उपज में 25-30% की वृद्धि हुई ।
- केरेअवप्रसं, बहरमपुर द्वारा बेंचमार्क (औसत 43 कि.ग्रा./100 रोमुच) की तुलना में द्विxद्वि कोसा में औसत उपज में वर्षासिंचित दशा में (औसत 49.20 कि.ग्रा, रेंज-40-58 कि.ग्रा,) में 14.41% का सुधार रिकार्ड किया गया और बेंचमार्क (44.2 कि.ग्रा/100 रोमुच) की तुलना में बहुxद्वि कोसा में सिंचित दशा में (औसत 48.70 कि.ग्रा, रेंज- 39-55 कि.ग्रा) 10% सुधार रिकार्ड किया गया ।
- केरेअवप्रसं, मैसूर ने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के आईवीएलपी क्लस्टरों से 14.56 लाख रोमुच का कीटपालन करते हुए 130 मी.टन द्विप्रज कच्चा रेशम का उत्पादन रिकार्ड किया जो कोसा उपज में 18.40% का सुधार दर्शाया ।
- केरेअवप्रसं, पाम्पोर ने उत्तर पश्चिमी राज्यों में वसंत ऋतु के दौरान 45.5 कि.ग्रा/100 रोमुच शरत् ऋतु के दौरान 42.16 कि.ग्रा/100 रोमुच का उपज रिकार्ड किया ।
- केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ ने वाणिज्यिक फसल तथा छतुआ बीज फसल के दौरान 754.12 कि.ग्रा मूगा रेशम का उत्पादन रिकार्ड किया जो बेंच मार्क की तुलना में

क्रमश: 20.74% तथा 21.25% उपज में सुधार दर्शाया।

- एरी क्षेत्र में आईवीएलपी के मामले में 9780 रोमुच से 1014.4 कि.ग्रा. कोसे उत्पादित करते हुए बेंचमार्क की तुलना में उपज में 46.15% सुधार था।
- मूरेबीसं-एरेबीसं ने 5 आईवीएलपी क्लस्टरों से 15 मी.टन मूगा रेशम तथा 19 मी.टन एरी रेशम उत्पादन रिकार्ड किया।

जापान विदेशी सहयोगी स्वयं सेवक (जेओसीवी)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत द्विप्रज क्लस्टरों में प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 07.01.2015 से जाइका के सहयोग से रेशम उत्पादकों को शामिल करते हुए स्वयं सहायता समूह/सीबीओ के आयोजन से विस्तार कार्यप्रणाली के क्षेत्र में दो वर्षों की अवधि के लिए जापान विदेशी सहायोगी स्वयं सेवक कार्यक्रम के कार्यान्वयन करता आ रहा है । अब तक कर्नाटक (1), तमिलनाडु (1), आंध्र प्रदेश (2) और उत्तराखंड (2) में छ: जेओसीवी को तैनात किया गया है। जेओसीवी कार्यक्रम को 2020 तक बढ़ाया गया है।

अभिसरण के माध्यम से भारत सरकार की अन्य योजनाओं से सहायता

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य की कार्य योजनाओं द्वारा लागू अन्य योजनाओं (आरकेवीवाई, एमजीएनआरजीए, एमकेएसपी, टीडीएफ इत्यादि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करके अभिसरण के माध्यम से रेशम संवर्धन क्षेत्र हेतु अतिरिक्त निधि जुटाने के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों को सुविधा देकर प्रोत्साहित कर रहा है ताकि मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों का समर्थन और आरकेवीवाई के अंतर्गत सूत उत्पादन के लिए कोसा-पूर्व और कोसोत्तर प्रचालन के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन और एसआरएलएम के माध्यम से महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनाएं के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए तसर संवर्धन के माध्यम से स्थायी आजीविका के लिए समर्थन मिले। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकारों को वृक्षारोपण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभिसरण परियोजनाओं की तैयारी के लिए सुविधा प्रदान की है और प्रगति का निरीक्षण किया है।

चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों ने 908.07 करोड़ रुपये के लिए 205 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और 129 प्रस्तावों के लिए 813.50 करोड़ रुपये के लिए मंजूरी प्राप्त की और अनुबंध-IV में दिए गए विवरण के अनुसार रु.583.80 करोड़ की निधि प्राप्त की है।

रेशम उत्पादन में सुदूर संवेदन और भूस्थानिक सूचना प्रणाली का अनुप्रयोग (आरएसजीआईएस):

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), शिलांग, मेघालय के सहयोग से 108 जिलों और 24 राज्यों को शामिल करके (सुसंभूसूप्र) परियोजना के पहले चरण को लागू किया है। सभी चयनित जिलों के लिए रेशम उत्पादन सूचना अनुबंध और ज्ञान प्रणाली (रेसूज्ञाप्र) मॉड्यूल एक एकल विण्डो आईसीटी आधारित सूचना और सलाहकार सेवा प्रणाली विकसित की गई है। परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है जिसके लिए केरेबो को भारत सरकार से ई-गवर्नेंस के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग की श्रेणी में भारत सरकार से 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2014-15 से सम्मानित किया गया।

इसके उपरांत वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न राज्यों में अधिक जिलों को शामिल करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष केंद्र (एनईएसएसी) उमियम, मेघालय के सहयोग से, रेशम उत्पादन राज्यों जिनमें गैर-पारंपरिक राज्यों में रेशम उत्पादन प्रारंभ करने के लिए शहतूती क्षेत्रफल प्राक्कलन, रेशम उत्पादन स्थिति, बागान स्थिति निर्धारण और रेशम उत्पादन प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को खोजने हेतु रेशम उत्पादन विस्तार/विकास के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल करते हुए 70 संभावित जिलों में सुदूर संवेदन और भूस्थानिक सूचना प्रणाली परियोजना के दूसरे चरण को निष्पादित करना प्रस्तावित है।

रेशम उत्पादन विकास में "सुदूर संवेदन और भू-स्थानिक सूचना अनुप्रयोग" परियोजना (चरण-2) की स्थिति:

- शिलांग (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए), नई दिल्ली (उत्तरी राज्यों के लिए), हैदराबाद (दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के लिए) और कोलकाता (पूर्वी राज्यों के लिए) द्वारा प्रायोजित अधिकारियों के लिए चार आँचलिक 'अभिमुखी सह हाथोहाथ प्रशिक्षण कार्यशाला' आयोजित की गयी।
- संबंधित रेशम उत्पादन विभागों के परामर्श से 25 राज्यों से कुल 70 प्राथमिकता वाले जिलों का चयन किया गया है।
- 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 33 संभावित जिलों का मानचित्रण क्षेत्र आंकडा संग्रहण पूरा हो चुका है। शेष 37 जिलों का मानचित्रण प्रगति पर है।
- 10 राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले 30 जिलों के लिए स्थानिक डेटा-बेस की बाहरी गुणवत्ता जांच पूरी की गई।
- सिल्क्स पोर्टल में 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के 20 जिलों के लिए स्थानिक डेटा बेस का एकीकरण पूरा कर लिया गया है और यह अन्य 10 जिलों में भी किया जा रहा है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड 13.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर एक स्व-निहित गगन सक्षम वैश्विक मान्यता प्रणाली डेटा रिकॉर्डर उपकरण "नवशारे" का उपयोग करते हुए अनेक सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन से केरेबो और राज्यों द्वारा बनाई गई परिसंपत्ति (वृक्षारोपण और अवसंरचना) के भू-टैगिंग के लिए उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (उ पू अ अ के एनईएसएसी), शिलांग, मेघालय के साथ सहयोगी परियोजना भी शुरू की है। परियोजना प्रारंभिक चरण में है।

मैसूरु मेगा रेशम समूह परियोजना

भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 बजट घोषणा के दौरान 200.00 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आबंटन कर देश में सात वस्त्र मेगा क्लस्टर स्थापित करना प्रस्तावित किया था, जिसमें से रेशम के लिए एक ऐसा समूह मैसूरु (कर्नाटक) में होगा। तदनुसार, भारत सरकार के समग्र विद्युत करघा क्लस्टर विकास योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर मैसूरु में रेशम मेगा समूह क्लस्टर स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेशम बुनाई तथा संसाधन कार्यकलापों के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा सामान्य सुविधा सृजित करना है।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य वस्त्र अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, बेंगलूरु को क्लस्टर प्रबंधन व तकनीकी अभिकरण (सप्रवतअ) के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार ने मैसूरु के निकट बेलवाडी में 10 एकड़ एकड़ भूमि की स्वीकृति दी है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के नाम से "मैसूर चामुंडेश्वरी मेगा सिल्क क्लस्टर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड" नाम से पंजीकृत किया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितंबर, 2017 के दौरान वस्त्र मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

***

वित्त व लेखा

वित्त व लेखा

प्राप्तियाँ व व्यय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-9(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान दिया गया ताकि अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विमोचित सहायता अनुदान और केरेबो द्वारा बुक किया गया व्यय और मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित बजट [अ ब] के रूप में अनुमोदित प्रावधानों का ब्योरा तालिका 4.1 में प्रस्तुत है :

तालिका 4.1 : वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विमोचित सहायता अनुदान और केरेबो द्वारा बुक किया गया व्यय

[रु. लाख में]

	बजट शीर्ष	वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित सहायता अनुदान	वर्ष 2017-18 के दौरान बुक किया गया व्यय	वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 -19 के लिए अनुमोदित परिव्यय [अ ब.]
I. योजना				
	केन्द्र क्षेत्र योजना			
I-क	**रेशम उद्योग के विकास के प्रति अनुदान**			
I.	सहायता अनुदान – वेतन [36]	37,200.00	37,200.00	30,361.00
ii.	सहायता अनुदान - सामान्य (राजस्व) [31]	6,050.00	6,050.00	5,800.00
iii.	सहायता अनुदान पूँजी परिसंपत्ति का सृजन [35]	3,200.00	3,200.00	800.00
	उप-योग	46,450.00	46,450.00	36,961.00
I-ख	**रेशम उद्योग के विकास के प्रति अनुदान : अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना [एसपीएससी]**			
I.	सहायता अनुदान – वेतन [36]	--	--	3,100.00
ii.	सहायता अनुदान - सामान्य (राजस्व) [31]	1,150.00	1,150.00	2,500.00
iii.	सहायता अनुदान पूँजी परिसंपत्ति का सृजन [35]	1,150.00	1,150.00	0.00
	उप-योग	2,300.00	2,300.00	5,600.00
I-ग	**रेशम उद्योग के विकास के प्रति अनुदान: जनजातीय क्षेत्र उप-योजना : [टीएसपी]**			
I.	सहायता अनुदान – वेतन [36]	--	--	1,500.00
ii.	सहायता अनुदान - सामान्य (राजस्व) [31]	1,500.00	1,500.00	1,500.00
iii.	सहायता अनुदान पूँजी परिसंपत्ति का सृजन [35]	1,500.00	1,500.00	0.00
	उप-योग	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	योग - योजना	**51,750.00**	**51,750.00**	**45,561.00**
II.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र [उपूक्षे] में रेशम उद्योग के विकास के प्रति अनुदान :**			
I.	सहायता अनुदान – वेतन [36]	900.00	900.00	3,100.00
ii.	सहायता अनुदान - सामान्य (राजस्व) [31]	600.00	600.00	616.00
iii.	सहायता अनुदान पूँजी परिसंपत्ति का सृजन [35]	1,000.00	1,000.00	700.00
iv.	**अनुसूचित जनजाति घटक - सामान्य [31]**	--	--	84.00
	उप-योग	2,500.00	2,500.00	4,500.00
	योग - उ पू - योजना	**2,500.00**	**2,500.00**	**4,500.00**
	कुल योग [I+II] :	**54,250.00**	**54,250.00**	**50,061.00**

वर्ष 2017 – 18 के लिए ऋण

वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को गृह निर्माण अग्रिम के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा कोई ऋण राशि नहीं दी गई।

आंतरिक लेखा-परीक्षा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,बेंगलूरु अपने 05 आँचलिक लेखा-परीक्षा दलों के साथ आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग के माध्यम से बोर्ड सचिवालय में प्रति वर्ष केरेबो की सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा कर रहा है। आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों ने वर्ष 2017-18 के दौरान, आंतरिक लेखा-परीक्षा संचालित किया और अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31.3.2018 को विद्यमान लक्ष्यों को प्राप्त किया । ब्योरा तालिका 4.2 में प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न सेवा मामलों तथा अन्य विषयों पर केरेबो के विभिन्न अनुभागों द्वारा भेजे गये 58 मामलों के विषय में राय भी दी।

तालिका 4.2 : वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा का विवरण

#	लेखा-परीक्षा दल का नाम	शामिल किए गये एकक		योग
		प्रत्यायोजित	अप्रत्यायोजित	
1	के.का .आंलेप दल	42	11	53
2	आँलेपद – क, केतअवप्रसं,राँची	23	07	30
3	आँलेपद – ख, केरेअवप्रसं,बहरमपुर	17	05	22
4	आँलेपद – ग, केरेअवप्रसं,मैसूरु	15	14	29
5	आँलेपद – घ, क्षेरेअके ,जम्मू	13	21	34
6	आँलेपद – ङ, मूरेबीसं ,गुवाहाटी	05	19	24
	योग	115	77	192

इसके अतिरिक्त, पीडीसी, एमएबी, हैदराबाद ने वर्ष 2017-18 के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित 10 केरेबो इकाइयों की लेखा-परीक्षा भी की और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए । संबंधित पीडीसी, एमएबी को समय-समय पर उपयुक्त उत्तर प्रेषित किए गए।

****

रेशम उत्पादन सांख्यिकी

रेशम उत्पादन सांख्यिकी

कच्चा रेशम उत्पादन

भारत को सभी पाँचों ज्ञात वाणिज्यिक रेशम अर्थात् शहतूती, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी तथा मूगा का उत्पादन करने वाले एक मात्र देश होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें सुनहला पीला एवं चमकदार मूगा, भारत का अनुपम एवं विशिष्ट उत्पाद है । वर्ष 2017-18 (पी) के दौरान देश में कुल वार्षिक कच्चा रेशम उत्पादन 31906 मी टन सबसे उच्चतम रहा जिनमें से शहतूत कच्चे रेशम उत्पादन 22066 मी टन (69.2%) और शेष 9840 मी टन (30.8%) वन्य रेशम था (तालिका : 5.1)।

वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18, के दौरान देश में कुल कच्चा रेशम उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई । वर्ष 2016-17 के 21273 मी.टन (द्विप्रज 5266 मी.ट. और संकर नस्ल 16,007 मी.ट.) की तुलना में वर्ष 2017-18 में 22066 मी.ट. (द्विप्रज 5874 मी.ट., संकर नस्ल 16192 मी.ट.) रहा । एरी और मूगा रेशम ने क्रमश: 6661 मी.ट. और 192 मी.ट. का उत्पादन रिकार्ड किया ।

द्विप्रज कच्चे रेशम में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 11.5% की भारी वृद्धि हुई है । एरी और मूगा रेशम ने क्रमश: 18.2% और 12.8% का उत्पादन रिकार्ड किया । वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य-वार और किस्म वार कच्चा रेशम उत्पादन अनुबंध -V (क) व (ख) में दिया गया है ।

तालिका : 5.1 भारत में कच्चे रेशम उत्पादन

#	विवरण	2017 -18 (लक्ष्य)	2017 -18	2016 -17	-1 की तुलना में % की वृद्धि
क	**शहतूत पौधारोपण (हे)**	242140	223926	216810	3.3
ख	**शहतूत कच्चा रेशम (मी.ट.)**				
	द्विप्रज	6200	5874	5266	11.5
	संकर नस्ल	17276	16192	16007	1.2
	उप-योग (ख)	**23476**	**22066**	**21273**	**3.7**
ग	**वन्य रेशम (मी.ट.)**				
	तसर	3450	2988	3268	-8.6
	एरी कता रेशम	6675	6661	5637	18.2
	मूगा	240	192	170	12.8
	उप-योग (ग)	**10364**	**9840**	**9075**	**8.4**
	योग (ख+ग)	**33840**	**31906**	**30348**	**5.1**

स्रोत : राज्य के रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त रिपोर्ट से संकलित

कोसा एवं कच्चा रेशम का मूल्य
शहतूती कोसों का मूल्य

वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2016 -17 के दौरान सरकारी कोसा बाज़ार (सकोबा), रामनगरम् में द्विप्रज संकर धागाकरण कोसों तथा सरकारी कोसा बाज़ार, रामनगरम् तथा सिद्दलगट्टा में संकर नस्ल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य चित्र 5.1 से 5.3 में प्रस्तुत है।

चित्र 5.1: संकर द्विप्रज कोसा का रामनगरम बाजार में औसत मूल्य

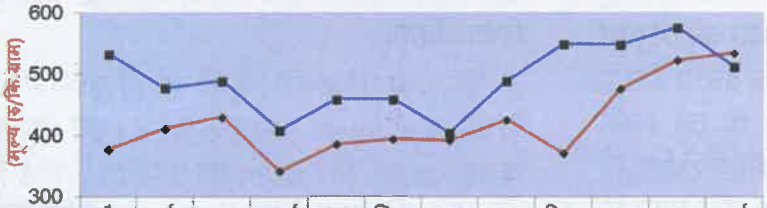

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	377	410	429	341	386	394	392	425	370	476	522	534
2017-18	532	477	489	408	459	459	404	489	549	548	576	512

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

चित्र 5.2: संकर नस्ल के कोसा का रामनगरम बाजार में औसत मूल्य

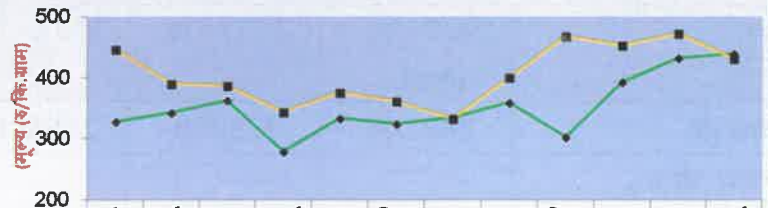

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	328	343	363	279	334	324	335	359	303	393	432	440
2017-18	447	390	387	344	376	361	333	400	468	453	473	431

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

चित्र 5.3: सिद्दलगट्टा बाजार में संकर नस्ल के कोसों का औसत मूल्य

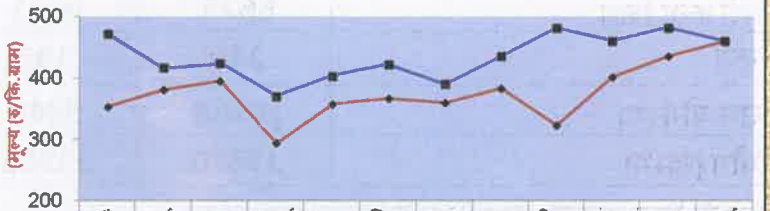

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	353	381	395	294	357	366	359	383	322	401	435	459
2017-18	472	417	424	370	403	422	390	435	481	460	482	460

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

शहतूती कच्चा रेशम मूल्य

कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में लेन-देन किए गए बहुछोरीय, कुटीर थाला एवं डुपियॉन रेशम का मूल्य भी चित्र 5.4 से 5.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.4: कर्नाटक रेशम विनिमय केन्द्रों में बहुछोरीय रेशम का औसत मूल्य

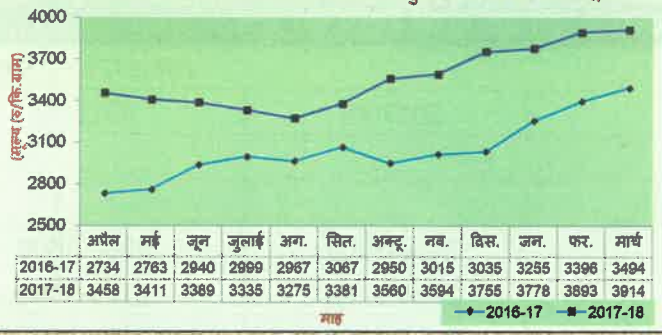

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	2734	2763	2940	2999	2967	3067	2950	3015	3035	3255	3396	3494
2017-18	3458	3411	3389	3335	3275	3381	3560	3594	3755	3778	3893	3914

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

चित्र 5.5: कर्नाटक विनिमय केन्द्रों में कुटीर थाला रेशम का औसत मूल्य

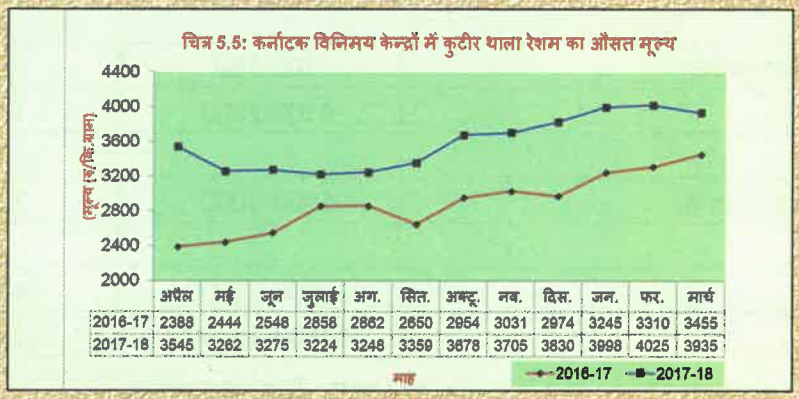

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	2388	2444	2548	2858	2862	2650	2954	3031	2974	3245	3310	3455
2017-18	3545	3262	3275	3224	3248	3359	3678	3705	3830	3998	4025	3935

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

चित्र 5.6: कर्नाटक विनिमय केन्द्रों में डुपियॉन रेशम का औसत मूल्य

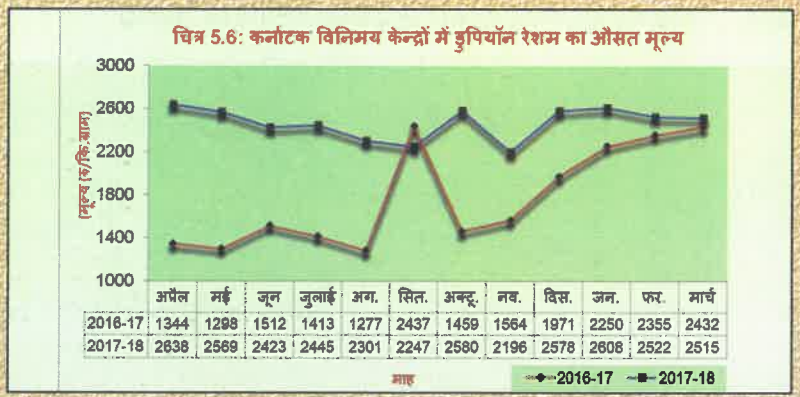

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2016-17	1344	1298	1512	1413	1277	2437	1459	1564	1971	2250	2355	2432
2017-18	2638	2569	2423	2445	2301	2247	2580	2196	2578	2608	2522	2515

आँकड़ा का स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

वन्य कोसा तथा रेशम का मूल्य

वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2016-17 में वन्य रेशम उत्पादक राज्यों के प्रमुख बाज़ारों में तसर, एरी तथा मूगा कोसों तथा रेशम का मूल्य निम्न तालिका-5.2 में दिया गया है।

तालिका : 5.2 वन्य कोसा एवं कच्चे रेशम का मूल्य

(इकाई मूल्य : रु./कि. ग्र.)

प्रजाति	2017-18	2016-17
क) तसर मूल्य *		
1. धागाकरण कोसा (रु. प्रति 1000 सं.)(ग्रेड-1)		
क) रैली	3800-5000	3500-5800
ख) डाबा	2000-3700	2100-3400
2. धागाकृत सूत	3200-4200	3200-4600
3. घीचा सूत	1800-2100	1600-2500
ख) एरी मूल्य **		
1. कटे कोसे (उत्कृष्ट गुणवत्ता)	700-890	550-860
2. कता सूत	2100-2600	1800-2600
ग) मूगा मूल्य **		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं)	1800-4000	1500-3500
2. कच्चा रेशम		
क) ताना सूत	13000-22000	14200-18000
ख) बाना सूत	12000-20000	12500-15500

टिप्पणी : * चाईबासा *(झारखण्ड)*, चाँपा व रायगढ़ *(छत्तीसगढ़)* तथा भागलपुर *(बिहार)* के बाज़ारों से संबंधित तसर मूल्य ** गुवाहाटी *(असम)* बाजार से संबंधित एरी व मूगा मूल्य

स्रोत: कच्चा माल बैंक, केरेबो, चाईबासा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी

चीन से आयातित [चीनी] शहतूती कच्चे रेशम का मूल्य

वर्ष 2017-18 के दौरान, 4ए एवं इससे ऊपर की श्रेणी के आयातित चीनी शहतूती कच्चे रेशम के अवतरित मूल्य वाराणसी बाज़ार में इसके विक्रय मूल्य सहित चित्र 5.7 से 5.8 में प्रस्तुत है।

चित्र 5.7: वर्ष 2017-18 के दौरान 4ए तथा उच्च ग्रेड के चीन से आयातित शहतूती कच्चा रेशम का मूल्य

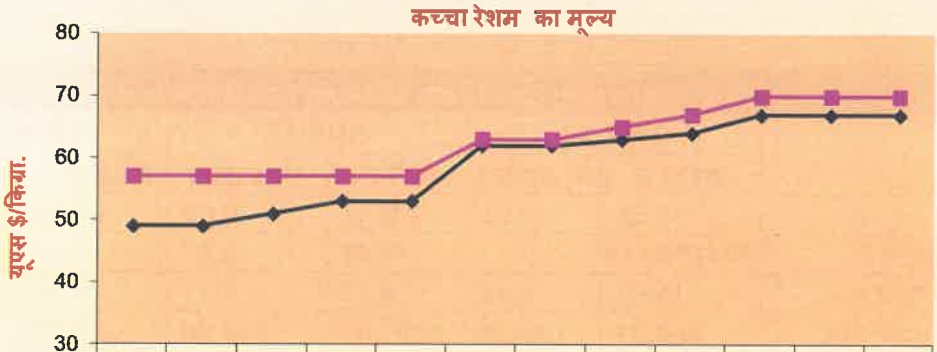

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
न्यू.	49	49	51	53	53	62	62	63	64	67	67	67
अधि.	57	57	57	57	57	63	63	65	67	70	70	70

स्रोत : क्षेत्रिय कार्यालय, केरेबो, मुम्बई ने मेसर्स शाह ट्रेडिंग कंपनी, मुम्बई के माध्यम से एकत्रित

चित्र 5.8: वर्ष 2017-18 के दौरान वाराणसी में 4ए तथा उच्च ग्रेड के चीन से आयातित शहतूती कच्चा रेशम का मूल्य *

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
न्यू.	55.03	51.61	59.28	60.97	62.53	65.56	66.69	70.15	70.21	73.85	74.57	73.82
अधि.	56.58	57.28	59.75	62.05	65.66	69.52	68.92	71.23	73.16	75.11	75.81	74.59

टिप्पण : * मूल्य में कर निहित है। **स्रोत :** प्रमाणन केन्द्र, केरेबो, वाराणसी

रेशम माल का निर्यात

वस्त्र, बने-बनाए और सिले-सिलाए पोशाक भारत की प्रमुख रेशम निर्यात वस्तुएँ हैं, जो देश के कुल रेशम माल के निर्यात का लगभग 91.86% आता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 2093.42 करोड़ (312.12 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान रेशम माल के निर्यात से प्राप्त आय 1649.48 करोड़ [255.93 मिलियन अमरीकी डालर रहा।] वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2016-17 के दौरान रेशम और रेशम माल के निर्यात से प्राप्त प्रजाति-वार निर्यात आय तालिका-5.3 में प्रस्तुत है।

तालिका : 5.3 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान रेशम और रेशम माल के निर्यात से प्राप्त आय

मद	2017-18		2016-17		% बदलाव	
	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर
कोसा	0.05	0.01	0.32	0.05	-84.38	-84.48
कच्चा रेशम	निर्यात नहीं किया गया		0.44	0.07		
प्राकृतिक रेशम सूत	15.61	2.42	14.57	2.17	7.14	11.61
वस्त्र, बने बनाए वस्त्र	864.81	134.18	1051.65	156.80	-17.77	-14.42
सिले सिलाए पोशाक	650.48	100.93	864.33	128.87	-24.74	-21.68
रेशम कालीन	17.34	2.69	63.78	9.51	-72.81	-71.71
रेशम अवशिष्ट	101.19	15.70	98.33	14.66	2.91	7.10
योग	**1649.48**	**255.93**	**2093.42**	**312.12**	**-21.21**	**-18.00**

ण्न ई- निर्यात नहीं किया गया **स्रोत:** डीजीसीआईएस, कोलकाता एवं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट

संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी भारतीय रेशम माल के प्रमुख आयातक देश हैं। सर्वोच्च दस आयातक देशों से प्राप्त निर्यात आय कुल निर्यात आय का 69.65% है। वर्ष 2017-18 और 2016-17 के दौरान रेशम माल से प्राप्त देश-वार निर्यात आय तालिका-5.4 में प्रस्तुत है।

तालिका : 5.4 : 2017-18 व 2016-17 के दौरान रेशम एवं रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

देश	2017-18		2016-17		% बदलाव	
	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर
सं.अरब.अमीरात	376.96	58.49	546.31	81.45	-31	-28.19
सं.राज्य अमेरिका	218.26	33.87	263.85	39.34	-17.28	-13.92
युनाइटैड किंग्डम	131.81	20.45	128.39	19.14	2.66	6.84
चीन	78.56	12.19	89.17	13.3	-11.9	-8.32
तंज़ानिया	71.88	11.15	53.13	7.92	35.29	40.79
जर्मनी	63.08	9.79	107.78	16.07	-41.47	-39.09
फ्रांस	57.23	8.88	78.61	11.72	-27.2	-24.24
इटली	53.35	8.28	73.72	10.99	-27.63	-24.69
नाइजीरिया	52.62	8.16	43.52	6.49	20.91	25.83
ऑस्ट्रेलिया	45.12	7	46.07	6.87	-2.06	1.92
अन्य देश	500.61	77.67	662.87	98.83	-24.48	-21.41
योग	**1649.5**	**255.93**	**2093.4**	**312.13**	**-21.21**	**-18**

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट

रेशम माल का आयात

कच्चा रेशम, रेशम सूत ,वस्त्र और सिले-सिलाए पोशाक आयात की प्रमुख वस्तुएँ हैं, जो कुल आयात का लगभग 98.39% आता है । वर्ष 2016-17 के 1438.17 करोड़ रु (214.43 मिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में वर्ष, 2017-18 के दौरान रेशम माल के आयात का मूल्य 1652.39 करोड़ रु (256.38 मिलियन अमरीकी डालर) रहा, जो रुपए के संदर्भ में 14.09% तथा अमरीकी डालर के परिप्रेक्ष्य में 19.56% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2016-17 के दौरान कच्चे रेशम और रेशम माल का आयात-मूल्य तालिका-5.5 में प्रस्तुत है ।

तालिका 5.5 : 2017-18 और 2016-17 के दौरान रेशम एवं रेशम माल के आयात मूल्य

मद	2017-18		2016-17		% बदलाव	
	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर	करोड़ रु	मि.अ.डॉलर
कच्चा रेशम	1218.14	189.01	1092.26	162.85	11.52	16.06
रेशम सूत	115.85	17.35	76.66	11.43	51.12	51.79
वस्त्र, बने बनाए वस्त्र	292.77	45.43	241.74	36.04	21.11	26.05
सिले सिलाए पोशाक	17.41	2.7	12.37	1.84	40.74	46.74
रेशम कालीन	0.23	0.04	0.11	0.02	109.09	100
रेशम अवशिष्ट	11.99	1.86	15.03	2.24	-20.23	-16.96
योग	**1652.39**	**256.38**	**1438.17**	**214.43**	**14.9**	**19.56**

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट

कच्चे रेशम आयात की मात्रा वर्ष 2016-17 में 3,795 मी.ट. से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान 3712 मी.ट. हो गई जो 2.2%. की कमी दर्शाती है । पिछले तीन वर्ष के दौरान आयातित कच्चे रेशम की मात्रा चित्र 5.9 में प्रस्तुत है ।

चित्र 5.9: कच्चा रेशम का आयात

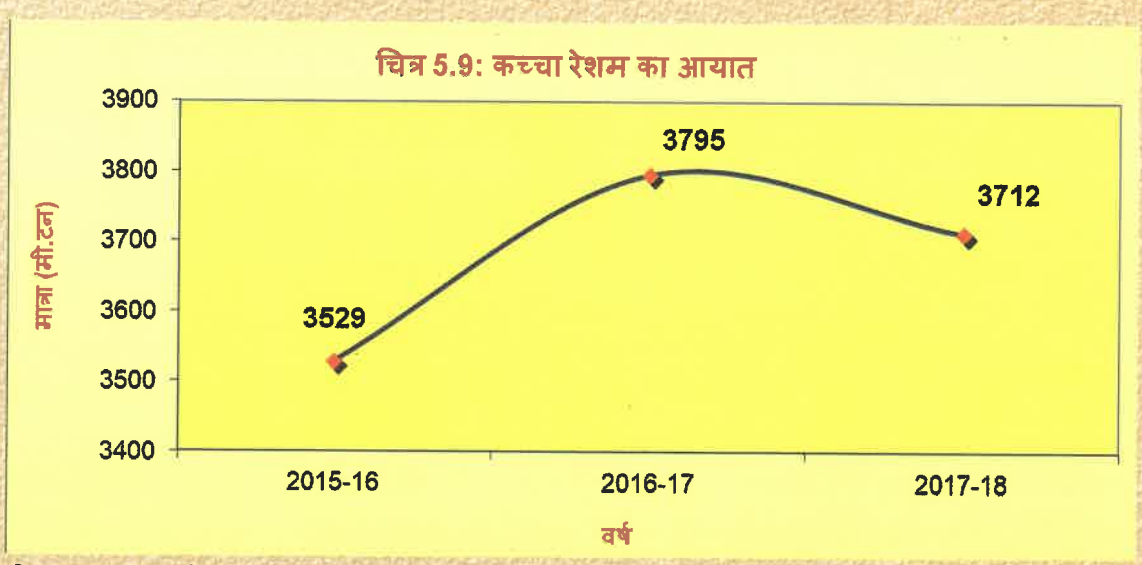

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

अनुबंध

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का संगठन चार्ट

श्री के. एम. हनुमंतरायप्पा
अध्यक्ष

↓

श्री पुनीत अग्रवाल
उपाध्यक्ष

↓

श्री आर.आर.ओखंडियार
मुकाअ व सदस्य-सचिव

डॉ.आर.के.मिश्रा
निदेशक, अतिरिक्त प्रभार
बोर्ड सचिवालय
बेंगलूरु

- क्षेका/प्रके----------13
- कमाबैं----------1
- कमाबैं उ डि ----------2
- मूकमाबैं ----------1
- मूकमाबैं उ डि----------1
- स्मॉय----------1
- मूएबीविप, कि.गंज----1
- सविके----------1

डॉ.कनिका त्रिवेदी
निदेशक
केरेअवप्रसं
बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

- क्षेरेअके----------3
- अविके----------12

डॉ.आर.के.मिश्रा
निदेशक
रारेबीसं
बेंगलूरु

- आरेबीसं----------2
- फार्म----------20
- रेबीउके----------21
- रेसेके----------14
- बीकोप्राके----------2
- रेबीप्रौप्र----------1
- शीसं----------3
- रेविकें----------1

डॉ.वी.शिवप्रसाद
निदेशक
केरेअवप्रसं
मैसूरु

- क्षेरेअके----------5
- उरेप्रके----------1
- अविके----------20
- उप-इकाई----------25
- फार्म----------1
- सविके----------3

डॉ.ए.के.सिन्हा
निदेशक
केतअवप्रसं
राँची (झारखण्ड)

- क्षेतअके----------7
- अविके----------9
- अविके उ.डि.---------1
- पी4केन्द्र----------3
- कमाबैं उ ड----------2

डॉ.सुभास वी. नायिक
निदेशक
केरेप्रौअसं
बेंगलूरु

- रेअपगृ----------6
- प्रसतसेके----------9
- वपप्र----------1
- आंका----------1
- क्षेरेप्रौअके----------1
- कोपके----------2
- करेपके----------2

डॉ.एम.के.घोष
निदेशक
केरेअवप्रसं
पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर)

- क्षेरेअके----------3
- अविके----------10
- उप इकाई---------9
- फार्म----------1
- रेप्रवि----------1
- सविके----------1

श्री दुलाल गोस्वामी
वैज्ञानिक-डी
केमूएअवप्रसं
लाहदोईगढ़ (असम)

- क्षेमूअके----------1
- क्षेएअके----------1
- (मूगा) अविके----------4
- उप इकाई----------1
- एरीअविके----------1
- क्षे प्र----------1

श्री आर. सतीश कुमार
निदेशक (वित्त)
बोर्ड सचिवालय
बेंगलूरु (कर्नाटक)

डॉ. गार्गी
निदेशक
केरेजसंके
होसूर

डॉ.आर.के.मिश्रा
निदेशक (अति.प्रभार)
रेजैप्रौप्र, बेंगलूरु

बुबीप्रवप्रके	बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र
बुतरेबीसं	बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन
केरेजसंके	केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र
केमूएअवप्रसं	केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रके	प्रमाणन केन्द्र
सविके	समूह विकास केन्द्र
ससं	केसमूह संवर्धन केन्द्र
शीसं	शीतागार संयंत्र
रे वि के	रेशम उत्पादन विकास केन्द्र
केरेअवप्रसं	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केरेप्रौअसं	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
केतअवप्रसं	केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रसतसेके	प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र
मूकमाबैं	मूगा कच्चा माल बैंक
मूरेबीसं	मूगा रेशमकीट बीज संगठन
रारेबीसं	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन

क्षेएअके	-	क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
कमाबैं	-	कच्चा माल बैंक
क्षेमूअके	-	क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षेका	-	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेरेउअके	-	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
क्षेतअके	-	क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रेजैअप्र	-	रेशम जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला
बीकोप्राके	-	बीज कोसा प्रापण केन्द्र
भारेमासं	-	भारतीय रेशम मार्क संगठन
रेअवपगृ	-	रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
रेसेके	-	रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र
रेसेइ	-	रेशम सेवा इकाई
रेबीउके	-	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
रेबीप्रौप्र	-	रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
वपप्र	-	वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला

डॉ.अलोक सहाय
निदेशक
बुतरेबीसं
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

- केतरेबीके----------1
- बुबीप्रवप्रके----------21
- क्षेत्र इकाई----------1

श्री बी. चौधरी
वैज्ञानिक-घ
मूरेबीसं, गुवाहाटी
(असम)

- फार्म----------11
- मूरेबीउके----------2
- एरेबीउके----------4
- एरी फार्म----------1

अनुबंध-I (ख)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की 31.03.2016 को यथाविद्यमान संस्थानवार इकाइयां

केरेअवप्रसं, मैसूरु (56)

क्षेरेअके, बेंगलूरु (कर्नाटक)
क्षेरेअके, सेलम (तमिलनाडु)
क्षेरेअके, अनंतपुर (आं प्र)
क्षेरेअके, चामराज़नगर (कर्नाटक)
क्षेरेअके, शादनगर (तेलंगाना)
उरेप्रके, कूनूर (तमिलनाडु)
अविके, मडिवाला (कर्नाटक)
अविके, बिदरगुप्पे (कर्नाटक)
अविके, चित्रदुर्गा (कर्नाटक)
अविके, रायचोटी (आं प्र)
अविके, विकाराबाद (तेलंगाना)
अविके, कृष्णगिरि (तमिलनाडु)
अविके, समयनल्लूर(तमिलनाडु)
अविके, परभणी (महाराष्ट्र)
अविके, बारामती(महाराष्ट्र)
अविके, मडकसिरा(आं प्र)
अविके, वेंकटगिरिकोटा(आं प्र)
अविके, उदुमलपेट(तमिलनाडु)
अविके, एलूरु(आं प्र)
अविके, जी.पालयम(तमिलनाडु)
अविके, अमरावती(महाराष्ट्र)
अविके, होसंगाबाद (म प्र)
अविके, पालक्काड (केरल)
अविके, कल्याणीदुर्गम्(आं प्र)
अविके, पालमनेर(आं प्र)
अविके, श्रीविल्लीपुथूर(तमिलनाडु)

उप-इकाई, औरंगाबाद(महाराष्ट्र)
उप-इकाई, कनकपुरा(कर्नाटक)
उप-इकाई, बीदर (कर्नाटक)
उप-इकाई, कोप्पाल (कर्नाटक)
उप-इकाई, किनकनहल्ली(कर्नाटक)
उप-इकाई, पेनुकोण्डा(आं प्र)
उप-इकाई, मद्दूर (कर्नाटक)
उप-इकाई, उसमानाबाद(महाराष्ट्र)
उप-इकाई, जालना(महाराष्ट्र)
उप-इकाई, बुरहानपुर(महाराष्ट्र)
उप-इकाई, मर्कापुर(आं प्र)
उप-इकाई, सूर्यपेट(तेलंगाना)
उप-इकाई, चेब्रोलु(आं प्र)
उप-इकाई, आत्माकुर(आं प्र)
उप-इकाई, मेटपल्ली (तेलंगाना)
उप-इकाई, तुमकुर (कर्नाटक)
उप-इकाई, रानेबेन्नूर (कर्नाटक)
उप-इकाई, बेरिगाई(तमिलनाडु)
उप-इकाई, शाहापुर (कर्नाटक)
उप-इकाई, शिराहाट्टी (कर्नाटक)
उप-इकाई, बिजापुर (कर्नाटक)
उप-इकाई, जामखंदी (कर्नाटक)
उप-इकाई, अविनाशी(तमिलनाडु)
उप-इकाई, तिरुची(तमिलनाडु)
उप-इकाई, कुडलगी (कर्नाटक)

सविके, पालमनेर (आं प्र)
सविके, होसकेटे (कर्नाटक)
सविके, अगली (केरल)
पी4 हासन (कर्नाटक)

क्षेरेअके	5
उरेप्रके, कुनूरु	1
अविके	20
सविके	3
उप इकाई	25
फार्म	1
कुल	**55**

केरेअवप्रसं, पाम्पोर (26)

क्षेरेअके, सहसपुर (उत्तराखण्ड)
क्षेरेअके, जम्मू
क्षेरेअके, घुमारर्वी (हि प्र)
अविके, नदौन (हि प्र)
अविके, सुजानपुर (पंजाब)
अविके, बरनौती (ज व क)
अविके, गोण्डा (उ प्र)
अविके, फतेहनगर (राजस्थान)
अविके, नौसेरा (ज व क)
अविके, गोरखपुर (उ प्र)
अविके, बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
अविके, ऊना (हिप्र)
अविके, ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

उप-इकाई, शरनल (ज व क)
उप-इकाई, लोलब (ज व क)
उप-इकाई, ओल्ड खून (ज व क)
उप-इकाई, पंचकुला (हरियाणा)
उप-इकाई, भद्रासी (उ प्र)
उप-इकाई, कोटद्वार (उत्तराखण्ड)
उप-इकाई, पथरी (उत्तराखण्ड)
उप-इकाई, पीलीभीत (उ प्र)
उप-इकाई, बहराइच (उ प्र)

सविके, कालसी (उत्तराखण्ड)
रेप्रवि, फतेहनगर (राजस्थान)
पी4, मानसबल (द्वि) (ज व क)

क्षेरेअके	3
अविके	10
सविके	1
उप-इकाई	9
रेप्रवि	1
फार्म	1
कुल	**25**

केरेअवप्रसं, बहरमपुर(16)

क्षेरेअके, कोरापुट (ओडिशा)
क्षेरेअके, कालिम्पोंग (प बं)
अविके, मंगलदोई (असम)
अविके, डेंकीकोटे (ओडिशा)
अविके, रंगपो (सिक्किम)
अविके, कामनगर (प बं)
अविके, महेशपुरराज (झारखण्ड)
अविके, भण्डारा (झारखण्ड)
अविके, बाघमारा (प बं)

क्षेरेअके, जोरहाट (असम)
अविके, अगरतला (त्रिपुरा)
अविके, शिलांग (मेघालय)
अविके, दीमापुर (नागालैण्ड)
अविके, आइज़ोल (मिज़ोरम)
अविके, इम्फाल (मणिपुर)

क्षेरेअके	3
अविके	12
कुल	**15**

केतअवप्रसं, रांची (23)

क्षेतअके, जगदलपुर (छत्तीसगढ)
क्षेतअके, बारिपदा (ओडिशा)
क्षेतअके, वारंगल (आं प्र)
क्षेतअके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
क्षेतअके, भीमताल (उत्तराखण्ड)
क्षेतअके, इम्फाल (मणिपुर)
क्षेतअके, दुमका (झारखण्ड)
उप-इकाई, पिथौरागढ़
अविके, पालमपुर (हि प्र)
अविके, चक्रधरपुर (झारखण्ड)
अविके, चंपा (छत्तीसगढ़)
अविके, बांगरीपोसी (ओडिशा)
अविके, राबर्ट्सगंज (उ प्र)
अविके, भद्राचलम (आं प्र)
अविके, कपिस्ता (प बं)
अविके, किक्रूमा (नागालैण्ड)
अविके, ऐंकोंगपओ (मणिपुर)

पी4 केन्द्र, कटघोरा (छत्तीसगढ़)
पी4 केन्द्र, चक्रधरपुर (झारखंड)
पी4 केन्द्र, दुमका (झारखंड)

कमाबैं उप डिपो, वारंगल (तेलंगाना)
कमाबैं उप डिपो, भंडारा (महाराष्ट्र)

क्षेतअके	7
पी4 केन्द्र	3
अविके	9
कमाबैं उ डि	2
उप-इकाई	1
कुल	**22**

बुतरेबीसं, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) (24)

केतरेबीके, करगी कोटा (छत्तीगढ़)
बुबीप्रवप्रके, चिन्नूर (आं प्र)
बुबीप्रवप्रके, नरसापुर (आं प्र)
बुबीप्रवप्रके, रामपचूड़ावरम् (आं प्र)
बुबीप्रवप्रके, खरसवाँ (झारखण्ड)
बुबीप्रवप्रके, काठीकुंड (झारखण्ड)
बुबीप्रवप्रके, मधुपुर (झारखण्ड)
बुबीप्रवप्रके, देवघर (झारखण्ड)
बुबीप्रवप्रके, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रवप्रके, पाली (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रवप्रके, बस्तर (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रवप्रके, बालाघाट (म प्र)
बुबीप्रवप्रके, बोइरदादर (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रवप्रके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
बुबीप्रवप्रके, नवरंगपुर (ओडिशा)
बुबीप्रवप्रके, सुन्दरगढ़ (ओडिशा)
बुबीप्रवप्रके, पटेलनगर (पं बं)
बुबीप्रवप्रके, दुद्धी (उ प्र)
बुबीप्रवप्रके, भागलपुर (बिहार)
बुबीप्रवप्रके, बिलासपुर (छत्तीगढ़)
बुबीप्रवप्रके, बारिपदा (ओडिशा)
बुबीप्रवप्रके, केन्दुझार (ओडिशा)
क्षेत्र इकाई, पल्लाहारा (ओडिशा)

बुबीप्रवप्रके	21
क्षेत्र इकाई	1
केतरेबीके	1
कुल	**23**

रारेबीसं, बेंगलूरु (65)

कर्नाटक

बीकोक्रके, कुणिगल
बीकोक्रके, के.आर.पेट

पी3, मैसूरु
पी3, नागमंगला
पी2, धर्मपुरा (द्वि)
पी2, गविमट (द्वि)
पी2, नागनहल्ली (बहु)

रेबीउके, बेंगलूरु
रेबीउके, मैसूरु
रेबीउके, रामनगरम्
रेबीउके, विजयपुरा
रेबीउके, चिन्तामणि
रेबीउके, के.आर.नगर
रेबीउके, मलवल्ली

बीजागार/पी1, चिकमलवाडी
रेसेके, के.आर.पेट
रेसेके, पांडवापुरा
रेसेके, के.पी.दोड्डी
रेसेके, गौरीबिदनूर
रेसेके, बेलगाम
रेसेके, हावेरी
रेसेके, अत्तिबेले

रेबीप्रौप्र, कोडती

बुबीफा, पेंडिपुर

शी सं, मैसूरु

असम

रेबीउके, जोरहाट

क्षेका (10+2)

क्षेका, नई दिल्ली (दिल्ली)
क्षेका, जम्मू (ज व क)
क्षेका, मुम्बई (महाराष्ट्र)
क्षेका, हैदराबाद (तेलंगाना)
क्षेका, चेन्नई (तमिलनाडु)
क्षेका, भुवनेश्वर (ओडिशा)
क्षेका, गुवाहाटी (असम)
क्षेका लखनऊ (उ प्र)
क्षेका, कोलकता (प.बंगाल)
क्षेका, पटना (बिहार)
मूएबीविप, किशनगंज (बिहार)
सविके, सहरसा (बिहार)

तमिलनाडु

पी2, कृष्णगिरि (बहु)
पी2, यलगिरि हिल्स (द्वि)

रेबीउके, धर्मपुरी
रेबीउके, होसूर
रेबीउके, तिरुपत्तूर

शी सं, होसूरु

आंध्र प्रदेश

पी2, होरसली हिल्स
पी2, मडकसिरा (द्वि)
पी2, परिगी (बहु)

रेबीउके, हिन्दुपुर
रेबीउके, मदनपल्ली
रेबीउके, चित्तूर

रेसेके, विजयवाड़ा

केरल

रेबीउके, पालक्काड
पी2 पालक्काड

बिहार

पी2, पुर्णिया

ओडिशा

सविके, रामगिरि

जम्मू व कश्मीर

रेबीउके, ऊधमपुर (ज व क)

प्रमाणन केन्द्र (3)

प्रके, वाराणसी (उ प्र)
प्रके, बेंगलूरु(कर्नाटक)
प्रके, श्रीनगर (ज व क)

पश्चिम बंगाल

अरिबीसं, रायगंज

पी3, ए.फलकट्टा
पी2, कर्नसुबर्णा
पी2, बंगुरीया
पी2, धुबुलिया

रेबीउके, बरहमपुर
रेबीउके, दक्षिण भवानीपुर
रेबीउके, कोलिता
रेबीउके, रायगंज

रेसेके, पटेलनगर
रेसेके, अलिनगर
रेसेके, अमृति
रेसेके, मोथाबारी
रेसेके, पंचग्राम
रेसेके, कलियाचक

उत्तरांचल

अरिबीसं, देहरादून
पी3, माजरा
पी2, शीशमबाड़ा
रेबीउके, देहरादून
शीसं, देहरादून

रेबीप्रौप	1
अरिबीसं	2
मूबीफा	20
रेबीउके	21
रेसेके	14
बीकोक्रके	2
बीजागार	3
शी सं	1
कुल	**64**

के का, बेंगलूरु (कर्नाटक)

भारेमासं, पालक्काड़(केरल)

कमाबैं, चाईबासा (झारखण्ड)
कमाबैं, उडि भागलपुर (बिहार)
कमाबैं, उडि रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

मूकमाबैं, शिवसागर (असम)
मूकमाबैं उडि, सुआलकूची(असम)

भारेमासं, पालक्काड़(केरल)	1
कमाबैं,	1
कमाबैं, उडि	2
मूकमाबैं,	1
मूकमाबैं उडि,	1
कुल	**6**

केरेप्रौअसं, बेंगलूरु (23)

व प प्र, वाराणसी (उ प्र)
रेअवपगृ, धर्मावरम् (आं प्र)
रेअवपगृ, काँचीपुरम् (तमिलनाडु)
रेअवपगृ, जम्मू (ज व क)
रेअवप्रगृ, श्रीनगर (ज व क)
रेअवप्रगृ, मालदा (प बं)
रेअवप्रगृ, बेंगलूरु (कर्नाटक)
आंचलिक कार्यालय, बिलासपुर (छ ग)
कोपके, कोयंबटूर (तमिलनाडु)
कोपके, रामनगरम् (कर्नाटक)

क्षेरेप्रौअके, गुवाहाटी (असम)
क्षेरेप्रके, सिद्दलगट्टा (कर्नाटक)
क्षेरेप्रके, कोलेगाल (कर्नाटक)

प्रवतसेके, रायपुरा (कर्नाटक)
प्रवतसेके, हिन्दुपुर (आं प्र)
प्रवतसेके, धर्मपुरी (तमिलनाडु)
प्रवतसेके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
प्रवतसेके, कटक (ओडिशा)
प्रवतसेके, देहरादून (उत्तराखण्ड)
प्रवतसेके, भागलपुर (बिहार)
प्रवतसेके, सूरी (प बं)
प्रवतसेके, नरपुर (हि प्र)

क्षेरेप्रौअके, गुवाहाटी	
वप्रप	1
रेअवपगृ	6
प्रवतसेके	9
आँ का, बिलासपुर	1
करेपके	2
कोपके	2
कुल	**22**

केरेजसंके, होसुर (तमिलनाडु)

रेजेप्रौप्र, बेंगलूरु (कर्नाटक)

मूरेबीसं, गुवाहाटी (19)

पी4, नोंगपोह (मेघा.)
पी3, रोमपारा (मेघा.)
पी3, अडोकगिरि (मेघा.)
पी3, हाहिम (असम)
पी3, मेंदीपाथर (मेघा)
पी3, नारायणपुर (असम)
पी3, कालिम्पोंग (प बं)
पी3, कोवबिल्ली (असम)
पी3, पलियापूल (असम)
पी3, कोबूलोंग (नागालैंड)
पी4, तुरा (मेघालय)
मूगा-रेबीउके, कालियाबाड़ी(असम)
मूगा-रेबीउके, तुरा (मेघालय)

एरी बुबीफा, तोपटली (असम)

एरी रेबीउके, आज़ारा (असम)
एरी रेबीउके, पेद्दापुरम् (आं प्र)
एरी रेबीउके, होसूरु (तमिलनाडु)
एरी रेबीउके, हल्द्वानी (उत्तरांचल)

फार्म	11
मूरेबीउके	2
ए-रेबीउके	4
एबुबीफा	1
कुल	**18**

केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़(9)

क्षेएअके, मेंथीपाथर (मेघा.)
क्षेमूअके, बोका (असम)

मूगा-अविके, लखीमपुर (असम)
मूगा-अविके, कूचबिहार (प बं)
मूगा-अविके, तुरा (मेघालय)
मूगा-अविके, बलिजन (अ प्रदेश)

मूगा-अविके, उप-इ, कोक्राझर

मूगा क्षेत्र प्रयो.,तीताबार(असम)

एरीअविके, फतेहपुर (उ प्र)

क्षेमूअके	1
क्षेएअके	1
मूअविके	4
एअविके	1
अविके उ-इकाई	1
क्षेत्र प्रयो	1
कुल	**9**

सार

केरेबो मुख्यालय	1
केरेअवप्रसं	3
केतअवप्रसं	1
केरेप्रौअसं	1
रारेबीसं	1
मूरेबीसं	1
केमूएअवप्रसं	1
केरेजसंके	1
रेजैप्रौअप्र	1
रेबीप्रौप्र	1
क्षेका/प्रके	13
भारेमासं	1
क्षेएअके	1
बुबीफा(मूरेविप)	11
बुबीफा (शह.)	22
बुबीप्रवप्रके (तसर)	21
बुतरेबीसं,बिलासपुर	1
सविके/कोप्राके	4
कोपके/वविके	2
केतरेबीके करगी कोटा	1
प्रसतसेकें	9
एरी-बुबीफा	1
एरीरेबीउके	4
क्षेत्र प्रयो.तीताबार	1
क्षेत्र इकाई,पल्लहारा	1
मूएबीविप, किशनगंज	1
मूकमाबैं(मूगा)	1
मूकमाबैं उ डि	1
पी4 केन्द्र	3
अविके (एरी)	1
अविके (मूगा)	4
अविके (शहतूत)	42
अविके (तसर)	9
कमाबैं (तसर)	1
कमाबैं उडि (तसर)	4
क्षेमूअके (मूगा)	1
क्षेरअके (शह)	11
करेपके	2
क्षेरप्रौअके, गुवाहाटी	1
क्षेतअके (तसर)	7
रेअवप्रसं	6
रेकोप्राकें(शह.)	2
उरेप्रके, कुनूर	1
रेसेके (शह.)	14
रेबीउके (मूगा)	2
रेबीउके (शह.)	21
रेप्रवि/रेसेइ/शीसं	5
उप-इकाई (एरी)	1
उप-इकाई (मूगा)	1
उप-इकाई (शह.)	34
उप-इकाई (तसर)	1
वपप्र, वाराणसी	1
आं.का.बिलासपुर	1
अरिबीसं (शह.)	2
योग	**286**

संक्षिप्त रूप

बुतरेबीसं	- बुनियादी बीज रेशमकीट बीज संगठन
प्रके	- प्रमाणन केन्द्र
रेविके	- रेशम विकास केन्द्र
केरेजसंके	- केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र
केरेअवप्रसं	- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केरेप्रौअसं	- केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
कोपके	- कोसा परीक्षण केन्द्र
केतअवप्रसं	- केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केतरेबीके	- केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र
प्रवतसेके	- प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र
मूकमाबैं	- मूगा कच्चा माल बैंक
रारेबीसं	- राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन
पी4, पी3, पी2	- बुनियादी बीज फार्म
अविके	- अनुसंधान विकास केन्द्र
क्षेएअके	- क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
कमाबै	- कच्चा माल बैंक
कमाबै-उडि	- कच्चा माल बैंक (उप डिपो)
क्षेमूअके	- क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षेका	- क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेतअके	- क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रेअवपगृ	- रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
बीकोक्रके	- बीज कोसा क्रय केन्द्र
रेसेके	- रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र
रेबीउके	- रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
उप-इकाई	- अनुसंधान विस्तार केन्द्र के संबद्ध उप-इकाई
वपके	- वस्त्र परीक्षण केन्द्र
अँरिबीसं	- आँचलिक रेशमकीट बीज संगठन

दिनांक 31.03.2018 को यथाविद्यमान बोर्ड का गठन

अनुबंध- II

#	सदस्य का नाम व पता
I	**धारा 3 (क) के अधीन**
1	**श्री के.एम.हनुमन्तरायप्पा,** अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु, कर्नाटक (08.08.2016 to 07.08.2019)
II	**धारा 4(3)(ख) के अधीन**
2	**श्री पुनीत अग्रवाल, भा प्र से** संयुक्त सचिव (रेशम) एवं उपाध्यक्ष, केरेबो, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, "उद्योग भवन", नई दिल्ली-110 011 (26.02.2016 से 25.02.2019)
3	**श्रीमती नीलम एस.कुमार** मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार "उद्योग भवन", नई दिल्ली-110 011 (10.07.2015 से 09.07.2018)
4	**श्री राजित रंजन ओखंडियार, भा व से,** सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु-560 068 कर्नाटक (06.11.2017 से 05.11.2020)
III	**धारा 4(3)(ग) के अधीन**
5	**श्री पी. सी. मोहन** सांसद (लोक सभा), 1928, 30वाँ क्रास, 12वाँ मेन, बनशंकरी द्वितीय स्टेज, मोनोटाइप, जी. के. कल्याण मंटपम, बेंगलूरु-560 050, कर्नाटक सं. 160, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 011 (10.08.2017 से 09.08.2020)
6	**डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डे** सांसद (लोकसभा) सं.बी-22/157-7, सरस्वती नगर, विनायक, वाराणसी-221010 उत्तर प्रदेश सं.302, नर्मदा अपार्टमेंट, डॉ.बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-110001 (21.12.2017 से 20.12.2020)
7	**श्री निम्माला क्रिस्तप्पा** सांसद (लोकसभा) गोरंटला, अनंतपुर जिला-515231, आंध्र प्रदेश 12-ए, फिरोजशाह, नई दिल्ली (10.08.2017 से 09.08.2020)
8	**श्री जुगल किशोर शर्मा** सांसद (लोकसभा) सरकारी आवास सं.14, न्यू रेहारी, जम्मू-180005 सं. 91, साउथ एवेन्यू नई दिल्ली-110011 (10.08.2017 से 09.08.2020)
9	**श्री बसवराज पाटिल** सांसद (राज्य सभा), सं. 3/1/28, विद्यानगर कॉलोनी, सेडम, जिला–गुलबर्गा-585 222 सं.सी-703, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ.बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली–110001 (08.05.2015 से 02.04.2018)
10	**श्री नीरज शेखर** सांसद (राज्य सभा), ग्राम व डाक-इब्राहिम पट्टी, जिला-बालिया-221716 उत्तर प्रदेश सं.3, गुरुद्वारा राकबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 (08.05.2015 से 07.05.2018)
IV	**धारा 4(3)(घ) के अधीन**
11	**श्री एम.महेश्वर राव, भा प्र से** सचिव, बागवानी. कृषि एवं रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार, कमरा सं.404, चौथा तल, तीसरा गेट, एम.एस.बिल्डिंग, बेंगलूरु-560001, कर्नाटक (31.01.2018 से 30.01.2021)

#	सदस्य का नाम व पता
12	**श्री के.एस.मंजुनाथ, भा प्र से** रेशम विकास आयुक्त एवं निदेशक रेशम उत्पादन, कर्नाटक सरकार, डॉ.अम्बेद्कर वीथी, एम. एस. बिल्डिंग, बेंगलूरु-560 001, कर्नाटक (31.01.2018 से 30.01.2021)
13	**श्री योगेश** पुत्र श्री शिवनन्जप्पा, ग्राम-रंगपुरा, पोस्ट-मारिथम्मनहल्ली, डोड्डा मड्डा होबली, तालुक-अराकलगुड्डू, जिला-हासन, कर्नाटक (31.01.2018 से 30.01.2021)
14	**श्री के.मुद्दे गौड़ा** पुत्र-श्री केम्पे गौड़ा, कैंपय्यना हुंडी, टी.नरसीपुरा तालुक, जिला-मैसूरु, कर्नाटक (31.01.2018 से 30.01.2021)
15	**श्री पी.सोमण्णा** पुत्र-स्वर्गीय पुट्टस्वामी, सुत्तूर ग्राम, बिलिगेरे होब्ली, नंजनगुड तालुक, जिला–मैसूरु, कर्नाटक (31.01.2018 से 30.01.2021)
V	**धारा 4(3)(ङ) के अधीन**
16	**श्रीमती पी.वेंकडा प्रिया, भा प्र से** निदेशक (रेशम उत्पादन), रेशम उत्पादन विभाग, तमिलनाडु सरकार, नेताजी नगर, हस्तमपत्ती, सेलम-636007, तमिलनाडु (27.10.2017 से 26.10.2020)
VI	**धारा 4(3)(च) के अधीन**
17	**श्रीमती मधुमिता चौधरी, भा प्र से** आयुक्त, वस्त्र एवं रेशम उत्पादन, पश्चिम बंगाल सरकार, नया सचिवालय भवन, छटवाँ तल, ब्लॉक-ए, किरण सरकार राय रोड, कोलकता-700001, पश्चिम बंगाल (31.01.2018 से 30.01.2021)

#	सदस्य का नाम व पता
18	**ज़नाब मोहम्मद सोहराब** पिता-स्वर्गीय श्री यार मोहम्मद, ग्राम-मंगोलियन, डाकघर-चरसले, थाना-रघुनाथगंज-742 225, जिला-मुर्शिदाबा, पश्चिम बंगाल (17.03.2017 से 16.03.2020)
VII	**धारा 4(3)(छ) के अधीन**
19	**श्री चिरंजीव चौधरी, भा व से** आयुक्त, रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश सरकार, रेशम उत्पादन विभाग, टीटीपीसी बिल्डिंग, प्रथम तल, ओल्ड मार्केट रोड, चुटुगुंटा, मिनी रायतू बाज़ार के पास, गुंटूर-522 007, आंध्र प्रदेश (31.01.2018 से 30.01.2021)
20	**श्री मुक्त नाथ सैकिया, एसीएस** निदेशक रेशम उत्पादन, असम सरकार, रेशम उत्पादन निदेशालय, (रिसर्च गेट के पास), गुवाहाटी-781 022, असम (08.12.2017 से 07.12.2020)
21	**श्री साकेत कुमार, भा प्र से** निदेशक, हथकरघा व रेशम उत्पादन विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना-800015, बिहार (08.12.2017 से 07.12.2020)
22	**श्री श्याम लाल धावड़े** निदेशक, ग्रामीण उद्योग निदेशालय, (रेशम उत्पादन सेक्टर) छत्तीसगढ़ सरकार, चौथा तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रवती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ (16.09.2016 से 15.09.2019)
23	**श्री मंजुनाथ भाजंत्री, भा प्र से** निदेशक, हथकरघा, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प निदेशालय, उद्योग, खान व भूगर्भ विज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार, उद्योग भवन, तीसरा तल, आकाशवाणी केन्द्र के नजदीक, सं.5, रातु रोड, राँची-834 001, झारखण्ड (02.06.2016 से 01.06.2019)

#	सदस्य का नाम व पता
24	**डॉ.मधु खरे, भा प्र से** आयुक्त रेशम उत्पादन, मध्य प्रदेश सरकार, लोअर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004, मध्य प्रदेश (27.10.2017 से 26.10.2020)
25	**श्री मदन पाल आर्य** रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एल डी ए कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, विश्वासखण्ड-III, गोतमी नगर, लखनऊ- 226010, उत्तर प्रदेश (14.10.2015 से 13.10.2018)
26	**श्री आनंद यादव** निदेशक रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, प्रेमनगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड (02.06.2016 से 01.06.2019)
VIII	**धारा 4(3)(ज) के अधीन**
27	**श्री मोहम्मद अफज़ल भट्ट, भा प्र से** प्रधान सचिव, जम्मू व कश्मीर सरकार, कृषि उत्पादन विभाग, कमरा सं.205/206, द्वितीय तल, सिविल सचिवालय, श्रीनगर-190001, जम्मू व कश्मीर (31.01.2018 से 30.01.2021)
IX	**धारा 4(3)(झ)**
28	**श्री बलदेव चौहान** उप निदेशक उद्योग (रेशम उत्पादन), उद्योग निदेशालय, उद्योग भवन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171001 हिमाचल प्रदेश (02.06.2016 से 01.06.2019)
29	**श्री सलाम कुंजाकिशोर सिंह, एम सी एस** निदेशक, रेशम उत्पादन मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना कॉम्प्लेक्स, मणिपुर सरकार, इम्फाल पूर्व-795001, मणिपुर (02.06.2016 से 01.06.2019)
X	**स्थायी आमंत्रित**
1	**डॉ.कविता गुप्ता, भा प्र से** वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, न्यू सी जी ओ भवन, #48, न्यू मरीन लाइन्स, पी.बी.सं.11500, मुम्बई–400020, महाराष्ट्र
2	**श्री सतीश गुप्ता** अध्यक्ष, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बी-1 विस्तार, ए-39,मोहन को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
3	**श्री एल. वेंकटराम रेड्डी** निदेशक, रेशम उत्पादन (एफएसी), तेलंगाना सरकार, रोड़ नं.72, प्रशासन नगर, फिल्म नगर पोस्ट, हैदराबाद–500 033 तेलंगाना
4	**श्री संजय मीणा, भा प्र से** निदेशक, रेशम उत्पादन महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन सं. 2, छठवां तल, बी-विंग, सिविल लाइन्स, आयुक्त कार्यालय का क्षेत्र, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र
5	**सुश्री शुभा शर्मा, भा प्र से** आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, कपड़ा व हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा
6	**डॉ.एस.अय्यप्पन** (अध्यक्ष, आर सी सी, केरेबो), सं.172, श्रीपादम, भू-तल, 5वाँ मेन, आवलहल्ली, बीडीए विस्तार, गिरि नगर, बेंगलूरु-560 085, कर्नाटक

अनुबंध- III

12वीं योजना के वर्ष 2016-17 के दौरान "सिल्क समग्र" के लाभार्थी योजना अंतर्गत विमोचित राज्यवार निधि तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित निधि का विवरण

(रु.लाख में)

#	राज्य	2016-17 के क्षे यो			2017-18* के क्षे यो
		विमोचित निधि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र (केवल राज्य द्वारा प्रस्तुत उ प्र)	शेष	विमोचित निधि
1	कर्नाटक	672.65	223.05	449.60	
2	आंध्र प्रदेश	1171.76	838.80	332.96	857.74
3	तेलंगाना	204.88	194.48	10.40	210.83
4	तमिलनाडु	948.66	919.52	29.14	1110.44
5	महाराष्ट्र	17.46		17.46	81.52
6	केरल	146.60	84.61	61.99	
7	उत्तर प्रदेश	20.00		20.00	267.94
8	मध्य प्रदेश	354.57		354.57	
9	छत्तीसगढ़	186.53	36.76	149.77	1119.69
10	पश्चिम बंगाल	11.62		11.62	115.47
11	बिहार	370.61	40.52	330.09	301.33
12	झारखंड	56.34		56.34	396.26
13	ओडिशा	9.92		9.92	115.67
14	जम्मू व कश्मीर	464.85	74.70	390.15	631.88
15	हिमाचल प्रदेश	814.29	814.29	0.00	1037.20
16	उत्तराखंड	1018.24	552.60	465.64	1554.12
17	हरियाणा				
18	पंजाब				128.52
19	असम	उ पू क्षे जनजाति परियोजना स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त			
20	के ए ए सी				
21	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद				
22	अरुणाचल प्रदेश				
23	मणिपुर				
24	मेघालय				
25	मिज़ोरम				
26	नागालैंड				
27	सिक्किम				
28	त्रिपूरा				
	राज्य को विमोचित कुल राशि	6468.98	3779.33	2689.64	7928.61
	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	556.25	4.15	552.10	120.63
	सभी अंचलों के लिए कुल राशि	7025.23	3783.48	3241.74	8049.24

* विमोचित निधि में अन्य एजेंसियों जैसे केरेप्रौअसं, बुतरेबीसं, प्रदान आदि भी हैं

वर्ष 2017-18 के दौरान राकृवियो, मनरेगा, आदिवासी विकास निधि आदि के अभिसरण समर्थन से रेशम उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[रुपये लाख में]

राज्य	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					मनरेगा					अन्य (**)					योग				
	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि
	सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि	
दक्षिण अंचल																				
कर्नाटक	7	1288	7	771	638	1	10873.51	1	14399	5166.46	10	39394	10	39591.6	39591.6	18	51555.51	18	54761.6	45396.06
आंध्र प्रदेश	9	1881.68	6	827	0	3	3298.82	3	3298.82	431.58	19	8548.1	17	2560	1819.2	31	13728.6	26	6685.82	2250.78
तेलंगाना	9	598.55	2	38.4	0	3	4783	1	1490.38	157.47	0	0	0	0	0	12	5381.55	3	1528.78	157.47
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1791	1	1791	1791	1	1791	1	1791	1791
महाराष्ट्र#	5	737	5	737	141.62	1	6100	1	6100	1435.2	2	830.21	2	793.69	666.42	8	7667.21	8	7630.69	2243.24
उप-योग	**30**	**4505.23**	**20**	**2373.4**	**779.62**	**8**	**25055.33**	**6**	**25288.2**	**7190.71**	**32**	**50563.31**	**30**	**44736.29**	**43868.22**	**70**	**80123.87**	**56**	**72397.89**	**51838.55**
उत्तर पश्चिमी अंचल																				
जम्मू व कश्मीर	4	43.06	4	43.06	21.53	0	0	0	0	0	18	657.38	18	657.38	657.38	22	700.44	22	700.44	678.91
उत्तराखंड	3	517.19	3	433.5	146	8	378.257	7	338.66	115.26	0	0	0	0	0	11	895.447	10	772.16	261.26
हरियाणा																0	0	0	0	0
पंजाब	1	75.38	1	67.7												1	75.38	1	67.7	0
उप-योग	**8**	**635.63**	**8**	**544.26**	**167.53**	**8**	**378.26**	**7**	**338.66**	**115.26**	**18**	**657.38**	**18**	**657.38**	**657.38**	**34**	**1671.27**	**33**	**1540.3**	**940.17**
मध्य पश्चिमी																				
उत्तर प्रदेश	1	1570.25	1	1570.25	524.34	56	307.47	2	307.47	34.99						57	1877.72	3	1877.72	559.33
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	1	835	1	835	587	0	0	0	0	0	0	835	1	835	587
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	16	1057.45	16	963.55	918.66	1	77.92	1	77.92	77.92	17	1135.37	17	1041.47	996.58
उप-योग	**1**	**1570.25**	**1**	**1570.25**	**524.34**	**73**	**2199.92**	**19**	**2106.02**	**1540.65**	**1**	**77.92**	**1**	**77.92**	**77.92**	**74**	**3848.09**	**21**	**3754.19**	**2142.91**
पूर्वी अंचल																				
पश्चिम बंगाल	2	1.05	2	1.05	0	10	56.64	6	51.43	0	9	69.13	6	68.7	67.67	21	126.82	14	121.18	67.67
बिहार	1	185	0	0	0	0	0	0	0	0		1188		1188	1188	1	1373	0	1188	1188
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54	1	54	3.77	1	54	1	54	3.77
ओडिशा	1	406	1	406	406	1	3070	1	1755	1755	1	38.44	1	38.44	38.44	3	3514.44	3	2199.44	2199.44
उप-योग	**4**	**592.05**		**407.05**	**406**	**11**	**3126.64**	**7**	**1806.43**	**1755**	**11**	**1349.57**	**8**	**1349.14**	**1297.88**	**26**	**5068.26**	**18**	**3562.62**	**3458.88**
उत्तर पूर्वी राज्य																				
मिजोरम	1	95.60	1	95.60	0.00											1	95.60	1	95.60	0
उप-योग	**1**	**90.60**	**1**	**95.60**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**95.60**	**1**	**95.60**	**0.00**
कुल योग	**44**	**7398.76**	**33**	**4990.56**	**1877.49**	**100**	**30760.15**	**39**	**29539.31**	**10601.63**	**62**	**52648.18**	**57**	**46820.73**	**45901.40**	**205**	**90807.09**	**129**	**81350.60**	**58380.52**

** राज्य योजना, एसबीजीएफ, आईएसओएस, टीएएनआईएल, एमकेएसपी # डीपीसी **नोट:** अन्य रेशम उत्पादन राज्यों में चालू वर्ष के दौरान योजना नगण्य प्रगति

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य-वार रेशम उत्पादन

अनुबंध-V(क)

राज्य	शहतूत पौधारोपण (हेक्टेयर)	शहतूत कच्चा रेशम (मी.ट.)			वन्य कच्चा रेशम (मी.ट.)				कुल (श+व) (मी.ट.)
		द्विप्रज संकर	संकर नस्ल	कुल	तसर	एरी	मूगा	कुल	
आंध्र प्रदेश	36638	1216	5559	6775	3.48			3	6778
अरुणाचल प्रदेश	140	2	0.3	2.3		50	1.5	51.5	54
असम व बोडोलैंड	8594	59		59		4645	157	4802	4861
बिहार	557	5	12	17	36	10		46	63
छत्तीसगढ़	261	0.3	8	8.3	523			523	532
हरियाणा	94	0.7		0.7					1
हिमाचल प्रदेश	2454	32		32					32
जम्मू व कश्मीर	8104	132		132					132
झारखण्ड	472		3	3	2217			2217	2220
कर्नाटक	98135	1651	7671	9322					9322
केरल	149	15		15					15
मध्य प्रदेश	2765	71	14	85	18			18	103
महाराष्ट्र	4327	350	3	353	19			19	373
मणिपुर	3590	84	8.5	92.5	4.8	290	1.17	296	388
मेघालय	3209	39		39		1006.8	30.4	1037	1076
मिजोरम	4094	61	14.2	75	0.05	8	0.8	9	84
नागालैण्ड	290	11	1	12	0.002	602	1	603	615
ओडीशा	464	2	1	3	106	7		113	116
पंजाब	1129	3		3					3
सिक्किम	185	0.001		0.001					0.001
तमिलनाडु	18854	1775	210	1984					1984
तेलंगाना	3517	158	0.04	158	4.5			5	163
त्रिपुरा	2184	28	59	87					87
उत्तर प्रदेश	4044	110	123	233	22	37		58	292
उत्तराखण्ड	3197	33		33		2		2	35
पश्चिम बंगाल	16480	36	2504	2540	35	3	0.19	37	2577
कुल योग	**223926**	**5874**	**16192**	**22066**	**2988**	**6661**	**192**	**9840**	**31906**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों से संकलित

अनुबंध- V (ख)

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य-वार रेशम उत्पादन

राज्य	शहतूत पौधारोपण (हेक्टेयर)	शहतूत कच्चा रेशम (मी.ट.			वन्य कच्चा रेशम (मी.ट.)				कुल (श+व) (मी.ट.)
		द्विप्रज संकर	संकर नस्ल	कुल	तसर	एरी	मूगा	कुल	
आंध्र प्रदेश	33156	1056	4914	5970	1.33			1.33	5971
अरुणाचल प्रदेश	100	2		2		42	1	43	45
असम व बोडोलैंड	7898	52		52		3619	139	3759	3811
बिहार	421	5.9	17.6	23.5	43.5	9.9		53.5	77
छत्तीसगढ़	322	0.32	7.3	8	353			353	361
हरियाणा	183	0.68		1					1
हिमाचल प्रदेश	2245	32		32					32
जम्मू व कश्मीर	8444	145		145					145
झारखण्ड	372		1	1	2630			2630	2631
कर्नाटक	91492	1488	8083	9571					9571
केरल	126	11		11					11
मध्य प्रदेश	5597	30	54	84.3	26.3			26.3	111
महाराष्ट्र	3480	228	3	231	27			27	259
मणिपुर	7548	149	12	161	5	363	1	369	529
मेघालय	3209	28		28		872	27	899	927
मिजोरम	4009	47	18	65	0.02	11	0.26	11	76
नागालैण्ड	290	7	1.37	8	0.08	669	1	670	678
ओडीशा	686	3	0.11	3	116	6		122	125
पंजाब	1129	3		3					3
सिक्किम	198	6		6		3	0.17	3	9
तमिलनाडु	17574	1627	288	1914					1914
तेलंगाना	2650	105	7	112	7			7	119
त्रिपुरा	2450	75		75					75
उत्तर प्रदेश	4212	97	114	211	22	36		54	269
उत्तराखण्ड	3029	31		31	0.02	3		3	34
पश्चिम बंगाल	15990	38	2486	2524	37	4	0.20	41	2565
कुल योग	**216810**	**5266**	**16007**	**21273**	**3268**	**5637**	**170**	**9075**	**30348**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों से संकलित